लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खंड ३२, १९५९/१८८१ (शक)

[३ से १४ अगस्त १९५९/१२ से २३ श्रावण १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

आठवां सत्र, १९५९/१८८१ (शक)

(खण्ड ३२ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला—खण्ड ३२—अंक १ से १०—३ अगस्त १९५९/१२ श्रावण, १८८१ (शक) से १४ अगस्त, १९५९/२३ श्रावण, १८८१ (शक)]

अंक १—सोमवार, ३ अगस्त, १९५९/१२ श्रावण, १८८१ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या १ से ३, ४५, ४, ५, ७ से १२, ४३ और १३ से १५	२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	२६—४२
तारांकित प्रश्न संख्या ६, १६ से ४२, ४४, ४६ और ४७ . .	
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ४७ और ४९ से ७५ . .	४२—७३
निधन सम्बन्धी उल्लेख—	
स्थगन प्रस्ताव—	
१. केरल	७४—७५
२. चीनी का संभरण	७६—७७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७७—८३, ९०
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	८३
संसदीय समितियां—कार्य सारांश	८३
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	८४
भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	८४
भारत का राज्य बैंक (संशोधन)—विधेयक संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	८४
विधेयकों पर साक्ष्य	८४
तारांकित प्रश्न संख्या १९४५ के उत्तर की शुद्धि	८४—८५
भारत पाक नहरी पानी विवाद के बारे में वक्तव्य	८५—८७
समिति के लिये निर्वाचन—	
लाभ पद सम्बन्धी समिति	८७—८८
समवाय (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति के प्रतिवदन क उपस्थापन के लिये समय बढ़ाया जाना	८८—८९
शस्त्र विधेयक—संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय बढ़ाया जाना	८९

पृष्ठ

विधेयक पुरस्थापित—

(१) राजस्थान तथा मध्य प्रदेश (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक ८९

(२) वक्फ़ (संशोधन) विधेयक ९०

(३) सार्वजनिक वक्फ़ (अवधि का विस्तार) संशोधन विधेयक ९०

सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक ९१—११८

विचार करने का प्रस्ताव ९१—११७

खण्ड १ से १३ ११७–१८

पारित करने का प्रस्ताव ११८

काम दिलाऊ दफ्तर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ११८—२६

कार्य मंत्रणा समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन १२६

दैनिक संक्षेपिका १२७—३६

अंक २—मंगलवार, ४ अगस्त, १९५९।१३ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ४८ से ६० , ६२, ६३ . . . १३७—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६१, ६४ से १०३ . . . १६१—८२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६ से १५८ . . . . १८२—२१२

प्रश्नों के उत्तरों में शुद्धि २१९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २१९—२३

तारांकित प्रश्न संख्या १७७० के उत्तर की शुद्धि २२३–२४

रेलवे महाखण्डों के लिये मंत्रणादाता समितियों के बारे में वक्तव्य २२४

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतालीसवां प्रतिवेदन २२५

काम दिलाऊ दफ्तर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) विधेयक २२६—४२

विचार करने का प्रस्ताव—

खण्ड २ से १० और १ २३५—४२

पारित करने का प्रस्ताव २४२

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक २४२—६५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव—

दैनिक संक्षेपिका २६५—७६

पृष्ठ

अंक ३—बुधवार, ५ अगस्त, १९५९।१४ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न *संख्या १०४ से १०९ और १११ से १२० २७७–३०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२१ से १५४ ३०३–३२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १६९, १७१ से २४८ और २५० से २५७ ३२१–६८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३६८–७३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७३–७७

विधेयक पर राय ३७७

कलिंग एयर लाइन्स के डकोटा की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य ३७७–७८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—छियालीसवां प्रतिवेदन ३७८

तारांकित प्रश्न संख्या ११९३ के उत्तर की शुद्धि ३७९

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—,

खण्ड २ से ४१ और १ ३७८–४०९

पारित करने का प्रस्ताव ४०९

दहेज निषेध विधेयक ४०९–४२०

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—

बोलानी ओर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में चर्चा ४२०–२५

दैनिक संक्षेपिका ४२६–३६

अंक ४—गुरुवार, ६ अगस्त, १९५९।१५ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न *संख्या १५५, १५६, १५८ से १६५, १९२ और १९६ से १७० ४३७–६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५७, १७१, से १९१ और १९३ से २०० ४६१–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २५८ से ३३६ ४७३–५०७

स्थगन प्रस्ताव—

तिब्बत में भारतीय व्यापारी ५०७–०९

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में ५०९–१०

विषय सूचि (क्रमशः)

सभा पटल में रखे गये पत्र ५१०–११

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
भारत-पाकिस्तान वित्तीय वार्ता ५११–१२

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित ५१२–१३

दहेज निषेध विधेयक ५१३–४७

भारत के जीवन बीमा निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ५४७–६५

दैनिक संक्षेपिका ५६६–७२

अंक ५—शुक्रवार, ७ अगस्त, १९५९।१६ श्रावण १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न *संख्या २०१ से २०५ और २०७ से २१९ ५७३–९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०६ और २२० से २४० ५९७–६०७

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ४२१ ६०७–४७

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ६४७

स्थगन प्रस्ताव—[1]

(१) पश्चिम खान देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की गिरफ्तारी ६४७–४८

(२) पांडिचेरी की स्थिति ६४८–४९

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में ६४९–५७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६५७–५९

सभा का कार्य ६५९

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विधेयक—पुरस्थापित ६५९

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा के संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव ६६०–७१

सार्वजनिक वक्फ़ (अवधि का विस्तार) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ६७१–७२

खंड १ से ४ ६७२

पारित करने का प्रस्ताव ६७२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

छियालीसवां प्रतिवेदन ६७३

विषय सूची (क्रमशः)

	पृष्ठ
अंग्रेजी को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के बारे में संकल्प—	
वापस लिया गया	६७३—६५
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	६६५
दैनिक संक्षेपिका	६६६—७०२
अंक ६—सोमवार, १० अगस्त, १९५९।१९ श्रावण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न *संख्या २४१, २४२, २४४ से २५०, २५२ से २५४ और २५६ से २५८	७०३—२९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २४३, २५५, २५६ से २८५	७२९—४३
अतारांकित प्रश्न संख्या ४२२ से ४४८ और ४५० से ५१४	७४३—६२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७६२—६६
शस्त्र विधेयक	७६६
(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	
(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य	
दुर्गापुर इस्पात कारखाने के बारे में वक्तव्य	७६६—६७
पांडिचेरी की स्थिति के बारे में वक्तव्य	७६७—६८
समिति के लिए निर्वाचन	७६८
राष्ट्रीय सेना छात्र दल के लिए केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड—	
सभा का कार्य	७६८
सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	७६८—८३६
कार्य मंत्रणा समिति—	
चालीसवां प्रतिवेदन	८३६
दैनिक संक्षेपिका	८४०—४६
अंक ७—मंगलवार, ११ अगस्त, १९५९।२० श्रावण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न *संख्या २८६—२६७, ३००, ३०१ और ३०४	८५१—७६

विषय सूचि—(क्रमशः) पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९८, २९९, ३०२, ३०३ और ३०५ से ३३१ ८७६–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१५–५९६, ५९८ और ५९९ ८९०—९२२

स्थगन प्रस्ताव—

हावड़ा और हुगली जिलों में बाढ़ से भारी नुकसान ९२२–२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ९२३–२४

सदस्य की रिहाई ९२४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के बारे में याचिका ९२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

तिब्बत में भारतीय राष्ट्रजन ९२५–२६

सभा का कार्य ९२६

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन ९२७

वक्फ (संशोधन) विधेयक ९२७—३४

विचार करने का प्रस्ताव ९२७—३३

खण्ड २ से ४ और १ ९३३–३४

पारित करने का प्रस्ताव ९३४

राजस्थान तथा मध्य प्रदेश (राज्य-क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक ९३४—४९

विचार करने का प्रस्ताव ९३४—४९

खंड २ से १७ और १ तथा पहली और दूसरी अनुसूची ९४९

पारित करने का प्रस्ताव ९४९

भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक ९५०—५५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ९५०—५४

खंड २ से १० और १ ९५४

पारित करने का प्रस्ताव ९५५

भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक ९५५—६६

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव, ९६७—७४

दैनिक संक्षेपिका

पृष्ठ

अंक ८—बुधवार, १२ अगस्त, १९५९।२१ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ३३४ से ३४५, ३४७, ३४९ और ३५१ ९७५—९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ १०००—०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४६, ३४८, ३५० और ३५२ से ३८० १००२—१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०० से ७०७ १०१६—६२

स्थगन प्रस्ताव—

१. पश्चिम बंगाल में चावल का मूल्य १०६२–६३

२. लंका पुलिस द्वारा बेटन चार्ज १०६३—६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र १०६६

आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक–पुरस्थापित १०६७

भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधे यक १०६७—७५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार के लिये प्रस्ताव १०६७—७०

खण्ड २ से ६५ और १ १०७०—७४

पारित करने का प्रस्ताव १०७५

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक १०७६—९५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार के लिये प्रस्ताव १०७६—९३

खण्ड २ से ३६ और १ १०९३–९४

पारित करने का प्रस्ताव १०९४–९५

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव १०९५—११०१

दैनिक संक्षेपिका ११०२—०९

अंक ९—शुक्रवार, १३ अगस्त, १९५९।२२ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न* संख्या ३८१, से ३८७, ३८९ से ३९३, ३९५ और ३९६ ११११—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८८, ३९४ और ३९७ से ४३३ ११३४—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०८ से ८०४ ११५१—९०

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ११९०

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव ११९०—९३

(१) लद्दाख, सिक्कम और भूटान की मुक्ति के बारे में चीन का कथित वक्तव्य ।

(२) आयात किये गये गहूं का दूषित हो जाना

सभा पटल पर रखे गये पत्र ११९३–९४

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें ११९४

आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक के बारे में याचिका ११९५—१२०९

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विधेयक

विचार के लिये प्रस्ताव

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १२०९—२४

दैनिक संक्षेपिका १२२५—३२

अंक १०—शुक्रवार, १४ अगस्त, १९५९/२३ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ४३४ से ४३९, ४४२ से ४४६, ४४८ से ४५० और ४५२ से ४५४ १२३३—५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४०, ४४१, ४४७, ४५१ और ४५५ से ४६० १२५८—७६

अतारांकित प्रश्न-संख्या ८०५ से ८८२ और ८८४ से ८८९ १२७७—१३०१

स्थगन प्रस्ताव १३१०

लंका की पुलिस द्वारा कुछ भारतीय राष्ट्रजनों पर बटेन चार्ज के बारे में लंका के प्रधान मंत्री का कथित वक्तव्य ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३१०

सभा का कार्य १३११–१२

कालका-दिल्ली-हावड़ा मेल की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य १३१३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १३१४—१६

काश्मीर की बाढ़ के समय भारतीय सेना की सहायता १३१३

चीनी के मूल्य में वृद्धि के बारे में प्रस्ताव १३१६—४८

विधेयक पुरस्थापित १३४८—५१

(१) श्री प्रकाश वीर शास्त्री का पिछड़ी जातियों (धार्मिक संरक्षण) विधेयक, १९५९ ।

विषय सूचि (क्रमशः)

पृष्ठ

(२) श्री अजित सिंह सरहदी का विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक, १९५९ (धारा २४ का संशोधन)

(३) श्री अजित सिंह सरहदी का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा ८१, ८२, ८६ और ११६–क का संशोधन तथा धारा ८८ और ८९ का लोप)

(४) श्री अजित सिंह सरहदी का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधयक, , १९५९ (धारा ४८८ का संशोधन)

(५) श्री झूलन सिंह का अनुचित विलम्ब और भ्रष्टाचार की पूर्वधारणा विधेयक, १९५९ ।

(६) श्री त० ब० विठ्ठल राव का कैथोलिक चर्च परिसर तथा पादरी संघ (राजनैतिक गतिविधि पर प्रतिबन्ध) विधेयक, १९५९ ।

(७) श्री त० ब० विठ्ठलराव का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५९ (नई धारा ७ : क का रखा जाना) ।

सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक १३५१

राय जानने के लिये नियत समय को बढ़ाने का प्रस्ताव

समान पारिश्रमिक विधेयक १३५२—५५

परिचालित करने का प्रस्ताव

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक १३५५—५७

(धारा १०७, १०९ और ११० का लोप तथा धारा १६१ का संशोधन)

विचार करने का प्रस्ताव १३५७—७८

दैनिक संक्षेपिका १३७८—८६

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

सोमवार, ३ अगस्त १९५९

१२ श्रावण, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पठासीन हुए]

सदस्य द्वारा सपथ ग्रहण

श्री शि० न० रामौल (महासू)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेडियो सक्रियता मापक उपकरण

*†१. श्री बर्मन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राम्बे के अणु शक्ति प्रतिष्ठान में रेडियो-सक्रियता मापक उपकरण तैयार किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या भारत के विश्व विद्यालयों और गवेषणा संस्थाओं को इसी प्रकार के उद्योग के लिये जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है उनका निर्माण भी ट्राम्बे में किया जा सकता है ; और

(ग) १९५८-५९ में इस प्रकार के कितने मूल्य के उपकरणों का आयात किया गया ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां।

(ख) अणुशक्ति प्रतिष्ठान ट्राम्बे में अन्य उपयोग करने वालों के लिये भी इस प्रकार के उपकरण तैयार किये जा सकते हैं। उपकरणों के लिये कई विश्व विद्यालयों एवं गवेषणा संस्थाओं द्वारा पहले ही निवेदन किया जा चुका है। जो उपकरण एक निर्धारित आकार-प्रकार के होते हैं

---

†मूल अंग्रेजी में

उनका संभरण बिना किसी कठिनाई के उपयुक्त समायोजन से कर दिया जाता है। अब तक इस प्रकार के ३० सेटों का संभरण किया जा चुका है। विशेष प्रकार के उपकरणों के बारे में जो प्रतिष्ठान के लिये नहीं तैयार किये जाते, बाहरी संस्थाओं के लिये विशेष रूप से तैयार कर दिये जाते हैं। इस प्रकार के ४३ आर्डर स्वीकार किये जा चुके हैं और १४ आर्डरों पर माल भी भेजा जा चका है। इलेक्ट्रानिक्स डिवीजन का उपयुक्त विकास हो जाने पर विश्वविद्यालयों और गवेषण संस्थाओं की अधिकाधिक मांग की पूर्ति की जा सकेगी।

(ग) विद्यमान व्यापार वर्गीकरण में इलेक्ट्रानिक उपकरणों के आयात के आंकड़े अलग अलग नहीं दर्ज किये जाते हैं। अतः मांगी गई जानकारी दे सकना संभव नहीं है।

†श्री बर्मन : फिल हाल उस इमारत को, जो स्टोर करने के लिये बनाई गई थी, रेडियो-सक्रियता मापक उपकरण तथा अन्य उपकरण बनाने के लिये काम में लाया जा रहा है। इस प्रकार के काम के लिये यह इमारत सर्वथा अनपयुक्त है और काम करने वालों को भी इस इमारत में असुविधा होती है। इस काम के लिये जो इमारत बनने वाली थी और जिस के बनाने में पहले से ही इतना विलम्ब हो चुका है, अब कब तक बन कर तैयार हो सकेगी ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जब तक कि मैं और आगे कुछ पूछ ताछ न कर लूं तब तक माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकूंगा। वह उस इमारत का उल्लेख कर रहे हैं जिस में कुछ सामान रखा गया है। यदि उन्हें पता नहीं है तो मैं निश्चय ही इसका पता लगाऊंगा।

†श्री बर्मन : यह उपकरण आगे होने वाली रेडियो-सक्रियता की जांच करने के लिये है जब कि उसे परीक्षण के लिये भेजा जायेगा। क्या कहीं रेडियो-सक्रियता को रोकने वाले उपकरण का निर्माण भी किया गया है और यदि नहीं तो क्या गवेषणा अनुभाग किसी ऐसे उपकरण को बनाने का प्रयत्न कर रहा है जो प्रयोगशाला में काम करते समय लोगों को रेडियो-सक्रियता से बचा सके ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : न केवल उनका निर्माण ही किया जा चुका है अपितु उनका नित्य प्रति प्रयोग किया जा रहा है। प्रत्येक काम करने वाले के पास हर समय इस प्रकार के उपकरण रहते हैं। किसी भी काम करने वाले को तब तक इमारत के अन्दर नहीं घुसने दिया जाता जब तक कि उसकी कलाई अथवा सीने आदि में इस प्रकार का रोकने का उपकरण न हो और उसके इमारत से बाहर निकलने पर उस उपकरण को नापा जाता है। अतः दैनिक रिकार्ड रखा जाता है। यदि माननीय सदस्य रोकने अथवा उपचार संबंधी उपायों की बात कह रहे हैं तो वह दूसरे विभाग की चीज है।

†श्री बर्मन : इस उपकरण से तो कितनी रेडियो-सक्रियता हुई है वह रिकार्ड हो जाती है और जिसकी जांच १४ दिन अथवा एक महीने में जब कि उस उपकरण को प्रयोगशाला में भेजा जाता है तब पता लगता है कि काम करने वाले के ऊपर रेडियो-सक्रियता का कितना असर पड़ा है। मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या संसार में किसी ऐसे औज़ार अथवा उपकरण की खोज की गई है जो प्रयोगशाला में काम करते समय की रेडियो-सक्रियता को रोक सके। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो क्या हमारा गवेषणा विभाग किसी ऐसे उपकरण की खोज करने में प्रयत्नशील है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इसी का उत्तर देने का तो मैं प्रयास कर रहा हूं। पहली चीज तो प्रकृति की रेडियो-सक्रियता को मापना है अर्थात् इस बात का पता लगाना है कि वे खनिज भूतत्वीय अथवा अन्य दृष्टियों से कौन-कौन से हैं। दूसरी बात स्थान विशेष में, प्रयोगशालाओं के द्वारा उस रेडियो-सक्रियता का माप करना है जिसका मानव पर प्रभाव पड़ता है। माननीय सदस्य यही

---

†मूल अंग्रेजी में

जानना चाहते हैं। इस बारे में मेरा कहना यह है कि प्रत्येक काम करने वाले को अपने पास ऐसा यन्त्र रखना पड़ता है जिस से यह पता लग सके कि तत्काल हो क्या उसके ऊपर रेडियो-सक्रिता का कुछ असर हुआ है ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या ट्राम्बे में जो औज़ार बनाये जाते हैं उन में छोटे छोटे जीजर काउण्टर भी शामिल हैं जो आणविक खनिजों की खोज करने में काम में लाये जाते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वहां बनने वाले कुछ औज़ारों के नाम ये हैं :—

(१) रेडियेशन मानीटर्स और डिटेक्टर्स, (२) पल्स ऐम्प्लीफायर्स, (३) स्केलर्स, (४) काउण्टर रेट मीटर, (५) डी. सी. ऐम्प्लीफायर्स, (६) पावर सप्लायर्स, (७) विविध इन विभिन्न औज़ारों के बारे में मैं और अधिक विस्तार से नहीं बता सकता ।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या वायुमण्डल में रेडियो-सक्रियता की वृद्धि की कोई माप की गई है। यदि ऐसा है तो भारत में सब से अधिक वृद्धि कहां हुई है और वह कितनी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम मूल प्रश्न से किसी दूसरे प्रश्न की ओर जा रहे हैं। मूल प्रश्न रेडियो-सक्रियता का पता लगाने के लिये संयंत्र बनाने के बारे में है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या माननीय मंत्री ने अभी जिन संयंत्रों और उपकरणों का उल्लेख किया है उनके साथ ही अलग कारखाना स्थापित किये जाने पर क्या भारत में जिन अन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें भी तैयार किया जा सकेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई अलग कारखाना स्थापित किया जायेगा। इस समय इनका निर्माण ट्राम्बे प्रतिष्ठान में किया जा रहा है किन्तु सदन को विदित है कि इलेक्ट्रानिक्स प्रतिष्ठान कहीं और स्थापित किया जा रहा है और इस में संदेह नहीं कि उसकी स्थापना हो जाने पर जिन औज़ारों की आवश्यकता है उन में से बहुत प्रकार के औज़ारों का निर्माण वहां किया जा सकेगा ।

कैनबरा हवाई जहाज की हानि के लिये क्षतिपूर्ति

+

†*२ श्री अ० मु० तारिक :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री वाजपेयी :
श्री आसर :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री राधा रमण :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

†मूल अंग्रेजी में

श्री पुन्नूस :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री रघुनाथ सिंह :
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री मुध्वया अम्बलम् :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार के कैनबरा हवाई जहाज की हानि के लिये क्षतिपूर्ति करने और उसके चालकों को पहुंची चोटों के लिये भुगतान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में भारत सरकार ने और आगे क्या कार्यवाही की है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). घटना को दुर्भाग्य-पूर्ण बताते हुए पाकिस्तान सरकार ने यह तर्क किया है कि हमारे विमान पर गोली चलाना न्यायोचित था । विमान के लिये क्षतिपूर्ति करने और चालकों को पहुंची चोटों के लिये भुगतान करने के बारे में हमारी मांग को पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया है। सरकार इस मामले में अभी आगे कार्यवाही कर रही है ।

श्री अ० मु० तारिक : पाकिस्तान हमारा एक दोस्त मुल्क है और कामनवैल्थ का मेम्बर है। पाकिस्तान की यह हरकत गैर-कानूनी थी। मैं इज्जत माब वजीर आजम से जानना चाहता हूं कि क्या इस सिलसिले में दीगर कामनवैल्थ मुल्कों की राय ली गयी और इस मामले को उनके नोटिस में लाया गया ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी नहीं, यह तो कोई दस्तूर नहीं रहा है कि कामनवैल्थ के मुल्कों को ऐसे मामलों में जज बनाया जाए। यह तो खतर-नाक उसूल होगा अगर हम इस को मंजूर करें।

†श्री आसर : क्या सरकार ने पाकिस्तान द्वारा किये गये अन्तर्राष्ट्रीय आचार के इस पूर्ण-रूपेण उल्लंघन के बारे में संसार की राय जानने का प्रयत्न किया था ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इस तथ्य की ओर समग्र संसार का ध्यान आकर्षित हुआ था और हमने इसका निर्णय लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। इसका काफी प्रभाव पड़ा है किन्तु उस राय को मैं माप नहीं सकता ।

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : उपमंत्री महोदया ने अभी बताया था कि सरकार इस मामले में आगे कार्रवाही कर रही है। चूंकि पाकिस्तान सरकार हमारे निवेदन को स्वीकार करने से इन्कार कर रही है , हमारी सरकार ने पाकिस्तान सरकार को मानने के लिये क्या वैकल्पिक प्रस्ताव रखा है अथवा क्या हमारी सरकार इसे पाकिस्तान सरकार द्वारा स्वीकार कराने के लिये इस काम को किसी अन्य प्राधिकार को सौंप रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** : पाकिस्तान सरकार द्वारा अपनी बात मनवाने के बारे में हमारी स्थिति क्या है, अथवा हमें क्या करना चाहिये, यह मामला ऐसा है जिसके बारे में मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहता।

†**श्री राधा रमण** : उपमंत्री महोदया ने अभी बताया कि इस मामले में कार्यवाही जारी है। संक्षेप में मैं यह जानना चाहूंगा कि किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है और यदि पाकिस्तान सरकार ने अन्तिम रूप से क्षतिपूर्ति करना अस्वीकार कर दिया है तो क्या हमारी सरकार घायल व्यक्तियों को कुछ प्रतिकर देने का विचार रखती है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह ठीक वही प्रश्न है जिसका उत्तर में अभी दे चुका हूं।

†**श्री त्यागी** : इस जहाज को गोली से उड़ा देने के लिये पाकिस्तान ने कहां के बने शस्त्र का उपयोग किया था, क्या सरकार ने इसका पता लगाया है?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री त्यागी** : मैं जानना यह चाहता था कि वह शस्त्र अमरीका द्वारा भेजा गया था अथवा नहीं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह सब विदित है कि इस प्रयोजन के लिये जिस हवाई जहाज का प्रयोग किया गया था वह अमरीका द्वारा संभरण किये गये जहाज की किस्म का था।

†**श्री त्यागी** : मैं यही जानना चाहता था।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : हमें बताया गया था कि पाकिस्तान प्राधिकारियों ने हमारे विमान चालकों से जबर्दस्ती हस्ताक्षर करवा लिये थे। क्या कोई शिकायत की गई है और अब जबकि हमारे विमान चालक को जो धक्का लगा था उससे वे ठीक हो गये हैं, क्या उनके पास से हमें कोई हवाला मिला है कि उनके हस्ताक्षर किस प्रकार लिये गये थे?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन चालकों के अच्छे होते ही हमें हवाला मिला था जिस पर प्रतिरक्षा मंत्री ने उस हवाले के आधार पर संसद् में एक वक्तव्य भी दिया था।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा प्रश्न यह है कि जबकि उनसे जबर्दस्ती हस्ताक्षर करवाये गये थे तो उस पर हमने क्या कार्रवाई की। हम तो केवल क्षतिपूर्त्ति की बात करते रहे। मैं तो यह जानना चाहता था कि इस जालसाजी के लिये पाकिस्तान प्राधिकार के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

†**अध्यक्ष महोदय** : हमारे न्यायालयों में उन पर किस प्रकार अभियोग चलाया जा सकता है?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : पाकिस्तान ने तो ऐसा किया था। दाण्डिक कार्रवाई भी की गई थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य वकील नहीं हैं।

†**श्री पाणिग्रही** : पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रतिकर भुगतना करने से अस्वीकार कर देने की दृष्टि से क्या भारत सरकार ने इस दावे को छोड़ देने का निश्चय कर लिया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि सदन इस मामले में अन्तिम प्रश्न नहीं वरन पहले वाले प्रश्नों के बारे में दिलचस्पी रखते हों और यदि आप अनमति दें तो मैं प्रतिरक्षा मंत्री से इस बारे में कुछ जानकारी मांग सकता हूं।

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : जहां तक मैं प्रश्न को समझता हूं वह केवल यह है कि क्या हमारे विमान चालकों द्वारा जो वक्तव्य दिया गया बताया जाता है उसकी प्रमाणिकता के बारे में हमने कुछ कहा है। उसी समय हमने इसे अस्वीकार कर दिया था और जहां तक मुझे स्मरण है मैंने संसद् को सूचित कर दिया था कि उन्होंने किसी भी विवरण पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं और जो हस्ताक्षर किये गये थे वे उनके हस्ताक्षरों से मिलते हुए नहीं हैं।

†श्री नाथ पाई : प्रश्न संख्या ४५ को भी श्री राम कृष्ण के प्रश्न के साथ ले लिया जाये।

†अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय प्रधान मंत्री प्रश्न संख्या ४५ का उत्तर पाकिस्तान के लिये जेट विमान संबंधी प्रश्न के साथ देने को तैयार हैं?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यदि आप चाहें तो निस्सन्देह मैं उत्तर दूंगा।

पाकिस्तान के लिये अमरीकी जेट बमवर्षक विमान

\+

†३. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री पुन्नूस :
श्री हेम राज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीका नें पाकिस्तान के लिये बहुत बड़ी संख्या में जेट योधक बमवर्षक विमान और हल्के जेट बमवर्षक विमानों की व्यवस्था की है;

(ख) क्या भारत सरकार ने अमरीकी प्राधिकारियों की जानकारी में यह बात लाई है कि उनके द्वारा पाकिस्तान को सैनिक उपकरण एवं विमानों का संभरण करने से इस देश पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या अमरीकी सरकार के पास से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(घ) किस प्रकार का उत्तर प्राप्त हुआ है?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) अमरीकी प्रतिरक्षा विभाग ने घोषणा की है कि अमरीका पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम के अधीन पाकिस्तान के लिये

†मूल अंग्रेजी में

उपयुक्त संख्या में जेट योधक बमवर्षक विमान एवं हल्के जैट बमवर्षक विमानों की व्यवस्था की है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). अमरीकी प्रधिकारियों के उत्तर की सामान्य रूप रेखा यह है कि संशोधित रूप में, पारस्परिक सुरक्षा अधिनियम, १९५४, के अधीन सैनिक सहायता का उपयोग केवल आन्तरिक सुरक्षा और यथोचित स्वरक्षा के लिये ही दी जा सकेगी।

पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता

†*४५. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायणन् दास :
श्री राधा रमण :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री कालिका सिंह :
श्री नाथ पाई :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अमरीका की राष्ट्रपति समिति[1] के प्रतिवेदन का अध्ययन किया है जिससे इस बात का पता लगाने के लिये कहा गया था कि क्या पाकिस्तान की सेना का गठन अमरीका की सहायता से इस प्रकार किया जा रहा है कि वह सोवियत संघ अथवा भारत के प्रतिकूल बने और जिसको यह पता लगा कि "वास्तव में पाकिस्तान के कुछ भागों में भय पैदा होने का संबंध भारत से है" ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†विदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) उपर्युक्त राष्ट्रपति समिति की नियुक्ति अमरीकी सैनिक सहायता कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिये की गई थी। दो अन्तरिम प्रतिवेदन जो इस समिति ने जारी किये हैं वे सामान्य नीतियों के बारे में हैं और उनमें पाकिस्तान का विशेष रूप से कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है।

समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार, अमरीकी कांग्रेस के समक्ष अपने बयान के दौरान में, समिति के सभापति श्री विलियम एच० ड्रेपर ने २३ जुलाई, १९५९ को कहा था कि अमरीकी सीनेट विदेश संबंध समिति के सभापति सिनेटर फुलब्राइट ने ड्रेपर समिति से इस बात का सुनिश्चय करने के लिये कहा था कि क्या पाकिस्तान सेना का अमरीकी सहायता से सोवियत अथवा भारत के विरुद्ध गठन किया था अथवा नहीं और इस वर्ष के आरम्भ में पाकिस्तान का दौरा करके ड्रेपर समिति को यह पता लगा है कि "निस्सन्देह ही पाकिस्तान के कुछ भागों के भय से भारत का संबंध है।"

(ख) सरकार ने अनेक अवसरों पर यह कहा है कि भारत के सैनिक आक्रमण की पाकिस्तान की आशंका सरासर निराधार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Presidential Committee.

अमरीका की पाकिस्तान को सैनिक सहायता पर भारत के लोगों की जो विपरीत प्रतिक्रिया हुई है वह अनेक अवसरों पर अमरीकी प्राधिकारियों को स्पष्ट बताई जा चुकी है।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या प्राप्त उत्तर में इस बात का कोई निश्चित आश्वासन दिया गया है कि इन सैनिक शस्त्रों का उपयोग किसी भी दशा में भारत के खिलाफ नहीं किया जायेगा ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इस बारे में अमरीकी सरकार की ओर से विभिन्न वक्तव्य दिये गये हैं। निश्चित रूप से यह कह सकना कठिन है कि उसका मतलब क्या है किन्तु जैसा कि अभी एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया जा चुका है कि वस्तुतः उसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है।

†श्री हेम बरुआ : इस प्रश्न के उत्तर में उपमंत्री महोदया ने कहा था कि अमरीका ने पाकिस्तान को बताया है कि जहां तक अमरीकी सेना के इस्तेमाल का संबंध है वह केवल कुछ ही अवसरों के लिये रखा गया है । क्या हमारे कैनबरा पर अमरीकी लड़ाकू विमान से गोली बरसाना उन शर्तों में आता है या नहीं ? क्या हमारी सरकार ने अमरीकी सरकार से अब तक इस बात को पूछा है अथवा नहीं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : स्पष्ट है इससे शर्त पूरी नहीं हो सकती। ऐसा बिना शर्त के किया गया था।

†श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या अमरीकी सरकार ने इस बात का सुनिश्चय किया है अथवा नहीं । हमारी अपनी राय यह है कि इससे कोई भी शर्त पूरी नहीं होती क्योंकि कैनबरा पर गोली चलाने के लिये इसका दुरुपयोग किया गया था। क्या अमरीकी सरकार को यह बात बताई गई है और क्या उसने हमारे प्रश्न का उत्तर दिया है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां। अमरीकी सरकार को इसकी जानकारी एक बार नहीं अनेक बार पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दी गई थी।

†श्री हेम बरुआ : उसने इसके बारे में क्या कहा है ? प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने यह कहा है कि अमरीकी बमवर्षक विमान का उपयोग हमारे कैनबरा पर गोली चलाने के लिये किया गया था।

†श्री नाथ पाई : चूंकि आपने प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के साथ प्रश्न संख्या ४५ को भी स्वीकृत किया है; अतः मैं उसका निर्देश कर रहा हूं। सीनेट जांच समिति के बयान में अमरीका के प्रमुख सैनिक प्राधिकारियों ने कहा था कि पाकिस्तान की विद्यमान सेना और प्रतिरक्षा व्यवस्था उसकी उचित सैनिक आवश्यकता से कहीं बढ़ कर है। इस बात को और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वे पाकिस्तान को सैनिक सहायता देत रहे हैं ; क्या हम इसके लिये पर्याप्त कार्रवाई कर रहे हैं कि हमारी प्रतिरक्षा भी पर्याप्त हो ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह प्रश्न तो हमारी प्रतिरक्षा पर्याप्त अथवा अपर्याप्त होने के बारे में है। स्वभाविक है कि सरकार पर्याप्त प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने और उसके लिये कार्रवाई करने में दिलचस्पी रखती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या समिति के समक्ष साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस मामले को और आगे बढ़ाया है, यदि ऐसा है तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह वहां की कांग्रेस का मामला है। हम उस समिति में कांग्रेस में इस मामले को और आगे कैसे बढ़ा सकते है। सामान्य प्रश्न को हम सदैव आगे बढ़ा सकते हैं।

†श्री कासलीवाल : जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने के बारे में अमरीकी कांग्रेस में कुछ वाद-विवाद हुआ था और कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से भी पता लगता है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता को कुछ सीमित करने के बारे में प्रतिरोध किया था। क्या सरकार को इस बात की कुछ जानकारी है कि इस प्रतिरोध पर अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं किसी कल्पित प्रश्न का किसी व्यक्ति पर क्या प्रतिक्रिया होगी, कोई उत्तर नहीं दे सकता।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : अमरीकी राजदूत द्वारा दिये गये वक्तव्य को देखते हुए कि पाकिस्तान को दिये गये सैनिक शस्त्रों का उपयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जायेगा क्या इस बारे में अमरीकी राजदूत के पास कैनबरा बमवर्षक पर हवाई जहाज से गोली बरसाने और अमरीका द्वारा पाकिस्तान सरकार को सैनिक शस्त्रों का संभरण करने के बारे में कोई औपचारिक प्रतिरोध किया गया है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं अभी कह चुका हूं कि ऐसा किया जा चुका है।

†श्रीमती मफीदा अहमद : क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान ने भी अमरीका को जमीन और पानी दोनों पर चलने वाली ४०० सैनिक ट्रकों का संभरण किया है। यदि ऐसा है तो क्या अमरीकी सरकार से इसका कोई स्पष्टीकरण मांगा गया था कि पाकिस्तान सेना द्वारा इन ट्रकों का क्या उपयोग किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान और सोवियत रूस अथवा चीन और पाकिस्तान के बीच जलमार्ग है ही नहीं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हमें इन ट्रकों के बारे में समाचार मिले हैं। एक बार तो अमरीकी प्राधिकारियों ने इस समाचार के बारे में इन्कार कर दिया था। किन्तु अन्य सूत्रों से पता चलता है कि कुछ ऐसी गाड़ियां अमरीका को प्राप्त हुई हैं। किस प्रयोजन के लिये ये गाड़ियां ली गई हैं; इस बारे में यह कहा जा सकता है कि सामान्यतः ये हिमालय के पूर्वी अथवा पश्चिमी ओर प्रयान करेंगी।

लंका में भारतीय

+

†*४. श्री नारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री आसर :
श्री सुब्बया अम्बलम् :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंका में रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की समस्या के बारे में लंका और भारत सरकार के बीच जो वार्ता और वाद-विवाद हुए उनका क्या परिणाम निकला;

(ख) क्या इस बारे में चर्चा अन्तिम रूप से की जा चुकी है अथवा अभी जारी हैं; और

(ग) इस बारे में किस प्रकार के प्रस्तावों पर बातचीत हुई ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) लंका में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के संबंध में लंका और भारत सरकार के बीच हाल में कोई औपचारिक वार्ता नहीं हुई है।

(ख) और (ग). अभी जो कुछ कहा गया है उसे देखते हुए ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†श्री श्रीनारायण दास : क्या निकट भविष्य में इस प्रकार की वार्ता शुरू होने की कोई संभावना पाई जाती है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : निकट भविष्य में नहीं। वार्ता होने की सदैव संभावना है किन्तु उसके लिये कोई तात्कालिक तारीख अथवा प्रस्ताव नहीं है ।

†श्री श्रीनारायण दास : क्या इस समय लंका में रहने वाले भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों में कमी हुई है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं प्रश्न को भली भांति नहीं समझ सका वहां कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम अपने राष्ट्रीय नहीं समझते और जिनके बारे में हम समझते हैं कि उन्हें लंका के राष्ट्रीय होना चाहिये। लंका की सरकार इस बात पर तैयार नहीं है । माननीय सदस्य का राजनीतिक अधिकारों से क्या मतलब है, यह मैं नहीं समझ सका । वे लंका में रहते हैं किन्तु उनमें से अधिकांश निर्वाचन–सूची में नहीं हैं। वे भारत के राष्ट्रजन नहीं हैं।

†श्री श्रीनारायण दास : इस बारे में कुछ अभ्यावेदन किया गया था कि उन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं किन्तु कुछ हो गया है जिसके कारण उनके ये अधिकार वापस ले लिये जाने वाले हैं। क्या यह सच है ?

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बड़ा विशद है ।

†डा० मा० श्री अणे : उन भारतीयों की संख्या कितनी है जो लंका के राष्ट्रीय हो चुके हैं और कितने आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये गये हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं समझता हूं कि आज इस बारे में एक प्रश्न पूछा जाने वाला है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : २,३७,०३४ आवेदन पत्र दिये गये थे और इसमें से ८.५ लाख लोग शामिल किये गये थे। अप्रैल, १९५९ के अन्त तक १,०३,५७० लोगों को लंका की राष्ट्रीयता प्रदान की गई है।

†श्री तंगामणि : भारतीय उद्भव के लंका में रहने वाले वे लोग जिन्होंने नागरिकता के अधिकार प्राप्त करने के लिये आवेदन किया है और जो उन्हें अस्वीकार कर दिये गये थे, क्या उनसे अब देश छोड़ कर भारत जाने के लिये कह दिया गया है। यदि ऐसा है तो क्या हमारे पास उन लोगों की सूची है जिनसे भारत जाने के लिये कहा गया है।

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : वे पहले से ही नागरिक हैं। वे अब नागरिकता के अधिकारों के लिये आवेदन नहीं कर सकते।

†श्री तंगामणि : उपमंत्री महोदया ने अभी कहा कि कुछ आवेदनपत्रों में से केवल एक लाख के लगभग आवेदन स्वीकार किये गये हैं। मैं उन लोगों की स्थिति जानना चाहूंगा जिनके आवेदनों पर भी तो विचार ही नहीं किया गया है अथवा वे अस्वीकृत कर दिये गये हैं।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : वे लंका में अनिश्चित दशा में रह रहे हैं। उनसे लंका छोड़ने के लिये नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो उन्हें अपना नागरिक कह सके। जब तक हम उन्हें अपना नागरिक न स्वीकार कर लें तब तक वे भारत नहीं आ सकते। अतः वे लंका में ही हैं।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी क्या सरकार के सामने लंका में रहने वाले उन लोगों को नागरिकता के अधिकार दिलाने का कोई प्रस्ताव विचारणीय है जिनके आवेदन पत्र अस्वीकार किये जा चुके हैं, बशर्ते कि वे हमारे यहां की नागरिकता स्वीकार कर लें ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : ऐसा कोई सामान्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। व्यक्तिगत मामले पर वैयक्तिक गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है चाहे वे भारतीय नागरिकता की शर्तें पूरी करते हों अथवा नहीं और चाहे उन्होंने अपना आवेदन स्वेच्छा से दिया हो अथवा मजबूरी में दिया हो।

†श्री सुब्बया अम्बलम् : हमारे राष्ट्रपति के हाल के दौरे में लंका के प्रधान मंत्री द्वारा उन्हें दिये गये आश्वासन को ध्यान में रखते हुये कि इस मामले पर मानवीय दृष्टि से विचार किया जायेगा, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या हमारी सरकार इस मामले में और आगे कार्यवाही करके इसे यथाशीघ्र तय करने का प्रयत्न करेगी ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं समझता कि हमारे राष्ट्रपति से जो वार्ता हुई उस पर यहां चर्चा की जाय। उस अर्थों में यह वार्ता औपचारिक वार्ता नहीं थी। यह तो सद्भावना की बात थी, जिसका हम निस्सन्देह स्वागत करते हैं। किन्तु यह मामला ऐसा है जो हमारे और हमारे उच्चायुक्त के सामने हमेशा ही रहता है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

रोजगार

+

†*५. श्री हरिश्चन्द्र, माथुर :
श्री पाणिग्रही :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हेम राज :
श्री एन्थोनी पिल्ले :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-कृषि-क्षेत्र में (१) शिक्षित तथा (२) अन्य व्यक्तियों में बेरोजगार लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों में रोजगार की सम्भावना क्या है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। फिर भी, कामदिलाऊ दफ्तरों की सांख्यकी से विदित होता है कि मई १९५९ के अन्त में देश के काम दिलाऊ दफ्तरों में १२.५ लाख काम चाहने वाले व्यक्तियों के नाम दर्ज थे ।

(ख) योजना के अन्तिम दो वर्षों में ३५ लाख व्यक्तियों को काम देने का अनुमान किया गया है ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या सरकार ने सार्वधिक श्रमिक वर्ग सर्वेक्षण की कोई योजना निश्चित कर ली है। और यदि हां तो, वह योजना क्या है एवं क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : हमने पिछले दिनों केन्द्रीय रोजगार समिति का प्रथम अधिवेशन बुलाया था तथा उसमें अन्य प्रश्नों के साथ इस प्रश्न पर भी विचार किया गया था। रोजगार सूचना सम्बन्धी हमारी योजना के अच्छे परिणाम निकल रहे हैं तथा राजगार, सम्बन्धी जानकारी का क्षेत्र विस्तृत हो रहा है। श्रमिक वर्ग सर्वेक्षण पर हम राज्य सरकारों की सहायता से विचार कर रहे हैं ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच है कि १९५६ के उपरान्त बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या डेढ़ गुनी हो गई है ? १९५६ में यह संख्या ७.६ लाख थी और अब १२ लाख से भी अधिक है। क्या केन्द्रीय समिति ने इन शेष दो वर्षों में रोजगार क्षमता बढ़ाने का कोई ढंग सुझाया है ?

†श्री नन्दा : इस चालू रजिस्टर के आंकड़ों से माननीय सदस्य ने जो परिणाम निकला है वह सर्वथा ठीक नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि बेकारी में कथित अनुपात से वृद्धि हुई है। उन आंकड़ों का यह महत्व नहीं है। फिर भी यह ठीक है कि बेकारी बढ़ गई है। की जाने वाली कार्यवाही पर केन्द्रीय रोजगार समिति ने विचार किया

†मूल अंग्रेजी में

है तथा इस बारे में कार्यवाही करने के लिये उप-समितियां नियुक्त की हैं। शीघ्र ही इस प्रश्न पर विचार करने के लिये अर्थशास्त्रियों की एक तालिका की बैठक होगी।

†**श्री पाणिग्रही :** योजना आयोग ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में १२० लाख नये व्यक्तियों को रोज़गार देने का निश्चय किया था। इन चार वर्षों में १२० लाख व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है ?

†**श्री नन्दा :** साधारण रूप में अनुमान लगाया गया था कि कृषि-अतिरिक्त-क्षेत्र में १० लाख से कुछ अधिक रोज़गार प्रति वर्ष उत्पन्न हुए। आशा है कि शेष दो वर्षों में इस में और भी वृद्धि होगी क्योंकि अपेक्षाकृत अधिक धन लगाया जायेगा और संभव है कि कृषि-अतिरिक्त-क्षेत्र में हमारे आंकड़े ६५ लाख हो जायें।

श्री जगदीश अवस्थी : जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी कहा है, इस देश में बेकारों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या सरकार ने कभी इस सुझाव पर विचार किया है कि जब तक बेकारों को काम न दिया जा सके तब तक उन को भत्ता दिया जाय ? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री नन्दा : भत्ता देने का सवाल तो नहीं है, काम देने की कोशिश होनी चाहिये। इस के लिये गांवों में ही ऐसी योजना रही हैं कि छोटे छोटे काम ज्यादा बढ़ाये जायें जिस से बहुत ज्यादा लोगों को काम मिल सके।

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि भाखरा डैम के मुकम्मिल होने पर वहां पर जो २०,००० के करीब स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबरर्स बेकार हो जायेंगे उन की रोजी का क्या इन्तजाम किया जायेगा ?

श्री नन्दा : इसके लिये तो बन्दोबस्त है ही। आगे भी जिन योजनाओं के खत्म होने पर जो काम करने वाले लोग बेकार हो जाते हैं उन को दूसरी योजनाओ पर भेजने के लिये एक संस्था बनी हुई है, एक्स्चेन्जेज बने हुए हैं। और इस में काफी सफलता मिली है। मुझे उम्मीद है कि उन लोगों के बारे में भी सफलता मिलेगी।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** बेकारी दूर करने या कम करने के लिये सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है ? क्या इस कार्यवाही में बेकारी भत्ता भी सम्मिलित है ? यदि इस में बेकारी भत्ता सम्मिलित नहीं है, तो आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे ?

†**श्री नन्दा :** बेकारी–भत्ता बेकारी का समाधान नहीं है। अतः हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम विभिन्न प्रकार के रोज़गारों में वृद्धि करने पर विचार कर रहे हैं और बड़ी कार्यवाही अधिक धन लगाने की है। यद्यपि द्वितीय योजना में विनियोजन थोड़ी मात्रा में हुआ है फिर भी यह प्रथम योजना में हुये विनियोजन की अपेक्षा दुगना है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** कृषि में ऐसे बेकार व्यक्तियों की संख्या पिछले अनुमानानुसार कितनी है जिन्हें वर्ष में ८ से १० मास तक काम नहीं मिलता ?

†**श्री नन्दा :** इन आंकड़ों का विश्लेषण हो गया है। मैं विस्तृत जानकारी दे सकता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मूलभूत भेषजों के निर्माण के लिये कारखाने

+

†*७. श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री उस्मान अली खां :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री पुन्नूस :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री आसर :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री पहाड़िया :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री आचार :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १९ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूलभूत भेषजों के निर्माण के लिये उत्पादन एकक स्थापित करने के सम्बन्ध में सूची विशेषज्ञों के प्रतिवेदन पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निश्चय किये गये हैं ;

(ग) आरम्भ की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं के प्राक्कलन क्या हैं; और

(घ) मूलभूत भेषजों के निर्माण के लिये कारखाने स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) भेषजों, औषधियों और शल्य-उपकरणों के निर्माण के सरकारी उपक्रमों की स्थापना में सहयोग करने के लिये रूस सरकार के साथ एक करार हुआ है । करार की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । परियोजनाओं के सम्बन्ध में सरकार ने आगे कार्यवाही करने का निश्चय कर लिया है ?

(ग) तथा (घ). इन परियोजनाओं के प्रारम्भिक प्राक्कलन १९ मार्च, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं । निश्चित प्राक्कलनों की प्राप्ति के बारे में भारत और रूस दोनों में कार्य हो रहा है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या मूलभूत भेषजों के निर्माण के कारखानों के लिये स्थान निश्चित कर लिया गया है; और यदि हां, तो वह स्थान कहां है ? स्थान का निर्णय करने में किन विविध परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : आशा है कि स्थान समिति का प्रतिवेदन इस मास प्राप्त हो जायेगा। हमारी नीति यह है कि आर्थिक विचारों के साथ-साथ बड़े-बड़े उद्योग यथासम्भव रूप में तितर बितर हों, विशेषकर पिछड़े हुये क्षेत्रों में ।

†श्री सुबोध हंसदा : इस कारखाने की स्थापना के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

†श्री मनुभाई शाह : जैसा कि सभा को विदित है ऋण ८०० लाख रूबल या ९·६ करोड़ रुपये का है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री ने बतलाया कि इसके स्थानों का निर्णय करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है, मैं जानना चाहता हूं कि समिति के कौन-कौन से सदस्य हैं और वह कब तक अपनी रिपोर्ट देगी ?

श्री मनुभाई शाह : प्लानिंग कमिशन के एडवाइजर मि० मून इसके चेअरमैन हैं। इसमें डा० नागराज राव , डा० बसु और दो-तीन अन्य सदस्य हैं ।

†श्री उस्मान अली खां : क्या सरकार इस परियोजना के परिणामस्वरूप भेषजों के मूल्य में कमी की आशा करती है और, यदि हां, तो कितनी ?

†श्री मनुभाई शाह : अभी यह नहीं कहा जा सकता परन्तु हमारा पिछला अनुभव बहुत उत्तम रहा है। ज्यों-ज्यों हमारे उत्पादन में वृद्धि हुई वैसे ही वैसे प्रत्येक औषधि, भेषज और अन्य उपकरणों के मूल्यों में कमी हुई ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह सोवियट डेलिगेशन काश्मीर भी गया था और उसने अपनी रिपोर्ट में जो गवर्नमेंट आफ इंडिया को दी थी उसमें यह पेशकश की थी कि काश्मीर बेहतरीन जगह है उन चन्द जगहों में से जहां कि यह इंडस्ट्री कायम की जा सकती है और काश्मीर चूंकि इस लिहाज से बहुत बैकवर्ड है मैं जानना चाहता हूं कि हुकूमत क्या कुछ कर रही है ?

श्री मनुभाई शाह : जम्मू और काश्मीर में एलकेलायड्स के बारे में कुछ होना चाहिये ऐसी भारत सरकार की पहले से राय है। जहां तक सोवियट डेलिगेशन की रिपोर्ट का ताल्लुक है उन्होंने कोई लोकेशन और इंडिकेशन नहीं दिया और इस वक्त चूंकि सब जगह से बहुत सी डिमांड्स आ रही थीं कि अलग-अलग जगहों पर प्रांजेक्ट्स लगाये जांय इसलिये एक खास समिति नियुक्त की है और हमारी आशा है कि जितना भी विकेन्द्रीकरण सम्भव हो सकेगा हम लोग सब बातों को देखते हुये करेंगे ।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : क्या सरकार को विदित है कि स्थान समिति केरल राज्य बिल्कुल नहीं गई और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : प्रत्येक समिति के लिये प्रत्येक क्षेत्र का भ्रमण करना आवश्यक नहीं है। परन्तु केरल राज्य से अनेकों ज्ञापन पत्र आये हैं तथा वे सब समिति के समक्ष रख दिये गये हैं ।

†श्री वें० प० नायर : फाइटो-केमिकल प्लांट की स्थापना के लिये किन-किन राज्यों ने आग्रह किया है और क्या इस पर कोई निश्चय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : पूर्ण निश्चय समिति के प्रतिवेदन के आधार पर किया जायेगा जिसकी हमें इस मास में प्राप्त होने की आशा है। मुख्य कर काश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिमी बंगाल और अन्य ३ या ४ राज्य फाइटो केमिकल प्लान्ट के लिये आग्रह कर रहे हैं। व्यवहारतः प्रत्येक राज्य प्रत्येक परियोजना की मांग करता है।

आन्ध्र पेपर मिल, राजामुन्दरी

+

†*८. { श्री नागी रेड्डी :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २६ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र पेपर मिल राजामुन्दरी के लिये पूंजीगत सामान के संभरण के लिये जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के साथ वार्ता समाप्त हो गई है ;

(ख) यदि नहीं तो, विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विस्तार कार्यक्रम आरम्भ होने की संभावना है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से प्राप्त मूल्योकथन ऊंचा एवं उसकी और जांच की आवश्यकता होने के कारण आन्ध्र प्रदेश सरकार की प्रार्थना पर जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के विशेषज्ञों की सेवायें स्थापना-स्थल पर अध्ययन करने एवं प्रस्तावित संयन्त्र की टेक्निकल बातों पर विचार विमर्श करने के लिये प्राप्त की जा रही हैं।

(ग) द्वितीय योजना काल विस्तार होगा परन्तु संभव है कि यह कार्य तृतीय योजना के आरम्भ में पूर्ण हो।

†श्री नागी रेड्डी : जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से विशेषज्ञ भेजने की प्रार्थना कब की गई है तथा क्या इस वर्ष उनसे कोई और प्रतिवेदन प्राप्त होने की आशा है ?

†श्री मनुभाई शाह : मेरा यही विचार है। इस वर्ष ही विशेषज्ञ अपना प्रतिवेदन दे देंगे और हमें आशा है कि हम इस वर्ष की समाप्ति से पहिले वार्ता समाप्त कर लेंगे क्योंकि मामला पर्याप्त समय से अनिश्चित पड़ा है। परियोजना पर शीघ्र अन्तिम निश्चय करने की दृष्टि से हमने मुख्य मंत्री से प्रार्थना की है कि वह केन्द्र को अन्य कई वार्तायें करने का अधिकार दे दे।

†श्री नागी रेड्डी : मिल्स के विस्तार पर कुल कितना व्यय होगा और क्या इस विस्तार के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा केन्द्रीय सरकार ने नियत कर दी है ?

†श्री मनुभाई शाह : इस आकार के संयन्त्र का समूचा प्राक्कलन लगभग ५ करोड़ रुपये का है जिसमें से २.५ से ३ करोड़ रु० विदेशी मुद्रा में होगी। वार्ता के निश्चित होने और भुगतान की शर्तों के स्वीकृत होने पर ही आवंटन किया जायेगा।

†श्री हेडा : इस विस्तार के होने के उपरान्त कुल कितना उत्पादन होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : यह लगभग १५,००० से १८,००० टन प्रति वर्ष सफेद छपाई का काग़ज होगा ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : माननीय मंत्री ने कहा है कि जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य का मूल्योकथन बहुत ऊंचा था । यह कितना ऊंचा था ?

†श्री मनुभाई शाह : यह बताना बहुत ठीक न होगा परन्तु यह अति अधिक ऊंचा था ।

सेलखड़ी खान में दुर्घटना

†*६. { श्री रघुनाथ सिंह :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२ मई, १९५९ को हैदराबाद से लगभग १८० मील की दूरी पर यलेन्दु तालुका के सुद्दीमल्ला गांव की सेलखड़ी की खानों में घटित एक दुर्घटना के परिणामस्वरूप आठ जीवित श्रमिक उसमें दब गये ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या था ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) हां ।

(ख) दुर्घटना खान की एक ओर के गिर जाने से हुई ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि आठ आदमी जिन्दा जो इसके अन्दर आ गये, उन लोगों के परिवार के लोगों को अभी तक सरकार की तरफ से कोई हर्जाना दिया गया या नहीं ?

श्री आबिद अली : हर्जाना जो क़ायदे से उनका हक है वह उनके रिश्तेदारों को मिल गया होगा या मिल जायेगा ।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस एक्सीडेंट से कितने दिन पहले किसी इंस्पैक्टर ने वहां कोई इनक्वायरी की थी या उन माइंस् को देखा था और अगर उनको नहीं देखा था तो क्या रिपोर्ट की थी ?

श्री आबिद अली : उनको तो नहीं देखा था लेकिन बहुत सी खामियां पाई गई हैं जिसके कि लिये स्टेट गवर्नमेंट को लिखा गया है कि यह लीज रद्द कर दिया जाय और उस खान के मालिक के खिलाफ फौरन क़ायदे के मताबिक कार्यवाही भी की जा रही है ।

†श्री मोहम्मद इलियास : क्या इस खान में यह दुर्घटना होने से पहले किसी खान निरीक्षक ने इसकी जांच की थी ?

†श्री आबिद अली : नहीं, श्रीमान ।

†श्री मोहम्मद इलियास : क्यों ?

†श्री आबिद अली : मैं बता चुका हूं इस पट्टेदार-विशेष ने अधिनियम कई बार उल्लंघन किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या मालिक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, अर्थात् क्या कोई अभियोग चलाया जा रहा है ?

†श्री आबिद अली : खान अधिनियम की अनेकों धाराओं के अधीन कार्यवाही की जा रही है और पट्टा भी रद्द किया जा रहा है ।

†श्री मोहम्मद इलियास : क्या इस दुर्घटना के कारण खान-मालिक पर कोई अभियोग चलाया गया है ?

†श्री आबिद अली : मैंने अभी कहा है कि वे चलाये जा रहे हैं ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कच्चे पटसन का क्रय

†*१०. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी फसल में राज्य व्यापार निगम द्वारा कच्चा पटसन कम करने का है; और

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा क्रम किये जाने के कारण पटसन उत्पादकों को मिलने वाले लाभ का कोई मूल्यांकन किया गया है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) भावी नीति विचाराधीन है ।

(ख) हां, श्रीमान । राज्य व्यापार निगम के क्रय और कुछ निर्मातों व पटसन मिलों द्वारा किये गये अधिक्रय के परिणामस्वरूप कलकत्ता में "आसाम बटमस" का मूल्य लगभग आधे से एक रु० प्रति मन तक बढ़ गया ।

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यह योजना केवल गत वर्ष लागू की गई थी ?

†श्री कानूनगो : हां, श्रीमान ।

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या यह सच नहीं है कि योजना वर्ष के अधिकतर मास समाप्त होने पर लागू की गई थी तथा उत्पादक कुछ उत्पादन बाजार में बेच चुका था अतः उत्पादकों को बहुत थोड़ा मूल्य मिला ?

†श्री कानूनगो : फसल की प्रगति के साथ मूल्यों में सुधार न होने के कारण ही योजना आरम्भ की गई थी ।

†श्री अ० चं० गुह : राज्य व्यापार निगम ने कुल कितनी मात्रा में क्रय किया और किस मूल्य पर तथा राज्य व्यापार निगम ने कितनी मात्रा निर्यात की ?

†श्री कानूनगो : कुल लगभग ७०,००० मन क्रय किया गया ।

†श्री अ० चं० गुह : कितनी बेलें ?

†श्री कानूनगो : एक बेल ४०० मन का होता है । निर्यात लगभग दो लाख बेलों का हुआ और अब भी हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त्यागी : क्या इन पटसन उत्पादकों की सहकारी सम्मितियां बनाने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

†श्री कानूनगो : जहां सहकारी आन्दोलन अधिक है वहां उनकी समितियां बन गई हैं परन्तु जहां यह अधिक नहीं है वहां नहीं बनी हैं ।

†श्री त्यागी : क्या इन सहकारी समितियों के बनने पर उन्हें पटसन का क्रय उन्हें देने का विचार है ?

†श्री कानूनगो : हां, श्रीमान । राज्य व्यापार निगम की नीति केवल सहकारी समितियों से क्रय करने की है ।

†श्री अन्सार हरवानी : क्या यह सच है कि जब बाजार में राज्य व्यापार निगम ने पदार्पण किया है तब से पटसन का निर्यात घट गया है ?

†श्री कानूनगो : नहीं, श्रीमान् । वास्तव में, निर्यात केवल राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया है ।

†श्री अ० चं० गुह : सहकारी संस्था से राज्य व्यापार निगम के एजेन्ट के रूप में काम लेने सरकार की नीति कहां तक सफल रही है और आगामी वर्ष इस सहकारी संस्था के लिये क्या कार्यक्रम है ?

†श्री कानूनगो : मैंने कहा था कि कुछ राज्यों में सहकारी समितियां सुदृढ़ हैं, अर्थात्, जहां राज्य संस्था उत्तम है। जहां राज्य संस्था कुशल नहीं है वहां यह आन्दोलन ठीक व्यवस्थित नहीं है । अतः यह सब राज्यों पर निर्भर है ।

†श्री अ० चं० गुह : मेरा प्रश्न यह था कि वे कितने क्षेत्रों में सहकारी संस्था को राज्य व्यापार निगम का एजेन्ट बनाने में सफल रहे हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : सहकारी समितियां बनाना राज्य सरकारों का काम है। वे जानते हैं कि हमने निश्चय किया है कि राज्य व्यापार निगम केवल सहकारी समितियों से कच्चा पटसन क्रय करेगा। हमें आशा है कि प्रत्येक राज्य सहकारी समितियां बनायेगा। उनमें से कई ने उत्तम सहकारी समितियां बनाई हैं। हमें यह भी आशा है कि और अच्छी सहकारी समितियां बनाई जायेंगी तथा हमारा सारा क्रय उन्हीं से होगा ।

†श्री दामानी : राज्य व्यापार निगम द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा क्रय किये जाने वाले पटसन का सरकार क्या करेगी ? क्या वे इसका निर्यात करेंगे या बाजार में बेचेंगे ?

†श्री कानूनगो : दोनों काम । उद्देश्य यह है कि बाजार में भाव कम होने पर बाजार में आया जाये ।

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या सरकार यह निश्चित करने के लिये कि उत्पादकों को समुचित मूल्य प्राप्त हो, पटसन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता पर विचार करेगी ?

†श्री कानूनगो : नहीं, श्रीमान् । अनेकों समितियों ने इस प्रश्न पर विचार किया है और निश्चित किया है कि अभी न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का समय नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय

*११. **श्री वाजपेयी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू-नून समझौता होने के बाद से पूर्व बंगाल की भारतीय सीमा से कुल मिला कर अब तक कितने भारतीय नागरिक पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत किये गये ;

(ख) उनमें से कितने भारतीय अब तक छोड़ दिये गये हैं; और

(ग) शेष व्यक्तियों की रिहाई के लिये क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) १३३ (एक सौ तैंतीस)।

(ख) ८० (अस्सी) ।

(ग) सितम्बर १९५८ में प्रधान मंत्रियों का जो करार हुआ था, उसके मुताबिक यह व्यवस्था थी कि जो लोग भगा लिया गये थे, उन्हें गिरफ़तारी के बाद २४ घंटों के भीतर-भीतर दोनों तरफ़ से वापस भेज दिया जाय। राज्य सरकारें और भारत सरकार पाकिस्तानी अधिकारियों से इस करार पर अमल कराने की पूरी कोशिश करती रही हैं और जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है, इसमें उचित सफलता मिली है। जिन्हें छोड़ा नहीं गया है उनके बारे में यह कहा गया है कि उन पर किसी न किसी अपराध के कारण मुक़दमा चल रहा है। उनकी ओर से पूरी कोशिश की जा रही है ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या पाकिस्तान में जलों में सड़ने वाले भारतीयों को विधि सम्बन्धी सहायता देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है और, यदि हां, तो, कितनी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : नहीं, श्रीमान्। हमारी जानकारी के अनुसार विधि सम्बन्धी सहायता देने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। साधारणतया, हमें यह भी ज्ञात नहीं है कि उनके विरुद्ध कोई मामला है।

†**श्री वाजपेयी** : क्या पाकिस्तानी जेलों में इन भारतीयों के साथ हो रहे व्यवहार की कोई जानकारी है और क्या वह व्यवहार सन्तोषजनक है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्रीमान्, यह सामान्य प्रश्न का भाग है। मैं इसका उत्तर एकदम नहीं दे सकता ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री को विदित है कि कुछ अपहरण के मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों को जांच के लिये सैनिक न्यायालयों में भेजा गया ? क्या पाकिस्तान में हमारे उच्चायुक्त ने इन जांचों की सूचना दी थी और क्या हमारे उच्चायुक्त ने इनसे भेंट करने की कोई कार्यवाही की थी या किसी प्रकार की कोई सहायता, विधि सम्बन्धी या अन्य, इन व्यक्तियों की दी थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां भारतीय राष्ट्रजनों का सम्बन्ध है, यह जानना कि उनके साथ क्या हुआ और उन्हें यथासंभव सहायता देना, वहां स्थित हमारे उच्चायुक्त का काम है। यह सामान्य स्थिति है, परन्तु यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले के बारे में जानना चाहें तो मैं पूछ सकता हूं ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या पाकिस्तान में कोई भारतीय पदाधिकारी अब तक पाकिस्तानी जेल में किसी भारतीय से मिला है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस प्रश्न का उत्तर मैं एक दम नहीं दे सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत-पाकिस्तान सीमांकन

†*१२. **श्री विद्या चरण शुक्ल :**
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अमर सिंह डामर :

क्या **प्रधान मंत्री** १६ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १२४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाकिस्तान सीमांकन में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या पठारिया वन का सीमांकन हो गया है ;

(ग) क्या तुफरग्राम को, जिसे पाकिस्तान ने बलपूर्वक ले लिया है, पाकिस्तान से लेने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने पश्चिमी सीमा पर कच्छ की खाड़ी के एक भाग पर कुछ दावे किये हैं, और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) प्रगति दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १]**

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) सितम्बर, १९५८ में भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों में हुये करार के अनुसार आसाम और पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य सचिवों की बैठक के लिये पाकिस्तान सरकार से आग्रह किया गया है ।

(घ) हां, श्रीमान् ।

(ङ) फरवरी १९५९ में पाकिस्तान सरकार को भेजे गये एक पत्र में कहा गया था कि दावे निराधार हैं । इस पत्र का कोई उत्तर नहीं आया है ।

सीमांकन

†४३. **श्री सुबिमल घोष :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल और सिल्हट सम्बन्धी रैडक्लिफ पंचाट के अनुबन्ध ख के अनुसार कोई मानचित्र प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो मानचित्र किस के निरीक्षण व प्राधिकार में प्रकाशित हुआ है ;

(ग) बंगाल और सिल्हट के बीच सीमांकन का आधार क्या है; और

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके प्रकाशन के लिये अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (घ), रैडक्लिफ पंचाट भारत सरकार या पाकिस्तान सरकार से यह नहीं कहता कि वे पंचाटों के अनुबन्धानुकूल कोई मानचित्र प्रकाशित करें। मानचित्र सम्बन्धी ये अनुबन्ध पंचाट में केवल उदाहरणार्थ संलग्न किये गये थे। पंचाटों में विशेषरूप से कहा गया था यदि वर्णन और संलग्न मानचित्र में कोई अन्तर हो तो वर्णन मान्य होगा।

पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान के बीच सीमा सम्बन्धी रैडक्लिफ पंचाट में एक अनुबन्ध "ख" है। जिसमें संलग्न मानचित्र है। इस अनुबन्ध का सम्बन्ध सिलहट से नहीं है, जिला सिलहट का विभाजन सम्बन्धी रैडक्लिफ पंचाट में नत्थी किये गये मानचित्र पर 'क' अंकित था।

पश्चिमी बंगाल—पूर्वी पाकिस्तान का सीमांकन रैडक्लिफ तथा बर्गे पंचाटों में वर्णन के अनुसार किया गया है। इस सीमा की लगभग ९० मील सीमा का अभी सीमांकन होना शेष है। कछार (आसाम)—सिलहट क्षेत्र का सीमांकन पठारिया संरक्षित वन तथा कुसियारा नदी के मामले के अनिश्चित पड़े रहने के कारण स्थगित पड़ा है। विस्तृत मान चित्र केवल सीमांकन पूर्ण होने पर ही तैयार हो सकते हैं।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : नेहरू-नून करार के अनुसार राज्य क्षेत्रों के हस्तान्तरण के प्रश्न पर राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय का मत मांगा था। क्या सर्वोच्च न्यायालय से कोई उत्तर आया है? यदि नहीं, तो सरकार को वहां से कब तक उत्तर पाने की आशा है?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : अक्टूबर में बयान होगा।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : इस स्टेटमेंट को देखने से जाहिर होता है कि वैस्ट बंगाल और ईस्ट पाकिस्तान के बीच ६ महीने के अन्दर सिर्फ तीन मील सीमा का डिमार्केशन हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि इन तीन मील के वास्ते खर्चा कितना किया गया?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : श्रीमान्, व्यय के बारे में अन्य प्रश्न है।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तानी पदाधिकारियों ने तुकरग्राम का सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया है और अब पाकिस्तान सरकार उस गांव के निवासियों से राजस्व ले रही है?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह सच है कि पाकिस्तानी पदाधिकारी तुकरग्राम से कुछ कर लेते हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है—या कितना सच है—कि जनरल अय्यूब की सरकार के साथ इस नेहरू-नून करार का कोई महत्व नहीं है? यदि हां, तो क्या हम यह समझें कि तुकरग्राम, जो हमें नेहरू-नून करार के अनुसार लौटाया गया था, हमसे निकल गया है?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : अपना अपना मत है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : नहीं, श्रीमान्। हमें यह नहीं समझना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबिमल घोष** : उन विवादों के बारे में जिनका उल्लेख रैडक्लिफ न्यायाधिकरण तथा बग्गे न्यायाधिकरण में है, हम देखते हैं कि पठारिया वन की सीमांकन के सम्बन्ध में बग्गे न्यायाधिकरण का सर्वसम्मत मत है और उसने इस सीमा के सीमांकन के लिये रैडक्लिफ पंचाट स्वीकार किया है। अब क्या बातें उत्पन्न होती हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पठारिया वन सम्बन्धी बातें ? किस सम्बन्ध में बातें ?

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : पाकिस्तान इसका सीमांकन करने से क्यों मना कर रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमारे मतानुसार इसका कारण कारणाभाव तथा युक्ति का अभाव है। पाकिस्तान की ओर से मैं उत्तर कैसे दे सकता हूं।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋण

†*१३. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता चला है कि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के निमित्त जिन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिये ऋण मंजूर किये गये थे उन में से अनेक की वित्तीय अथवा अन्य क्षमता ऐसी नहीं है कि वे अपने विद्यमान संस्थापनों का विस्तार कर सकें या नये कारखानों की स्थापना कर सकें ; और

(ख) क्या इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मामले में जांच की गई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जिन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता दी गई थी उन में से कुछ धन की कमी, कच्चे माल के अनियमित संभरण, कुशल कर्मचारियों की कमी, निर्माण लागत में वृद्धि आदि कारणों से अपनी योजनाओं को पूर्णतः क्रियान्वित नहीं कर पाये हैं।

(ख) जी हां।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : अब तक इन ऋणों में कुल कितनी राशि व्यय हुई है और कुल कितने शरणार्थियों के लिये रोजगार की व्यवस्था हुई है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर**: कुल ३०० लाख रुपये मंजूर किये गये हैं और इनसे ११,५०० व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है। ३१ जनवरी, १९५९ तक १९१ लाख रुपये लिये जा चुके हैं और ३,४९३ व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या मंत्रीमहोदय हमें ऐसे प्रतिष्ठानों की नामावलि देने की कृपा करेंगे जिन्हें ऋण दिया गया था लेकिन जो अपेक्षित संख्या में शरणार्थियों के लिये रोजगार की व्यवस्था न कर पाये हों ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : औद्योगिक योजनाओं सम्बन्धी एक टिप्पण तो कुछ माह पहले ही माननीय सदस्यों के पास भेज चुके हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या सरकार ऐसी कोई जांच समिति नियुक्त करने वाली है जो इन योजनाओं की छानबीन करे और यह देखे कि किन कारणों से ये प्रतिष्ठान उस कार्य को पूरा नहीं कर पाये हैं जिसे पूरा करने का दायित्व उन्होंने अपने ऊपर लिया था ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : हम विभागीय रूप से इसकी जांच कर चुके हैं लेकिन माननीय सदस्य तो कार्य के लिये एक सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : जी नहीं । मैं यह जानना चाहता था कि क्या कोई जांच समिति नियुक्त की गई है । अखबारों में यह खबर छपी है कि पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से एक जांच समिति की स्थापना की गई है ? क्या उन्होंने यह कार्य किया है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : जी हां । जब मैंने विभागीय शब्द कहा है तो उसमें पश्चिम बंगाल सरकार भी शामिल है । एक विभागीय जांच समिति स्थापित की गई थी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : उपमंत्री महोदय के इस उत्तर को ध्यान में रखते हुये कि करीब करीब दो करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं और जितने शरणार्थियों को रोजगार दिया जाने को था उनको रोजगार नहीं मिल पाया है । क्या मैं जान सकती हूं कि प्रत्येक अवस्था में धन के व्यय और कार्य की प्रगति पर नजर रखने के लिये क्या व्यवस्था की गई थी ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : जी हां, राज्य सरकार ने अपना कार्य पूरा किया था और तभी हमें वस्तुस्थिति का पता चल पाया है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : जब यह कहा जाता है कि उन्होंने पूरे वक्त अपना काम ठीक ढंग से पूरा किया तो इस बात का पता तीन वर्ष बाद कैसे चला ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : स्थिति यह है। हमने पश्चिम बंगाल में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र जिसमें भी अच्छा समझा जाय, उद्योगों की स्थापना के लिये एक पुनर्वास वित्त निगम की स्थापना की है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के एक अधिकारी के इस वक्तव्य की ओर आकृष्ट हुआ है कि दण्डकारण्य में कार्य की गति केवल इसी वजह से धीमी हो गई है कि सरकार के पास कोई एकीकृत योजना नहीं है, और इसलिये जब कि १९६०-६१ तक २७,००० एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रस्ताव, केवल दो हजार एकड़ पर काम हो रहा है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मूल प्रश्न पश्चिम बंगाल के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बारे में है । पता नहीं माननीय सदस्य दण्डकारण्य को कैसे इसमें ले आये ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में मंत्री महोदय ने 'जी हां' कहा है जिसका अर्थ यह हुआ कि जांच की गई है । क्या जांच के परिणाम ज्ञात हुये हैं और यह जांच किसने की थी, केन्द्रीय सरकार के अफसरों ने या राज्य सरकार के ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मैं कह चुका हूं कि यह जांच विभागीय आधार पर हुई थी । हमारे मंत्रालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के अफसरान इसमें शामिल थे

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यह बड़ा गम्भीर मसला है । क्या प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अचित राम** : क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन कन्सर्न्ज़ को लोन दिया गया क्या उनसे सिक्योरिटी ली गई या नहीं ?

†**श्री ० शे० नास्कर** : जी हां । सम्पत्ति का उपप्राधीयन[1] करा लिया जाता है ।

हेरोभांगा कालोनी

+

†*१४. { **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेरोभांग में कृषि योग्य बनाई गई भूमि का कुछ अंश वहां बसे शरणार्थी परिवारों में बांट दिया गया है ;

(ख) उस कालोनी में जो स्कूल स्थापित होने वाला था क्या वह आरम्भ हो गया है ; और

(ग) इन परिवारों के पुनर्वास का कार्यक्रम क्या है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी हां । हेरोभांगा में १८२ विस्थापित परिवारों को जमीन बांट दी गई है ।

(ख) एक जूनियर हाई स्कूल स्थानीय रूप से चालू किया गया है ।

(ग) भूमि का वितरण शीघ्र ही समाप्त हो जायगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या अखबारों में छपी यह खबर ठीक है कि केन्द्रीय सरकार के विशेषज्ञ अब इस क्षेत्र में लाये जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में पांच वर्ष से पहले खेती नहीं की जा सकती, और क्या सरकार ने इस बारे में कोई निश्चय किया है कि भविष्य में क्या किया जायगा ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : जी हां । भारत सरकार के विशेषज्ञों ने जांच की थी और हमने आवश्यक कार्यवाही के लिये उनकी सिफारिश राज्य सरकार के पास भेज दी है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या स्थानीय किसानों से इस बारे में कोई जानकारी एकत्र की गई है कि मेंड़ें बांधने[2] के कितने समय पश्चात् इस क्षेत्र में खेती आरम्भ की जा सकेगी और क्या विशेषज्ञों और स्थानीय किसानों की राय में कोई अन्तर है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : विशेषज्ञ लोग मौके पर ही गये थे और इन सब बातों का विचार करने के बाद ही अपना निर्णय दिया था ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : जिस भूमि पर मेंड़ें बांधी जा चुकी हैं, उसे कितने समय में शरणार्थी परिवारों में बांट दिया जायेगा ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : बांटने का काम चल ही रहा है । परिवारों को जमीनें दी जा रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Hypothecated.

[2]Bunding.

कपड़ा मिलों का बन्द होना

+

†*१५. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री नागी रेड्डी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जुलाई, १९५९ को (प्रत्येक राज्य में) कितनी-कितनी कपड़ा मिलें बिल्कुल बन्द हो चुकी थीं और कितनी मिलों ने अपने काम के घंटे कम कर दिये थे ;

(ख) क्या बन्द मिलों में से कुछ ने फिर से कार्य आरम्भ कर दिया है, और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने बन्द मिलों में से कुछ को फिर से चालू कराने का प्रस्ताव किया है ;

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनकी शर्तें और निबन्धन क्या हैं ; और

(ङ) मिलों के बन्द हो जाने से १९५९ में कितनी हानि होने का अनुमान है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २]**

†**श्री स० मो० बनर्जी** : बन्द मिलों की संख्या ३९ बताई गई है । क्या सरकार जांच के बाद कुछ और मिलों को ले लेने वाली है, और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वे किन राज्यों में स्थित हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : यह प्रश्न कुछ समय से हमारे विचाराधीन है और हाल ही में मैंने टेक्सटाइल कमिश्नर और अन्य सम्बन्धित अधिकारियों की एक बैठक करने का निश्चय किया है जिसमें इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा कि कितनी बन्द मिलों को लाभप्रद ढंग से चलाया जा सकता है और उनका प्रबन्ध हमें अपने हाथ में लेना चाहिये या राज्य सरकार को । इस मामले पर बहुत शीघ्र विचार होगा और यदि संभव हुआ तो मैं आगे चल कर सभा को यह सूचित कर सकता हूं कि हम क्या कार्यवाही करने वाले हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली में शरणार्थी बस्तियां

†*६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री ३ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२४२ और ८ मई, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२६९ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) दिल्ली की शरणार्थी बस्तियों में सड़क पर रोशनी, पानी के नलों, सड़कों, नालियों आदि की व्यवस्था में अब तक और आगे कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) भरतनगर कालोनी में सड़क पर रोशनी लगाने और आन्तरिक जल संभरण की व्यवस्था में कितनी प्रगति हुई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : दिल्ली की विभिन्न शरणार्थी बस्तियों में विकास की प्रगति सम्बन्धी नवीनतम स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३]**

(ख) सड़कों पर बिजली लगाने का काम चल रहा है और पानी के आन्तरिक वितरण व्यवस्था के प्राक्कलन दिल्ली नगरपालीय निगम ने तैयार करके अपनी जल संभरण तथा मल निस्सारण समिति को सौंप दिये हैं ।

मंगला बांध

***१६. श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विरोध करने पर भी पाक अधिकृत काश्मीर प्रदेश में मंगला बांध का निर्माण जारी है ;

(ख) इस बांध के बनने पर भारत को किन-किन हानियों का सामना करना पड़ेगा ; और

(ग) उसके प्रतिकार के लिये सरकार क्या सोच रही है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां । पाकिस्तान रेडियो के हाल ही के ब्राडकास्ट के मुताबिक, २.५ करोड़ रुपये के पूंजीगत अनुदान (कैपिटल ग्रांट) की सहायता से बांध बनाने का काम इस साल और तेजी से किया जायेगा ।

(ख) पाकिस्तान अपने ही फायदे के लिये भारतीय संघ प्रदेश के प्रसाधनों और वहां के लोगों का शोषण कर रहा है । सुरक्षा परिषद् (सिक्यूरिटी काउंसिल) के १७ जनवरी, १९४८ के प्रस्ताव तथा १३ अगस्त, १९४८ और ५ जनवरी, १९४९ के संयुक्त राष्ट्र कमीशन के प्रस्तावों की व्यवस्थाओं के खिलाफ पाकिस्तान इस प्रदेश पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किये हुये है, हालांकि उसने इन प्रस्तावों को स्वीकार किया है ।

मीरपुर नगर के अतिरिक्त, करीब १२२ गांव डूब जायेंगे और करीब १,००,००० भारतीय राष्ट्रिकों को अपनी ज़मीन और रोज़गार से हाथ धोना पड़ेगा ।

इस प्रयोजना से ३० लाख एकड़ ज़मीन की सिंचाई होगी, जो ज्यादातर पश्चिम पाकिस्तान में है और इससे ३,००,००० किलोवाट बिजली पैदा होगी जिसका इस्तेमाल ज्यादातर पश्चिम पाकिस्तान में किया जायेगा ।

(ग) भारतीय संघ की प्रभुसत्ता (सावरेंटी) और जम्मू तथा काश्मीर में भारतीय प्रदेश का उल्लंघन करने पर भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद् में पाकिस्तान के खिलाफ दो विरोध पत्र पहले

---

†मूल अंग्रेजी में

ही भेज दिये हैं। जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तान की लगातार जोर-जबरदस्ती के कारण यह अतिक्रमण हुआ है, इसके खिलाफ़ भारत की शिकायत पर सुरक्षा परिषद् में विचार हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†*१७. श्री सुबिमन घोष :
श्री पहाड़िया :
श्री सं० अ० मेंहदी :

क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी जुलाई, १९५९ से उत्तर प्रदेश के नैनीताल, पीलीभीत, रामपुर और बिजनौर जिलों में बसाये जा रहे हैं जाने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने परिवारों को बसाया जायगा और इस कार्य पर कितना धन व्यय होगा;

(ग) इसमें से कितना धन भारत सरकार व्यय करेगी और उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों को कितना कितना व्यय करना होगा ; और

(घ) इन परिवारों को दण्डकारण्य के स्थान पर उत्तर प्रदेश में बसाने का क्या कारण है?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) से (ग). १९५४ के पूर्व नैनीताल तराई के कालोनाइजेशन क्षेत्र में जो एक हजार परिवार बसाये गये थे उनके अलावा पूर्वी पाकिस्तान के ३,००० और परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहां बसाने के लिये जनवरी, १९५८ में राजी हो गयी। २,४०७ विस्थापित परिवारों को नैनीताल, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर और बहराइच जिलों में और १३४ परिवारों को तराई कालोनाइजेशन क्षेत्र में फिर से बसाने की योजनायें मंजूर की जा चुकी हैं। कुछ और योजनायें अभी बन रही हैं। इन ३,००० परिवारों के पुनर्वास का कुल खर्च १.५ करोड़ रुपये कूता गया है और भारत सरकार स्वयं पूरा खर्च देगी।

(घ) दण्डकारण्य परियोजना के अधीन पुनर्वास की व्यवस्था के लिये भूमि को बड़े पैमाने पर कृषि योग्य बनाना और विकसित करना पड़ेगा। इसकी व्यवस्था की जा रही है लेकिन उसमें अनिवार्य रूप से समय लग जायेगा। इस बीच पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में जहां भी उपयुक्त भूमि मिल सकती है पुनर्वास का कार्य जारी है

यूनाइटेड प्रेस आफ इण्डिया के कर्मचारी

*१८. **श्री सरजू पांडे** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनाइटेड प्रेस आफ इण्डिया के लगभग ३०० कर्मचारियों की उनकी भविष्य निधि का भाग उनको नहीं मिला ;

(ख) क्या यह सच है कि युनाइटेड प्रेस आफ इण्डिया के अधिकारियों ने भविष्य निधि का आधा भाग, जो उन्हें जमा करना चाहिये, जमा नहीं किया ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार यूनाइटड प्रेस आफ इण्डिया के प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती जब कि केन्द्रीय भविष्य निधि के कमिश्नर ने प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की थी ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) यह कम्पनी दिवालिया बन गई थी और इसकी जायदाद राज्य सरकार को रेहन की गई है। इसलिये हाई कोर्ट को रिसीवर नियुक्त करने के लिए दरखास्त दी गई है। कलैक्टर के जरिये वसूली की कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है।

मुसलिया कोयला खान, रानीगंज

†*१९. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रानीगंज की कोयला-क्षत्र की मुसलिया कोयला खान दिसम्बर, १९५८ से बन्द पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो इस के बन्द होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या प्रबन्धकों के खिलाफ सुरक्षा संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के कारण कोई मुकदमा दायर किया गया है ;

(घ) क्या सरकार को इस खान में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होने के सम्बन्ध में भारतीय खान श्रमिक फ़ेडरेशन का कोई अभ्यावेदन मिला है, और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां।

(ख) जमीन के भीतर आग सुलग उठने के कारण हुए अग्नि काण्ड की वजह से यह खान बन्द कर दी गयी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां।

(ङ) जांच करने पर पता चला है कि अधिकांश शिकायत ग़लत थीं।

सूडान को कपड़े का निर्यात

*†२०. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूडान के साथ भारतीय कपड़े के व्यापार के संबंध में चल रही मन्दी समाप्त हो गयी है ;

(ख) सूडान सरकार ने भारतीय कपड़े के आयात के लिये कितनी सुविधायें प्रदान की हैं ; और

(ग) सूडान को भारतीय कपड़े के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मांड दार कपड़े और साड़ियों के आयात लाइसेंस मई-जून, १९५९ में दिये गये थे। १ जुलाई, १९५९ से १४ पियास्ट्रेज या ३५ पेंस प्रतिगज से कम लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य वाले कपड़े के लिये खुले सामान्य लाइसेंस दे दिये गये हैं।

(ग) यह तो ज्ञात है कि पिछली तिमाही में सूती कपड़े का निर्यात हुआ है—लेकिन उसके निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

नीबू घास के बीजों और जड़ों का निर्यात

*†२१. **श्री केशव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नीबू घास के बीजों और जड़ों के निर्यात के लिये लाइसेंस देने का निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो ये लाइसेंस किस आधार पर मंजूर किये जायेंगे?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बिहार में बुनकरों की सहकारी समितियां

*†२२. **पंडित ह० ना० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २०५३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने इस बात का ब्यौरेवार विवरण प्रस्तुत किया है कि बुनकरों की सहकारी समितियों के छूट संबंधी दावों के भुगतान के लिये कितनी अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त राशि के भुगतान की आवश्यकता होगी ; और

(ग) क्या उस धन का आवंटन कर दिया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). मार्च, १९५९ के अन्त तक के छूट संबंधी दावों का भुगतान करने के लिये कितना अतिरिक्त धन चाहिये उसके बारे में एक अस्थायी प्रतिवेदन तो बिहार सरकार से प्राप्त हो गया है। कुछ दावों की छानबीन की जा रही है और आशा है कि अन्तिम प्रतिवेदन भी शीघ्र ही आ जायगा।

'भारत–१९५८' प्रदर्शिनी में अग्नि कांड

†*२३. **श्री आसर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ अप्रैल, १९५९ को लोक-सभा में दिये गये वक्तव्य के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९५९ में प्रदर्शिनी के एक मंडप में जो आग लग गयी थी क्या सरकार ने इस बीच उस के बारे में जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस दुर्घटना के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ़ क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) दुर्घटनावश बिजली का शार्ट सर्किट हो जाने के कारण यह आग लगी थी।

(ग) यह अग्नि कांड दुर्घटनावश हुआ इसलिये प्रत्यक्षतः कोई उत्तरदायी नहीं है। लेकिन प्रबन्ध के दोषपूर्ण होने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और जो उपयुक्तियां होंगी उनके अनुसरण में कार्यवाही की जायेगी ।

रूस, चेकोस्लोवाकिया और जापान के साथ व्यापार का विस्तार

†*२४. **श्री साधन गुप्त :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सुब्बया अम्बलम् :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मंत्री की रूस, चेकोस्लोवाकिया और जापान यात्रा से उन तीनों देशों के साथ व्यापार में विशाल विस्तार और बढ़े हुए सहयोग की संभावनायें प्रगट हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन देशों में से प्रत्येक के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग किस ढंग से बढ़ाया जायेगा ?

***उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

उद्योग मंत्री और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री एल० के० झा की रूस, चेकोस्लावाकिया और जापान यात्रा ज्यादातर अध्ययन के लिये और इन देशों तथा भारत के बीच और भी व्यापक पैमाने पर प्रविधिक और आर्थिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिये की गई थी ।

यह पता चला कि आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों में और भी बड़े पैमाने पर प्रविधिक और आर्थिक सहयोग की बड़ी गुंजायश है और इससे भारत और इन देशों को लाभ होगा; विशेष रूप से भारी मशीनों और बुनियादी उद्योगों के क्षेत्र में इस सहयोग की गति और भी बढ़ाई जानी चाहिये ।

जापान छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योगों के लिये विशेष रूप से उपयुक्त है और उद्योग मंत्री के निमंत्रण पर जापान सरकार छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योगों के मामले में भारत सरकार को परामर्श देने के लिये एक शिष्टमण्डल भारत भेज रही है । जापान सरकार के छोटे उद्योगों के अभिकरण के निदेशक की अध्यक्षता में ऐसा एक शिष्टमण्डल तीन सप्ताह के लिये अगस्त में आयेगा ।

वस्तुओं के और भी अधिक विनिमय की भी काफी संभावनायें प्रतीत होती हैं । इस यात्रा के दौरान में जो उपयोगी बातें देखी गईं उनका उपयोग इन देशों के साथ बैदेशिक व्यापार को और भी विकसित करने में किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खान अपमोचन नियम[1]

†*२५. { **श्री कुन्हन :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री रामकृष्ण गुप्त : }

क्या श्रम और रोजगार मंत्री २७ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २०५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनरीक्षित कोयला खान अपमोचन नियम कब से लागू किये जायेंगे ; और

(ख) कोट्टगुदयम और परसिया में 'अपमोचन केन्द्रों' की स्थापना के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) पुनरीक्षित नियमों के ६ महीने के भीतर लागू हो जाने की संभावना है ।

(ख) अपमोचन केन्द्रों की स्थापना के लिये स्थान चुन लिये गये हैं । इन स्थानों को प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

आंध्र प्रदेश में सिगरेट फैक्टरी

†*२६. **श्री रामी रेड्डी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र से आन्ध्र प्रदेश में एक सिगरेट फैक्ट्री की स्थापना करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव किये हैं ; और

(ग) इस मामले में केन्द्र ने क्या निर्णय किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). भाग (क) के उत्तर के विचार से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

महात्मा गांधी सम्बन्धी फिल्म

†*२७. { **श्री वोडयार :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री सै० अ० मेंहदी : }

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैलीफोर्निया (अमरीका) का फिल्म्स प्रोडक्शन इंटर नेशनल महात्मा गांधी के बारे में एक पूरा रूपक चलचित्र और एक छोटा प्रलेख-चलचित्र बनाने वाला है ; और

†मूल अंग्रेजी में

[1]Coal Mines Rescue Rules

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इसका अनुमोदन कर दिया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) ज्ञात हुआ है कि कैलीफोर्निया (अमरीका) का फिल्म प्रोडक्शन इंटरनेशनल गांधी स्मारक निधि और नवजीवन ट्रस्ट के सहयोग से महात्मा गांधी के जीवन और कार्यों के बारे में एक रूपक चित्र और एक प्रलेख चलचित्र बनाने वाला है ।

(ख) इस प्रस्ताव के लिये सरकार के अनुमोदन की जरूरत नहीं है ।

इंडियन चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का शिष्टमंडल

†२८. **श्री राम सुभग सिंह :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के शिष्टमंडल ने, जिसने अभी हाल ही में यूरोप और संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा किया है, अपनी रिपोर्ट सरकार को भी पेश कर दी है

(ख) यदि हां, तो निर्यात को बढ़ाने के सम्बन्ध में उसके मुख्य सुझाव क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). जी हां। रिपोर्ट की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में रख दी गई है ।

(ग) शिष्टमण्डल के विचार निर्यात बढ़ाने के उपाय निकालने तथा इन्हें अमल में लाने और विदेशी व्यापार सम्बन्धी नीति निर्धारित करने में उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं ।

पंजाब में कुटीरोद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग

†*२९. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा जिले में कुटीरोद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों के विस्तार की संभावनाओं के सर्वेक्षण के लिये पंजाब सरकार के कहने से कोई दल उस पहाड़ी प्रदेश में भेजा गया था ;

(ख) क्या उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ग) क्या उसकी एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जायगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैसूर में साइकिल का कारखाना

†*३०. **श्री सिदय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर नगर में एक साइकिल का कारखाना खोलने के लिये मैसूर राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है;

(ख) यह कारखाना काम कब शुरू करेगा ; और

(ग) उसका वार्षिक उत्पादन कितना होने का अनुमान है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग), एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) मैसूर की औद्योगिक बस्ती के छोटे पैमाने वाले क्षेत्र में साइकिलों के निर्माण के लिये एक केन्द्रीय वर्कशाप और उत्पादन केन्द्र की स्थापना की मैसूर सरकार की योजना भारत सरकार ने दिसम्बर, १९५८ में मंजूर की थी । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को ऋण के रूप में इस योजना की कुल लागत का ७५ प्रतिशत अंश वहन करेगी । इस योजना की कुल लागत ११.७३ लाख रुपये कूती गई है ।

(ख) इसमें शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ होने की आशा है ।

(ग) ६,००० साइकिल प्रतिवर्ष ।

सरकारी क्षेत्र के लिये राजकीय पुरस्कार

†*३१. **श्री पहाड़िया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी उपक्रमों को हर वर्ष कुछ पुरुस्कार देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ये पुरुस्कार किस आधार पर दिये जायेंगे ; और

(ग) क्या पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले सरकारी उपक्रमों को इस योजना में शामिल किया जायगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) किसी उपक्रम के कार्य पर विचार करते समय अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा :—

(१) निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि ;

(२) लाभ ;

(३) श्रमिक सम्बन्ध ; और

(४) गवेषणा, उत्पादन की नयी रीतियां, डिज़ायनों, तरीकों आदि की खोज द्वारा यदि बचत की दिशा में कोई विशेष योगदान किया हो ।

(ग) अभी यह योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जाने वाले सरकारी उपक्रमों तक ही सीमित है ।

कागज़ बनाने की मशीनें

†*३२. **श्री बर्मन** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हमारे देश में कागज़ बनाने की मशीनें तैयार करने के लिये विदेशों से कोई सुझाव मिले हैं :

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किन देशों से ; और

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार करके किसी को स्वीकार किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४]** ।

गोआ विवाद में ब्रिटेन की मध्यस्थता

†*३३. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री उस्मान अली खां :
श्री राधा रमण :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री महन्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री आचार :
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हेम राज :
श्री आसर :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री से० अ० मेंहदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटन के **प्रधान मंत्री** ने भारत और पुर्तगाल सरकार के बीच गोआ विवाद में मध्यस्थ का काम करने की पेशकश की है ;

(ख) क्या भारत सरकार से प्रत्यक्ष रूप में यह कहा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**विदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग). भारत सरकार को ब्रिटेन सरकार अथवा ब्रिटिश प्रधान मन्त्री से ऐसी कोई पेशकश नहीं मिली है । ब्रिटेन की संसद् में किसी प्रश्न पर हुई चर्चा के फलस्वरूप ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने एक सदस्य को जो एक पत्र इस बारे

---

†मूल अंग्रेजी में

लिखा था सरकार ने उसकी एक प्रति देखी है। इस पत्र में सामान्य रूप से बताया गया है कि दोनों देशों की इस समस्या के बारे में ब्रिटिश सरकार की स्थिति क्या है। यह पत्र समाचार पत्रों में छपा था जिसे माननीय सदस्यों ने देखा ही होगा। हमारा यह विचार है कि गोआ की समस्या कुछ ऐसी है कि इसे मध्यस्थता के लिये किसी तीसरे देश को सौंपा जा सके। ब्रिटेन की सरकार हमारे विचार जानती है और वह पुर्तगाल सरकार पर यह प्रभाव डाल सकती है कि वह मुनासिब रवय्या अपनाये।

दलाई लामा

†*३४. {श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री आ० मु० तारिक :

क्या **प्रधान मंत्री** २७ अप्रैल, १९५९ को उनके द्वारा दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंचम लामा, चीन के राजदूत अथवा चीन सरकार के किसी अन्य प्रतिनिधि से दलाई लामा को मिलने के बारे में कोई याचना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मिलने की अनमति दी गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख) जी नहीं।

आणविक विकिरण[1]

†*३५. {श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या **प्रधान मंत्री** २२ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आणविक विकिरण के प्रभावों की जांच करने वाली संयुक्त राष्ट्र समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके कोई निश्चय किया और अपने सदस्यों राष्ट्रों को कोई सिफारिश भेजी ; और

(ख) यदि हां तो क्या निश्चय किये गये और क्या-क्या सिफारिश की गई ?

†**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी सम्बन्धित राष्ट्रों से आग्रह किया कि वे प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों और व्यक्त किये गये विचारों पर ध्यान दें और यह निश्चय किया कि समिति को यह उपयोगी काम जारी रखने के लिये कहा जाये। सभी सम्बन्धित राष्ट्रों से कहा गया कि वे मनुष्य पर विवरण के अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रभावों सम्बन्धी अध्ययन तथा अन्य जानकारी तथा अपने अनसन्धान के अन्य प्रतिवेदन समिति को भेज कर उसकी सहायता करें और इस विषय में संसार की जानकारी बढ़ायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Atomic Radiation

भारी इंजीनियरिंग सामान का कारखाना

†*३६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २६ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारी स्ट्रकचरल वर्क्स और भारी प्लेट और वैसल वर्क्स के बारे में ब्रिटन के मैसर्ज एटकिन्स एण्ड पार्टनर्स से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : अभी नहीं ।

सीमा घटनायें

†*३७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री अमर सिंह डामर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह जानकारी हो कि :

(क) २७ अप्रैल, १९५९ को उन्होंने जो गत विवरण सभा-पटल पर रखा उसके पश्चात् जो सीमा घटनायें हुई उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) जान और माल की कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५]** ।

(ख) दो व्यक्ति मरे और ३०,००० रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई ।

(ग) इन घटनाओं और अतिक्रमणों को रोकने लिये भारत सरकार प्रान्तीय तथा केन्द्रीय स्तर पर कार्यवाही करती रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत और पाकिस्तान के बीच सीमान्त रेखा बहुत विस्तृत है इसलिये पाकिस्तान सरकार के सहयोग के बिना इन दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सकता । भारत सरकार पूरा प्रयत्न करती आई है कि इसे पाकिस्तान सरकार का सहयोग मिले ।

पाकिस्तानी अतिक्रमणों की संभावना को कम करने के लिये राज्य सरकारों ने भी आवश्यक कार्यवाही की है ।

नहरू-नून समझौता

*३८. **श्री वाजपेयी :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :
श्री महन्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या **प्रधान मंत्री** ३ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू-नून समझौते को क्रियान्वित करने के लिये इस बीच क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ख) क्या त्रिपुरा प्रशासन में भागलपुर, त्रिपुरा में रेलवे लाइन के साथ लगी हुई भूमि का, जो पाकिस्तान को हस्तान्तरित की जा रही है, सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) और (ख). सदन की मेज़ पर एक ब्यौरा रख दिया है, जिसमें स्थिति बताई गई है ।

विवरण

भारत और पाकिस्तान के प्रधान मन्त्रियों के बीच सितम्बर १९५८ में जो करार हुआ था, उसके अन्तर्गत पूर्व पाकिस्तान से सम्बद्ध मामलों के बारे में ३-३-५९ को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ के उत्तर में उपायों का उल्लेख किया गया था, इनके अतिरिक्त जो उपाय बरते गए; वे इस प्रकार हैं :

(१) पुराने कूच-बिहार राज्य की बस्तियों की अदला-बदली और बेरूबारी यूनियन न० १२ के एक भाग 'क' पाकिस्तान को देना :

संविधान के अनुच्छद १४३ (१) के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि वे इस बात पर अपनी राय दे कि इन मामलों के बारे में प्रधान मन्त्रियों के क़रार पर अमल करने के लिये कौन-कौन से वैधानिक उपाय आवश्यक होंगे । आशा है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए प्रसंग पर नवम्बर १९५९ में सुनवाई आरम्भ कर देगी ।

(२) भागलपुर, त्रिपुरा रेलवे लाइन की भूमि और रेलवे लाइन के पश्चिम में भूमि का पाकिस्तान को देना

---

†भूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा प्रशासन उक्त भूमि का सर्वेक्षण कर रहा है।

(३) २४ परगना—खुलना, और २४ परगना—जैसोर सीमा विवाद :

पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ सम्मिलित सर्वेक्षण का कार्य हो रहा है।

(४) पियन और सूरमा नदियां :

प्रधान मन्त्रियों के करार के मुताबिक यहां और भोलागंज में सीमाकांन के प्रश्न पर दोनों तरफ के सर्वेक्षण अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है।

(५) तुकेरग्राम

पाकिस्तान सरकार से कहा गया है कि वह आसाम और पूर्व पाकिस्तान के मुख्य सचिवों के बीच एक मीटिंग कराने का प्रबन्ध करे।

चिनाकुरी कोयला खदान की दुर्घटना

†*३९. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिनाकुरी कोयला खदान की दुर्घटना की जांच करने पर जो यह पता चला कि खानों में बचाव सम्बन्धी नियमों तथा विधियों का उल्लंघन किया गया था इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या कोई मुकदमा चलाया गया है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). विधि उपबन्धों का उल्लंघन करने के बारे में प्रबन्धकों पर मुकदमा चलाया गया है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

†*४०. श्री दामानी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या योजना मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस योजना पर विचार कर रही है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य पहलुओं पर विचार करने के लिये नियुक्त की जाने वाली विभिन्न समितियों में संसद् सदस्यों को शामिल किया जाये ताकि वे अपने सुझाव दे सकें ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना को तैयार करने में संसद् सदस्यों का सहयोग कैसे प्राप्त करना चाहती है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) और (ख). तृतीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी चर्चाओं में संसद् सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने के लिये व्यवस्था की जा रही है। कृषि और भूमि सुधार के लिये जो तालिकायें हाल ही में बनाई गई हैं उन में संसद् सदस्य शामिल हैं। प्रधान मंत्री ने योजना सम्बंधी मामलों पर विचार करने के हेतु विभिन्न दलों के संसद् सदस्यों की एक अनौपचारिक समिति बनाई है। योजना आयोग की अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति जो संसद् सदस्यों द्वारा बनी है समय-समय पर तृतीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी मामलों पर विचार किया करेगी।

काश्मीर को केन्द्रीय सहायता

†*४१. **श्री केशव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर ने अपनी १९५९-६० की योजना के लिये केन्द्र से कितनी सहायता मांगी है; और

(ख) इस में राज्य कितना अंशदान देगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) राज्य को १९५९-६० योजना के लिये केन्द्रीय सहायता के तौर पर ४·५ करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(ख) २·३३ करोड़ रुपये ।

अणु शक्ति प्रतिष्ठान, ट्राम्बे में इराकी राष्ट्रजनों का प्रशिक्षण

†*४२. **श्री वोडयार**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईराक सरकार ने भारत सरकार से यह प्रार्थना की है कि उन के कुछ उम्मीदवारों को अणुशक्ति प्रतिष्ठान, ट्राम्बे में प्रशिक्षण की सुविधायें दी जायें; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रशिक्षण सुविधायें दी गई हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) और (ख). मई १९५७ में ईराक सरकार ने यह प्रार्थना की थी कि उन के एक कैमिस्ट को अणु शक्ति प्रतिष्ठान, ट्राम्बे में तीन मास तक प्रशिक्षण दिया जाये। प्रार्थना स्वीकार कर ली गई थी और उस कैमिस्ट ने नवम्बर, १९५७ से फरवरी, १९५८ तक प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

लैन्सों और प्रकाशस्तम्भ उपकरण[1] का उत्पादन

†*४. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लैन्ज और प्रकाशस्तम्भ उपकरण के निर्माण की सम्भावना की जांच की गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Lenses and lighthouse equipment.

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ;

(ग) इस सम्बन्ध में हमारी कितनी आवश्यकतायें देशीय उत्पादन द्वारा और कितनी आयात से पूरी होती हैं; और

(घ) १९५८ और १९५९ में (३१ जुलाई, १९५९ तक) इस प्रकार का जो आयात किया गया उस का कुल मूल्य कितना था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). इस प्रश्न का उत्तर परिवहन तथा संचार मंत्री किसी और दिन देंगे ।

संसद् सदस्यों के लिये और फ्लैट बनाना

†*४६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १९ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १४०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्मी ट्रांस्पोर्ट कम्पनी के लिये इमारत बनाने के हेतु अन्तिम रूप से स्थान चुन लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो नार्थ ऐवेन्यू में प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों से स्थान खाली कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) संसद् सदस्यों के लिये और फ्लैट बनाने का काम कब शुरू होगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). आर्मी ट्रांस्पोर्ट कम्पनी की स्थाई इमारत के नक्शे की प्रतिरक्षा प्राधिकारियों द्वारा मंजूर करने की प्रतीक्षा की जा रही है । नई इमारत बन जाने पर प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान नार्थ एवेन्यू का स्थान खाली कर देंगे और उस के पश्चात् संसद् सदस्यों के लिये नार्थ एवेन्यू में और फ्लैट बनाये जायेंगे ।

खान मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी

†*४७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले के अतिरिक्त अन्य खानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति ने यह निश्चय किया था कि न्यूनतम मजूरी लोहे और मैंगनीज खानों के सभी मजदूरों पर लागू की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो यह विनिश्चय कब किया गया था;

(ग) अभी तक इस पर क्यों अमल नहीं किया गया है; और

(घ) इसे लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां। लौह-अयस्क और मैंगनीज खानें उस सूची में शामिल हैं जिन पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू होने वाला है जैसा कि खानों (कोयला खानों के अतिरिक्त) की औद्योगिक समिति ने सिफारिश की थी।

(ख) यह सिफारिश अप्रैल, १९५८ में हुई बैठक में की गई थी।

(ग) और (घ) खानों में उन नौकरियों पर अधिनियम को लागू करने, जो अनुसूची में शामिल नहीं हैं, का प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम तैयार किया जा चुका है और उसे लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

पटसन उत्पादों का निर्यात

†१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने जो कार्यवाही की है क्या उसके फलस्वरूप पटसन उत्पादों का निर्यात बढ़ा है; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). १९५९ के पहले चार मास में पटसन उत्पादों का निर्यात, २,६०,५०० टन हो गया जब कि १९५८ की इसी अवधि में निर्यात २,३६,४०० टन था।

पंजाब का औद्योगिक विकास

†२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अलग अलग पंजाब के औद्योगिक विकास पर कुल कितना कितना खर्च किया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : पंजाब में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में औद्योगिक विकास कार्यक्रमों पर १,०५,३८,८६० रुपये खर्च किये गये थे। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में १९५८-५९ के द्वितीय वर्ष की समाप्ति तक २,३१,३२,८९४ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

केन्द्रीय सरकार ने १९५८-५९ में द्वितीय वर्ष की समाप्ति तक नंगल फर्टिलाइजर्ज एंड कैमिकल्स लिमिटेड (जो अब हिन्दुस्तान कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्ज लिमिटेड है) में भी ९,०९,८४,००० रुपये का विनियोजन किया है।

अस्पृश्यता सम्बन्धी चलचित्र

†३. **श्री दी० चं० शर्मा** क्या **सूचना और प्रसारण** : मंत्री १३ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी चलचित्र बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: एक निर्माता के साथ करार करने के बारे में बात चीत चल रही है और आशा है कि वह शीघ्र ही तय हो जायेगी।

लंका से भारतीयों का प्रव्रजन

†**४. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ३० जून १९५९ तक कुल कितने भारतीय लंका से प्रव्रजन कर के भारत आये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मई, १९५९ की समाप्ति तक ७५,६५० भारतीय राष्ट्रजन लंका छोड़ कर आये। इन में से ३८,१५९ भारतीय राष्ट्रजन लंका सरकार द्वारा लंका छोड़ने का नोटिस दिये जाने पर आये और शेष स्वेच्छा से। बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

बम्बई में हथकरघा उद्योग का विकास

†**५. श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सरकार ने १९५९–६० में हिम्रू तथा पैथोन हथकरघा कपड़े के उत्पादन के विकास की कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ;

(ग) कितनी राशि मांगी गई है ; और

(घ) १९५९–६० में कितनी राशि स्वीकृत करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

रबड़ की वस्तुओं का निर्माण

†**६. श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत को रबड़ की वस्तुओं के निर्माण के विषय में स्वावलम्बी बनाने के हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : एक विवरण संलग्न है :—

विवरण

कुछ एक वस्तुओं को छोड़कर भारत रबड़ की वस्तुओं के निर्माण के विषय में स्वावलम्बी है और उन वस्तुओं का आयात बहुत कम मात्रा में किया जाता है। रबड़ की कुछ एक वस्तुओं, जैसेकि साधारण साइज़ के टायर और ट्यूब और रबड़ के जूते आदि, का तो काफी मात्रा में निर्यात भी किया जाता है।

देश की ज़रूरत को पूरा करने के लिये विशेष प्रकार की वस्तुओं के निर्माण की कुछ योजनायें सरकार ने मंजूर की हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयात लाइसेंस

†७. **श्री पांगरकर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९ के पूर्वार्ध में (१) पूंजीगत सामान और (२) उपभोक्ता सामान के आयात के जो लाइसेंस दिये गये उन का कुल मूल्य क्या था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : १९५९ के पूर्वार्ध में जारी किये गये आयात लाइसेंसों का कुल मूल्य बताना सम्भव नहीं क्योंकि लाइसेंस देने की अवधि अक्तूबर, १९५८ से मार्च, १९५९ तक और अप्रैल से सितम्बर, १९५९ तक है। अक्तूबर, १९५८ से मार्च, १९५९ की लाइसेंस देने की अवधि में पूंजीगत, उपभोक्ता और औद्योगिक सामान के लिये जारी किये गये आयात लाइसेंसों का कुल मूल्य नीचे बताया जाता है :—

(मूल्य लाख रुपये में)

पूंजीगत सामान जिस में संयंत्र व मशीने भी शामिल हैं .	६२,१५
उपभोक्ता सामान	२१,४५

सिंदरी फर्टिलाइजर्ज एण्ड कैमिकल्ज लिमिटेड

†८. **श्री मुरारका** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ३१ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंदरी फर्टिलाइज़र्ज़ एण्ड कैमिकल्ज़ लिमिटेड ने योजना के औद्योगिक प्रबन्ध गवेषणा यूनिट के प्रतिनिधियों की किन सिफारिशों को कार्यान्वित किया है ; और

(ख) क्या इन सिफारिशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) सिंदरी अभी उस विस्तृत प्रतिवेदन का अध्ययन नहीं कर सका और न ही यह निश्चय कर सका कि उन में से कौन से सुझाव कार्यान्वित करने योग्य हैं।

भारतीय सांख्यकी संस्था, जो कि सरकारी सहायता पाने वाली एक गैर सरकारी संस्था है, से सम्बद्ध योजना के औद्योगिक प्रबन्ध गवेषणा यूनिट को उन के कहने पर ही सिंदरी के कार्य संचालन का अध्ययन करने के लिये जो कि उन के एक विस्तृत कार्यक्रम का अंगस्वरूप था कुछ सुविधायें दी गई थीं। जब तक कि वास्तव में सिंदरी को एक प्रतिवेदन नहीं मिला तब तक उन्हें यह आशा नहीं थी कि उन्हें प्रतिवेदन भेजा जायेगा। प्रतिवेदन मिलने पर जब सरकार को सूचित किया गया तब सिंदरी को यह मंत्रणा दी गई कि वे प्रतिवेदन का अध्ययन कर के यदि कोई सुझाव कार्यकुशलता के लिये उपयोगी समझें तो उन्हें कार्यान्वित कर लें।

(ख) यह प्रतिवेदन औपचारिक रूप से सरकार को नहीं भेजा गया है परन्तु संसद पुस्तकालय के लिये एक प्रति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जायेगा।

गोआ के विस्थापित व्यक्ति

†९. **श्री राधा रमण** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ की हालत ठीक न होने के कारण अब तक वहां से कितने विस्थापित परिवार आये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन्हें कहां बसाया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें कोई आर्थिक अथवा अन्य सहायता दी है ; और

(घ) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) से (घ). गोआ की राजनैतिक स्थिति के कारण वहां से स्थायी तौर पर प्रव्रजन करने वाले परिवारों की ठीक-ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है। पुलिस के पास उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि कुल २२१ परिवार जिन में १०० परिवार माहीगीरों के हैं, गोआ दमन और दीव से आ कर भारत के बम्बई, बेलगाम, सावंतवाड़ी, कखड़, पूना, वाड़ी (जिला सूरत) और नागपुर में बसे हैं। आर्थिक सहायता प्रार्थी के हालात को देखते हुए दी जाती है और कुछ एक परिवारों को मामूली सहायता दी गई है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिय संसाधन

†१०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या योजना मंत्री १० फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों तथा केन्द्र ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संसाधनों को बढ़ाने के लिये अन्तिम रूप से क्या कार्यवाही की है और क्या नवीनतम स्थिति दिखाने वाला दस्तावेज़ तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) कार्यवाही का क्या परिणाम रहा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). सभा को विदित है कि केन्द्र ने इस वर्ष २५ करोड़ रुपये के और कर लगाये हैं और राज्यों द्वारा ४·९ करोड़ रुपये के अतिरिक्त कराधान की आशा है।

१० फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३ में मैं ने जिस दस्तावेज़ का ज़िक्र किया था वह छप रहा है और वह चालू सत्र में शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

विदेशी सार्थों का भारतीयकरण

†११. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २४ अप्रैल, १९५९ को लोक सभा में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सार्थों तथा बागानों के भारतीयकरण करने की किसी योजना को अन्तिम रूप दिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). प्रतिनिधि निकायों जैसे कि इंडियन टी एसोसियेशन, दि युनाइटिड प्लांटर्स एसोसियेशन आफ सदर्न इंडिया, इंडियन जूट मिल ऐसोसियेशन और एसोसियेटेड चैम्बर्स आफ कामर्स—के साथ प्रारम्भिक बातचीत शुरू की जा रही है । अभी मामला तय नहीं हुआ है ।

कालीन उद्योग

†१२. {श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २२ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १९६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कालीन उद्योग के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां ।

(ख) सर्वेक्षण दल ने जम्मू और काश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के केन्द्रों से इस उद्योग के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित कर लिये हैं । इस समय उन आंकड़ों को संकलित किया जा रहा है । आशा है कि वह दल अन्य राज्यों का भी शीघ्र ही दौरा करना प्रारम्भ कर देगा ।

पाकिस्तान से भारत-विरोधी प्रसारण

†१४. {श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री ११ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १११४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान से अभी तक भारत विरोधी प्रचार प्रसारित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा गया है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से कोई उत्तर मिला है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). कराची स्थित भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस प्रकार के कुछ एक विशेष उदाहरणों की ओर आकृष्ट किया है और पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वह मामले की जांच करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

घड़ी निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण

†१४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दलजीत सिंह :
श्री आचार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रजनों को स्विट्ज़रलैण्ड में घड़ी निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिये छात्रवृत्तियां देने और स्विट्ज़रलैण्ड के सहयोग से भारत में एक घड़ी निर्माण प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने के लिये प्रविधिक तथा वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

स्वचालित करघे

†१५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री गोरे :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३६४ के उत्तर के सम्बन्ध में सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) विभिन्न योजनाओं के अधीन विभिन्न राज्यों के लिये कितने-कितने स्वचालित करघे निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है कि विदेशों से कितने और किस प्रकार के स्वचालित करघे आयात किये जायेंगे; और

(ग) क्या भारत में स्वचालित करघे तैयार करने के सम्बन्ध में कोई योजना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) आवंटन राज्यवार नहीं किया जाता । अभी तक कुल ८४ मिलों को ६६६५ स्वचालित करघे आवंटित किये गये हैं ।

वस्त्र निर्यात के लिये ३००० स्वचालित करघे लगाने की योजना के अधीन करघों के आवंटन के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त इस बारे में विचार किया जायेगा ।

(ख) स्वचालित करघों के आयात के सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

घड़ियों का निर्माण

†१६. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :
श्री दामानी :
श्री दलजीत सिंह :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री हेम राज :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री न० र० मुनिस्वामी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पहाड़िया :
श्री आसर :
श्री आचार :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ३ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १६४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में घड़ियां तैयार करने के लिये भारतीय पार्टियों की विदेशी कम्पनियों से चल जरही बातचीत पूरी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) भारत में घड़ी निर्माण फैक्टरियां स्थापित करने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). फ्रांस की एक फर्म के सहयोग से घड़ी निर्माण के लिये बम्बई की एक फर्म 'मेसर्स फिनिक्स वाच कम्पनी' की एक योजना को जून, १९५९ में मंजूरी दे दी गई थी । घड़ी निर्माण सम्बन्धी अन्य योजनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा खरादों का निर्माण

†१७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १६६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि एक फ्रांसीसी फर्म के सहयोग से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर में खरादों के निर्माण के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : नकशे प्राप्त हो चुके हैं और उन्हें हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के स्टैण्डर्ड के अनुसार रूप दिया जा रहा है । दो प्रकार की खरादों के लिये 'असेम्बली फिक्शचर्स' पूरे हो चुके हैं और नमूने तैयार किये जा रहे हैं । जून, १९५९ तक

---

†मूल अंग्रेजी में

पुर्जे जोड़ कर तीन खरादें बना दी गयी थीं। आशा है कि यदि सभी पुर्जे समय पर पहुंच गये तो सितम्बर, १९५९ के अन्त तक ५० खरादे तैयार कर दी जायेंगी।

औद्योगिक सहकारी समितियों सम्बन्धी कार्यकारी दल

†१८. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक सहकारी समितियों सम्बन्धी कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में की गयी किन-किन सिफ़ारिशों को अभी तक कार्यान्वित किया जा चुका है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). सहकारी समितियों सम्बन्धी कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकारों, सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों, वित्तीय संस्थाओं, विभिन्न अखिल भारतीय बोर्डों/आयोगों आदि के पास भेज दी गयी हैं। उनसे उत्तर आ जाने के बाद रिपोर्ट की सिफ़ारिशों पर विचार किया जायेगा।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आणविक ईंधन निर्माण संयंत्र

†१९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** २६ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में एक आणविक ईंधन निर्माण संयंत्र लगाने के सम्बन्ध में इस समय क्या स्थिति है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: यद्यपि उसकी इमारत के निर्माण का कार्य इस मास पूरा होगा, ईंधन के निर्माण के लिये आवश्यक बहुत सा सामान पहले ही मंगवा लिया गया है और कनाडा-भारत रीएक्टर के लिये नमूने के तौर पर एक ईंधन तत्व १५ जून, १९५९ को तैयार कर लिया गया था। इसके निर्माण के लिये कुछ वैज्ञानिक दलों ने लगातार ५६ घण्टों तक संयंत्र पर काम किया। आशा है कि सितम्बर, १९५९ तक संयंत्र नियमित रूप से चालू हो जायेगा।

काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध बेरोजगार स्नातक

†२०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अगस्त, १९५९ तक देश के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में ऐसे कितने बेरोज़गार स्नातकों के नाम दर्ज थे जिन्हें अभी तक कोई काम नहीं दिलाया जा सका है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: ३१ मार्च, १९५९ को इस प्रकार के ३३,७६९ स्नातकों के नाम दर्ज थे। जानकारी त्रैमासिक आधार पर एकत्रित की जाती है। जून तक के सम्बन्ध में जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान जाने वाले भारतीय

†२१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९ में अभी तक पाकिस्तान जाने वाले भारतीयों द्वारा अनुभव की जाने वाली असुविधाओं तथा कठिनाइयों के सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने मामले हैं;

(ग) इन मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) ६२ मामलों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई है जिनमें भारतीयों को तंग किया गया था । उनके अतिरिक्त ६३ और मामलों के सम्बन्ध में भी पाकिस्तानी प्राधिकारियों से पूरी जानकारी मांगी गयी है ।

(ग) उन मामलों को मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :—

(१) पारपत्रों को रोक लेना ।

(२) वीसा की अवधि को बढ़ाने से इन्कार कर देना ।

(३) वीसा का नवीकरण करने से इन्कार कर देना ।

(४) तस्कर व्यापार के सन्देह पर भारतीयों को गिरफ्तार कर लेना ।

(५) स्थानीय पुलिस तथा अन्य लोगों द्वारा मार पीट करना ।

(६) सीमा शुल्क निरीक्षण के समय तंग करना ।

(घ) प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में असुविधाओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के लिये पाकिस्तानी प्राधिकारियों से कह दिया गया है ।

आगरा में औद्योगिक बस्ती

†२२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में औद्योगिक बस्ती के निर्माण-कार्य में और कितनी प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६]**

बटाला में औद्योगिक बस्ती

†२३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ६ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला गुरदासपुर के बटाला नामक स्थान पर औद्योगिक बस्ती के लिये इमारतें बनवाने के कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: राज्य सरकार इस के लिये भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है। आशा है कि इसी मास में भूमि का कब्जा प्राप्त हो जायेगा। राज्य लोक निर्माण विभाग बटाला की औद्योगिक बस्ती में वर्क शेड बनाने के लिये स्थान सम्बन्धी योजना, नकशा तथा प्राक्कलन तैयार कर रहा है। आशा है कि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक निर्माण-कार्य पूरा हो जायेगा।

'टंगस्टेन कार्बाइड'

†**२४. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ६ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर-सरकारी उपक्रम द्वारा टंगस्टेन कार्बाइड का निर्माण करने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: टंगस्टेन कार्बाइड के निर्माण के सम्बन्ध में कई योजनायें प्राप्त हुई हैं और उन पर सरकार विचार कर रही है।

पंजाब को केन्द्रीय सहायता

†**२५. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य के द्वितीय पंच वर्षीय योजना के चतुर्थ वर्ष के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ख) क्या १९५८-५९ में राज्य सरकार के योजना परिव्यय में कुछ कमी हो गई थी; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) १९५९-६० के लिये राज्य योजना के लिये १९ करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

(ख) १९५८-५९ के सम्बन्ध में वास्तविक परिव्यय के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वस्त्र

†**२६. श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान १३ मई, १९५९ के 'स्टेट्समेन' में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि पूर्व जर्मनी के कुछ प्रविधिकों ने कपड़ा तैयार करने की एक ऐसी विधि निकाली है जिससे कातने और बुनने की प्रक्रिया के बिना ही कपड़ा तैयार किया जा सकेगा;

(ख) यदि हां, तो उसके ब्योरे जानने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) से (ग). भारत स्थित जर्मन लोकतंत्र गणराज्य के व्यापारिक प्रतिनिधि से पूछ ताछ करने पर यह ज्ञात हुआ है कि उन्हें तो इस प्रकार की विधि के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञान नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीकर में यूरेनियम

†२७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीकर जिले (राजस्थान) की पुरानी दरीबा ताम्बे की खान में यूरेनियम का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर कुल लगभग कितना यूरेनियम विद्यमान है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, हां ।

(ख) यूरेनियम अयस्क वहां पर इधर उधर है तो सही परन्तु वर्तमान सूचना के अनुसार वह बहुत कम मात्रा में है ।

बम्बई राज्य में विद्युत् परियोजनाय

†२८. **श्री पांगरकर :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई राज्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आने वाली विद्युत-परियोजनाओं के सम्बन्ध में निर्धारित अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि बढ़ायी गयी है; और

(ग) क्या १९५८-५९ में बम्बई राज्य के ग्रामों में बिजली लगाने के लिये कोई अतिरिक्त राशि दी गयी थी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

बम्बई राज्य में कन्द्रीय योजनाय

†२९. **श्री पांगरकर :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य में कितनी योजनायें स्वयं केन्द्रीय सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं;

(ख) उन योजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) १९५९–६० में केन्द्रीय सरकार द्वारा उन योजनाओं के लिये अभी तक कितनी राशि दी जा चुकी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र):** (क) से (ग). जैसा कि १७ सितम्बर, १९५८ को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या ३१९९ के उत्तर में बताया था, विभिन्न राज्यों में केवल मात्र केन्द्रीय योजनाओं पर किये जाने वाले खर्चों के सम्बन्ध में बताना संभव नहीं है ।

अमरीका से वस्तु विनिमय सम्बन्धी करार

†३०. **श्री पांगरकर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २२ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १९७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका से वस्तु विनिमय सम्बन्धी किये गये करार की मुख्य-मुख्य शर्तें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : यह निर्णय किया गया है कि यहां से लगभग १.७५ लाख टन मेंगनीज़ अयस्क और लगभग ७५,००० टन फ़ैरो-मेंगनीज़ अमरीका भेजे जायेंगे और लगभग इतनी ही कीमत का गेहूं वहां से यहां मंगवाया जायेगा।

टायरों और ट्यूबों का आयात

†३१. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टायरों और ट्यूबों के आयात के लिये अप्रैल से सितम्बर, १९५९ तक की अवधि के लिये नये परमिट दिये जा चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने परमिट जारी किये गये हैं और उक्त अवधि में लगभग कितनी मात्रा में टायर और ट्यूब मंगवाये जायेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) चालू अनुज्ञप्ति अवधि के लिये लगभग ८ लाख रुपयों की कीमत के टायर आदि मंगवाने के लिये कुल ४३ लाइसेंस जारी किये गये हैं। अभी यह बताना कठिन है कि कितनी मात्रा में टायर और ट्यूबों का आयात किया जायेगा।

एडिनबरा फिल्म समारोह

३२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत आगामी एडिनबरा फिल्म समारोह में भाग लेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : जी, हां।

तृतीय आवास मंत्री सम्मेलन

†३३. **श्री वाजपेयी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९५८ में दारजीलिंग में हुए तृतीय आवास मंत्री सम्मेलन द्वारा की गयी सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : सम्मेलन द्वारा की गयी सिफ़ारशों के बारे में सरकार ने विचार किया है और उनके सम्बन्ध में किये गये निर्णय राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के पास भेज दिये गये हैं। विभिन्न प्राधिकारियों अर्थात् सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों अथवा राज्य सरकारों द्वारा उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

१७वां भारतीय श्रम-सम्मेलन

†३४. **श्री स० मो० बनर्जी** ।
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सं० अ० मेहदी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १७वां भारतीय श्रम सम्मेलन जलाई, १९५९ में किया गया था;

(ख) यदि हां, तो किन किन विषयों पर विचार किया गया था और क्या क्या निर्णय किये गये थे; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) किन किन विषयों के सम्बन्ध में सर्वसम्मत निर्णय किये गये थे ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सम्मेलन अभी २९ जुलाई को ही समाप्त हुआ है । प्रारूप कार्यवाहियों को अन्तिम रूप देने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है ।

मजदूरों को रोजगार

†३५. **श्री राम कृष्ण गप्त : क्या श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन कारखानों तथा अन्य प्रकार के संस्थापनों के बन्द हो जाने का डर है उन के मजदूरों के लिये रोजगार ढूंढने के लिये एक केन्द्रीय समन्वय संस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में जो योजना थी उसकी इस समय क्या स्थिति है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : निर्माण परियोजनाओं में अतिरिक्त घोषित हो जाने वाले मजदूरों के लिये और कोई रोजगार ढूंढने के लिये जो केन्द्रीय तथा राज्य समन्वय यूनिट स्थापित किये गये थे, वे ही इस काम में भी सहायता करते हैं ।

सरकारी विभागों में टाइपराइटर

३६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में इस समय कुल कितने टाइपराइटर हैं;

(ख) इन में हिन्दी और अंग्रेजी के क्रमशः कितने हैं;

(ग) सन् १९६५ और १९७० तक क्रमशः इन कार्यालयों में कितने और हिन्दी टाइपराइटरों की आवश्यकता का अनुमान है; और

(घ) उनकी पूर्ति के लिये क्या व्यवस्था की जायेगी ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और कुछ समय के बाद सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

(ग) और (घ). सन् १९६५ या १९७० में सरकारी कार्यालयों में होने वाली हिन्दी टाइपराइटरों की आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । दो कारखानों नें पहले से ही देवनागरी लिपि वाले टाइपराइटरों का बनाना शुरू किया हुआ है । यदि आवश्यकता हुई तो सरकार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उत्पादकों को और अधिक हिन्दी टाइपराइटरों के बनाने के लिये प्रोत्साहन देगी ।

हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में प्रचार

३७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बचत योजना, पंचवर्षीय योजना तथा अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के प्रचार कार्य के लिये सरकार ने १९५८–५९ में कितने पोस्टर, फोल्डर, पैम्फलेट आदि छपवाये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन में हिन्दी और अंग्रेजी में कितने-कितने छपवाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने जनता के लाभ के लिये हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में अपने प्रकाशनों की संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस का विवरण क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) से (घ). प्रचार कार्य के लिये साहित्य केवल हिन्दी तथा अंग्रेजी में ही प्रकाशित नहीं होता बल्कि पोस्टर या पैम्फलेट के महत्व के अनुसार अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रकाशित होता है। हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशन पर सरकार भी जोर देती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डायरेक्टरोरेट आफ एडवरटाइजिंग एण्ड विजुअल पब्लिसिटी) और प्रकाशन विभाग (पब्लिकेशन्स डिवीजन) के द्वारा १९५८–५९ में राष्ट्रीय बचत योजना, पंचवर्षीय योजना तथा अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के प्रचार कार्य के लिये प्रकाशित किये गये पोस्टरों, फोल्डरों, पैम्फलेटों, आदि की कुल संख्या तथा इन में कितने हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में प्रकाशित किये गये, उन की संख्या नीचे दी गई है —

आन्दोलन	हिन्दी में प्रकाशित किये गये पोस्टरों आदि की संख्या	अंग्रेजी में प्रकाशित किये गये पोस्टरों आदि की संख्या	अन्य प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित किये गये पोस्टरों आदि की संख्या	प्रकाशित किये गये पोस्टरों आदि की कुल संख्या
राष्ट्रीय बचत योजना	१८	१९	२०९	२४६
पंचवर्षीय योजना	३०	४४	३२५	३९९
अधिक अन्न उपजाओ	१०	७	३६	५३

फिल्मों के लिये राज्य पुरस्कार

†३८. **श्रीमती मफीदा अहमद :**
श्री कालिका सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा १९५५ से १९५८ तक फिल्मों के लिये राज्य पुरस्कार देने में कुल कितना खर्च किया गया था;

(ख) कितने नकद इनाम दिये गये थे और उन पर कितनी राशि खर्च की गई थी; और

(ग) कितनी फिल्मों के लिये और जितने व्यक्तियों को पुरस्कार दिये गये थे ?

†मूल अंग्रेजी में

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) १९५५-५६ से १९५८-५९ तक राज्य पुरस्कार देने पर कुल १,५८,९९८·४४ रुपये खर्च किये गये थे।

(ख) और (ग). जहां तक इनामों का सम्बन्ध है, ये १९५८ में ही सब से पहिली बार दिये गये हैं और उन का विवरण निम्नलिखित है :—

क्रमांक	फिल्म का नाम	नकद इनाम की राशि	प्राप्त कर्ता का नाम
	रूपक चलचित्र		
		रुपये	
१.	"दो आंखें बारह हाथ" (हिन्दी)	२०,०००	राजकमल कला मन्दिर प्राइवेट, लिमिटेड, बम्बई (निर्माता)
२.	—तदैव—	५,०००	श्री वी० शान्ताराम (निर्देशक)
३.	"आबारे आलो" (बंगाली)	१०,०००	श्रीमती पिक्चर्स, कलकत्ता (निर्माता)
४.	—तदैव—	२,५००	श्री हरिदास भट्टाचार्य (निर्देशक)
	प्रलेखीय चलचित्र		
५.	"ए हिमालयन टेपस्ट्री"	४,०००	बर्मा शैल, बम्बई (निर्माता)
६.	—तदैव—	१,०००	श्री मोहन भवनानी, बम्बई, (निर्देशक)
७.	"मांडू"	२,०००	फिल्म विभाग, बम्बई (निर्माता)
८.	—तदैव—	५००	श्री नील गोखले, बम्बई (निर्देशक)
	बालोपयोगी चलचित्र		
९.	"हम पंछी एक डाल के" (हिन्दी)	२०,०००	एम. एस. एम. एण्ड को, मद्रास (निर्माता)
१०.	—तदैव—	५,०००	श्री पी० एल० सन्तोषी, बम्बई (निर्देशक)
११.	"जन्म तिथि" (बंगाली)	१०,०००	आर० बी० फिल्म्स, कलकत्ता, (निर्माता)
१२.	—तदैव—	२,५००	श्री दिलीप मुकर्जी, कलकत्ता (निर्देशक)
		८२,५००	

नागा विद्रोही

†३९. **श्रीमती मफीदा अहमद :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, १९५९ के तीसरे सप्ताह में नागा पहाड़ी त्यूनसांग क्षेत्र में वोखा के निकट नागा विद्रोहियों ने आठ सैनिकों को मार डाला था, और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां । यह दुर्घटना १४ मई, १९५९ को हुई थी ।

(ख) आर्मी फील्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के १६ व्यक्तियों का एक दल तीन गाड़ियों में मोकोक चुंग से जा रहा था। रास्ते में उसे लगभग १०० विद्रोही नागाओं ने घेर लिया जिन के पास हल्की मशीन गनें, राइफलें, और एम. एल. गनें थीं। उन्हों ने सैनिकों पर गोली चलानी प्रारम्भ कर दी जिसके परिणामस्वरूप हमारे आठ व्यक्ति मारे गये। वे हमारी ७ राइफलें, १२ हल्की मशीनगनें और कुछ हथियार ले कर भाग गये । उन्हों ने हमारी एक गाड़ी को भी आग लगा दी ।

उद्योगों का उत्पादन

४०. **श्री सरजू पांडे** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिस के अनुसार उद्योगपतियों को अपने उत्पादन का विवरण मजदूरों को देना पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस योजना का विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). १९५८ के शुरू में श्रम प्रबन्ध सहकारिता सम्मेलन ने प्रबन्ध को संयुक्त परिषदें बनाने के संबंध में जो आदर्श समझौते का मसविदा मंजूर किया, उस के ६ (ii) खंड में सूचना प्राप्त करने तथा बाजार की हालत, उत्पादन और बिक्री कार्यक्रम के बारे में चर्चा करने व सुझाव देने की व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों को प्रबन्ध में शामिल करने की योजना स्वेच्छा पर आधारित है। श्रम प्रबन्ध सहकारिता विषयक पुस्तिका जिस में आदर्श समझौते का मसविदा दिया हुआ है, २२ अप्रैल, १९५८ को सभी की मेज पर रखी जा चुकी है।

सिनेमा कर्मचारियों के वेतन-क्रम

४१. **श्री वाजपेयी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिनेमा कर्मचारियों के वेतन की दरों को निर्धारित करने के लिये किसी राज्य सरकार ने कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को कोई निर्देश दिये हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). देश के विभिन्न हिस्सों में सिनेमा कर्मचारियों की वेतन की दरों के संबंध में कई फैसले हुए हैं । यह मामला राज्य सरकारों के क्षत्राधिकार में है, इसलिये मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं है। इस सूचना की प्राप्ति से जो प्रयोजन सिद्ध होगा उस से ज्यादा खर्च सूचना को जमा करने में लगेगा ।

(ग) जी नहीं ।

मनीपुर में कुटीर तथा लघु उद्योग

†४२. **श्री ले० अचौ सिंह** : **क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के चीफ कमिश्नर ने मनीपुर में कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास के लिये एक समन्वय समिति स्थापित की है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देश पद क्या क्या हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति के निर्देश पद हैं—लघु उद्योगों के विकास तथा कुटीर और लघु उद्योगों की अग्रिम योजनाओं के लिये मार्ग प्रदर्शन तथा समन्वय का काम करना ।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

४३. श्री अमर सिंह डामर : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर इस कार्य के प्रारम्भ होने से अब तक कुल कितना धन व्यय किया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : विस्थापित व्यक्तियों पर १९४७-४८ से १९५८-५९ तक (३१-१२-५८ तक दिये गये आर० एफ० ए० कर्जों समेत) लगभग कुल ३२९·९८ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं ।

दैनिक समाचारपत्र तथा पत्रिकायें

†४४. श्री अमर सिंह डामर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं में कुल कितने दैनिक पत्र, सप्ताह में दो बार छपने वाली साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक पत्रिकायें प्रकाशित होती हैं; और

(ख) अखिल भारतीय 'सर्क्युलेशन' वाले ऐसे कितने समाचार पत्र हैं जिन में समय समय केन्द्रीय सरकार की ओर से विज्ञापन छपवाये जाते हैं ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) संविधान में उल्लिखित भाषाओं में ३१ दिसम्बर, १९५८ को भारत में प्रकाशित होने वाले दैनिक, अर्ध साप्ताहिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक तथा अन्य पत्रों की कुल संख्या ६,२१५ थी ।

(ख) 'अखिल भारतीय सर्क्युशन, वाले' शब्दों का तापर्य स्पष्ट नहीं है । अतएव कोई जानकारी देना सम्भव नहीं है । हां, गत तीन वर्षों में जिन समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं में सरकारी विज्ञापन छपवाये गये थे, उन की संख्या निम्नलिखित है :—

१९५६–५७	५३१
१९५७–५८	६७२
१९५८–५९	७९४

श्रीलंका में भारतीय उद्भव के व्यक्ति

४५. श्री अमर सिंह डामर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका में रहने वाले भारतीय उद्भव के कितने व्यक्तियों ने अब तक श्रीलंका की नागरिकता प्राप्त करने के लिये आवेदन किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन में से कितने लोगों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की गई ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) भारतीय और पाकिस्तानी निवासी (नागरिकता) अधिनियम के अन्तर्गत श्रीलंका में रहने वाले भारत मूलक लोगों ने श्रीलंका की नागरिकता पाने के लिये २,३७,०३४ अर्जियां भेजी थीं। मोटे तौर पर ये अर्जियां ८.५ लाख लोगों की थीं ।

(ख) अप्रैल, १९५९ के अन्त तक १,०३,५७० लोगों को श्रीलंका की नागरिकता दी गई ।

मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचारपत्र

४६. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मुख्य शहरों से इस समय कितने दैनिक समाचारपत्र प्रकाशित हो रहे हैं ;

(ख) इन में कौन सा समाचारपत्र सब से पुराना है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सराकार इन दैनिक समाचारपत्रों को कभी विज्ञापन भी देती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों से (जिन की आबादी १ लाख से अधिक है) प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचारपत्रों की कुल संख्या २८ है ।

(ख) इन में से सब से पुराना दैनिक समाचरपत्र "नदीम" उर्दू में है।

(ग) सरकार ने समाचारपत्रों को विज्ञापन देने के लिये कुछ नियम बनाये हैं। जो समाचार पत्र उन निर्धारित नियमों के अनुसार होते हैं उन सब को विज्ञापन दिये जाते हैं ।

ल्हासा में भूमि और मकान का अधिग्रहण

४७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** ११ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ल्हासा (तिब्बत) में कुछ भूमि व मकान खरीदने का जो प्रयत्न चल रहा था उस में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस बीच कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। फिर भी मामले पर लिखापढ़ी की जा रही है।

रेयर अर्थ्स लिमिटिड, अल्वाय

†४९. **श्री तंगामणि**
श्री अ० क० गोपालन

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान रेयर अर्थ लिमिटिड, अल्वाय, में हुई हड़ताल के

---

†मूल अंग्रेजी में

समय पुलिस संरक्षण के सम्बन्ध में केरल की विधान-सभा में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस घटना के तथ्यों की जानकारी के लिये कोई और जांच की है ; यदि हां, तो क्या इस विषय में दिये गये वक्तव्य में कही गई बातों का ध्यान रखा गया है;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में किसी भी समय राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि इस हड़ताल के दौरान में पर्याप्त अथवा अपर्याप्त पुलिस संरक्षण प्रदान किया गया है ; और

(घ) क्या राज्य सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) भारत सरकार ने केरल के कुछ समाचारपत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार देखे हैं कि केरल के उद्योग मंत्री ने वहां की विधान-सभा में यह कहा था कि रेयर अर्थ्स लिमिटिड, अल्वाय, की हड़ताल के बारे में २७ अप्रैल, १९५९ को लोक-सभा के पटल पर रखे गये विवरण में लगाये गये दोष गलत हैं। केरल सरकार को इस वक्तव्य की प्रति देने के लिये कहा गया है। अभी तक हमको यह प्रति नहीं मिली है।

(ख) भारत सरकार ने अल्वाय स्थित इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के कारखाने में हड़ताल के दौरान में प्रदान किये गये पुलिस संरक्षण के प्रश्न के बारे में कई बार गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। २७ अप्रैल, १९५९ को लोक-सभा के पटल पर रखे गये विवरण के बाद उसे ऐसी कोई नई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है जिस के आधार पर इस विवरण में उल्लिखित तथ्यों को गलत समझा जा सकता हो।

(ग) जी हां। जैसाकि लोक-सभा के पटल पर रखे गये विवरण के पैरा ५ में कहा गया है, इस कम्पनी में अनधिकार प्रवेश और कम्पनी की सम्पत्ति के विध्वंस की घटनायें १६ मार्च और २१ मार्च, १९५९ को घटित हुई हैं। कम्पनी ने स्थानीय जिलाधीश और जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट को १७ मार्च, १९५९ को और केरल सरकार के मुख्य सचिव को २० मार्च, १९५९ को कम्पनी के कर्मचारियों व सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये पुलिस की सहायता प्रदान करने के लिये पत्र लिखे। कर्मचारी संघ ने ३१ मार्च, १९५९ को हड़ताल शुरू की। भारत सरकार ने केरल के मुख्य सचिव को १ अप्रैल, १९५९ को इस आशय का पत्र लिखा कि वह शान्ति व अमन रखने के लिये तथा कारखाने के कर्मचारियों व सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये आवश्यक एवं पर्याप्त पुलिस व्यवस्था करें। चूंकि संयंत्रों को ३ अप्रैल, १९५९ से बन्द कर दिया गया था इसलिये उस की और कोई क्षति नहीं हुई।

जून १९५९ में कम्पनी के मुख्य प्रशासकीय अधिकारी ने, जिन को उचित सुरक्षा व्यवस्था करवा के इस कारखाने को पुनः चालू करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये नियुक्त किया गया था, एरणाकुलम के जिलाधीश, केरल सरकार के मुख्य सचिव तथा उद्योग मंत्री, श्री के० पी० गोपालन, को यह रिपोर्ट दी कि इस कारखाने के संयंत्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा का केवल तभी प्रबन्ध हो सकता है जब इस कारखाने के क्षेत्र को सब तरफ़ से बन्द कर दिया जाये और यह कि जब तक पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किये जायेंगे तब तक कम्पनी अपना काम नहीं चालू कर सकेगी। ४ जुलाई, १९५९ को कम्पनी को जिला सुपरिन्टेंडेंट पुलिस से यह समाचार मिला कि वह उस दिन से आरक्षियों की संख्या ५० प्रतिशत कम कर रहे हैं और १० जुलाई, १९५९ को वह सभी आरक्षी वापस बुला लेंगे। ९ जुलाई, १९५९ को अणुशक्ति विभाग ने केरल के मुख्य सचिव को इस आशय का पत्र लिखा कि इस कारखाने की रक्षा के लिये वहां पर पर्याप्त पुलिस का बना रहना बड़ा आवश्यक है और

---

†मूल अंग्रेजी में

वर्तमान आरक्षियों की संख्या को भी घटाना चाहिये। इस के बाद अणुशक्ति विभाग के सचिव ने एरणाकुलम के जिलाधीश व केरल सरकार के मुख्य सचिव को फिर एक तार द्वारा सूचित किया कि वह वहां से आरक्षियों की संख्या कम करने और उन को बिल्कुल हटा देने के निश्चय को स्थगित करने की कृपा करें। भारत सरकार के इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप केरल की सरकार कम्पनी द्वारा सुरक्षा का कोई अपना वैकल्पिक उपाय न होने तक वर्तमान संरक्षण बनाये रखने पर सहमत हो गई।

(घ) केरल सरकार के उद्योग मंत्री ने ४ जून, १९५९ को इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटिड के चेयरमैन को यह सूचना दी कि राज्य सरकार कर्मचारियों द्वारा बिना-शर्त हड़ताल खत्म करवाने का प्रयत्न करने के लिये तैयार है। उन्होंने यह आशा भी प्रकट की कि यह कारखाना शीघ्र ही पुनः चालू हो जायेगा। इस पत्र के उत्तर में इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के चेयरमैन ने अन्य बातों के साथ राज्य सरकार को यह लिखा कि वह कारखाने को पुनः चालू करने के लिये तय्यार हैं और उन्होंने राज्य सरकार से यह प्रार्थना की उस ने कारखाने के लिये जो क्षेत्र दिया है उस को सब तरफ से बन्द कर दिया जाये और कारखाने के संयंत्रों और कर्मचारियों के संरक्षण के लिये उचित तथा पर्याप्त पुलिस संरक्षण प्रदान किया जाये। केरल सरकार के उद्योग मंत्री ने १६ जून, १९५९ को कंपनी के चेयरमैन को फिर एक पत्र लिख कर कहा कि वह कारखाने के आसपास की स्थानीय जनता को कारखाने की तोड़ी गई चहारदीवारी को फिर से बनाने के लिये राजी करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। १४ जुलाई, १९५९ को उन्होंने कम्पनी के मुख्य प्रशासकीय अधिकारी को फिर एक पत्र लिख कर आश्वासन दिया कि वह स्थानीय लोगों को चहारदीवारी के निर्माण के प्रश्न पर राजी करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और उन्होंने आशा प्रकट की कि कम्पनी की सम्पत्ति के इर्द गिर्द बाड़ लगाने के लिये अब पुलिस की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कम्पनी के मुख्य प्रशासकीय अधिकारी ने २० जुलाई, १९५९ को राज्य सरकार को फिर एक पत्र लिख कर यह बात दोहराई कि कम्पनी के क्षेत्र में बाड़ लगाना जरूरी है तभी उस का उस क्षेत्र में वैध कब्जा समझा जा सकता है और तभी लोगों के अनधिकार प्रवेश को रोका जा सकता है तथा संयंत्र एवं कर्मचारियों की रक्षा की जा सकती है। कम्पनी केरल के उद्योग मंत्री से सीधे पत्र व्यवहार कर रही है जिन्होंने कि इस विवाद को निपटाने और कम्पनी की जमीन की चहारदीवारी बनाने का आश्वासन दिया है। चूंकि कम्पनी को इस जमीन का कब्जा राज्य सरकार के एक आदेश द्वारा दिया गया था इसलिये कम्पनी को उस क्षेत्र में चहारदीवारी बनाने का पूरा अधिकार है। इस में राज्य सरकार का केवल इतना कर्तव्य है कि वह इस काम को करने के लिये कम्पनी को उचित पुलिस संरक्षण दे। किन्तु खेद है कि कम्पनी को अभी तक यह सहायता नहीं मिल पा रही है।

ब्रिटेन में भारतीय विद्यार्थी पर आक्रमण

†५०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन विश्वविद्यालय के पारबेक कालेज के एक भारतीय विद्यार्थी को १६ मई, १९५९ को लन्दन में एक अंग्रेज के आक्रमण का व्यर्थ में शिकार बनना पड़ा ;

(ख) यदि हां, तो क्या हमारी सरकार ने इस का कोई विरोध किया है ; और

(ग) इस का क्या परिणाम हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) जी हां। यह विद्यार्थी ब्रिटिश रेलवे में अंशकालिक कर्मचारी भी था। उल्लिखित तिथि को जब यह ड्यूटी पर था—किल-बर्न हाई रोड स्टेशन, लन्दन पर एक अनजाने यात्री ने उस पर आक्रमण कर दिया था।

(ख) तथा (ग). कोई विरोध नहीं किया गया है। अभी स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है और वह इस विद्यार्थी तथा लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयुक्त के साथ सम्पर्क स्थापित किये हुए है।

हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक सर्वेक्षण

५१. **श्री पद्म देव**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में किये गये औद्योगिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट, जो मई, १९५७ में आग लगने से नष्ट हो गई थी इस बीच पुनः तैयार कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) यह रिपोर्ट तत्कालीन सर्वेक्षण अफसर की सहायता से पुनः तैयार की गई है और इस समय उस पर हिमाचल प्रदेश सरकार विचार कर रही है। रिपोर्ट के बारे में कोई निश्चय हो जाने के बाद उस की प्रतियां प्राप्त कर के सभा-पटल पर रख दी जायेंगी।

हिमाचल प्रदेश में जानवरों को खाल उतारे बिना दबाना

५२. **श्री पद्म देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में जानवरों को खाल उतारे बिना ही दबा दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस राष्ट्रीय सम्पत्ति को नष्ट होने से बचाने के लिये क्या कार्य-वाही कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योगमंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) जी नहीं। हिमाचल प्रदेश में जानवरों को दबाने से पहले उनकी खालें ठीक तौर से उतार ली जाती हैं। इन खालों को जूते आदि बनाने के लिये कमा कर तैयार कर लिया जाता है। जब कोई जानवर किसी छूत की बीमारी से मरता है तो उस की खाल नहीं उतारी जाती जिस से स्वस्थ जानवरों को वह बीमारी न लग जाये।

(ख) भाग (क) के उत्तर में जो कुछ बताया गया है उसे देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

धनबाद में लोकनिर्माण विभाग के कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली लगाना

†५३. **श्री तंगामणि:** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कार्यप्रभारित कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी हां ।

(ख) इन क्वार्टरों में बिजली लगाने के अनुमानित व्यय की स्वीकृति दे दी गई है । आशा है यह कार्य शीघ्र ही पूरा हो जायेगा ।

घट्टी और पूर्णिया की शरणार्थी बस्ती

†५४. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान १३ जून, १९५९ के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि बारन जिले की किशनगंज तहसील में स्थित घट्टी और पूर्णिया की शरणार्थी बस्ती के एक व्यक्ति की पत्नी की भूख से मृत्यु हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात की कोई जांच की गयी है कि भूख से हुई इस मौत के लिये कौन उत्तरदायी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) श्री लक्ष्मीकान्त नाथ की पत्नी भूख से नहीं मरी है । ऐसा कहा जाता है कि उसने आत्महत्या की है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बाइसिकलें

†५५. **श्री विभूति मिश्र :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५८–५९ में कुल कितनी बाइसिकलें बनाई गईं;

(ख) इस अवधि में कितनी बाईसिकलों का विदेशों से आयात किया गया; और

(ग) बाइसिकलों के उत्पादन में आत्म-निर्भर होने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क)

बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा	८,९३,६८७
छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा	१,७२,३५७
कुल जोड़ . .	१०,६६,७४४

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जुलाई-सितम्बर, १९५७ के अनुज्ञप्ति-काल से साइकिलों का आयात बन्द है किन्तु १९५८-५९ में पिछले कालों में जारी किये गये लाइसेंसों और 'निजी सामान' के नियमों के अन्तर्गत ३,४९७ बाईसिकलें आयात की गई हैं जिनकी कीमत लगभग ५,०७,००० रुपये होगी ।

(ग) बाइसिकलों का निर्माण करने वाले एककों को, यदि विदेशी मद्रा उपलब्ध हो तो, पंजीगत सामान, कच्चा माल और कल पुर्जे इत्यादि मंगवाने की, जैसी कि उनकी आवश्यकता होती है, सहायता दी जाती है । इन एककों को देशी इस्पात के कोटा द्वारा भी सहायता दी जाती है । छोटे पैमाने के साइकलें बनाने वाले कारखानों को अन्य छोटे पैमाने के कारखानों की भान्ति राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है ।

मैंगनीज खानों में विषाक्तता

†५६. {श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री ३० अप्रैल, १९५९ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २१३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज खानों में विद्यमान विषाक्तता के कारणों, सीमा, उसकी पहचान और ग्रस्त रोगियों की चिकित्सा आदि की जांच करने के लिये तथा इस सम्बन्ध में रोकथाम के उपायों के बारे में परामर्श देने के लिये जो जांच-समिति नियुक्त की गयी थी उसने अब अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक मिलने की आशा है; और

(ग) इस जांच समिति के कौन कौन सदस्य हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं ।

(ख) मई १९६० तक ।

(ग) समिति के सदस्यों के नाम नीचे दिये जाते हैं :—

चेयरमेन:—डा० एम० एल० रावल, प्राध्यापक, निरोधक चिकित्सा, ग्रांट मेडिकल कालेज, बम्बई–८।

सदस्य :—(१) डा० एम० एन० राव, प्राध्यापक, औद्योगिक स्वास्थ्य, अखिल भारतीय आरोग्य तथा लोक स्वास्थ्य संस्था, कलकत्ता ।

(२) डा० टी० पी० नियोगी, सिविल सर्जन, जबलपुर, मध्य प्रदेश ।

(३) डा० एच० एच० वाडिया, बम्बई ।

(४) डा० एम० एन० गप्त, उप-मुख्य कारखाना परामर्शदाता, नई दिल्ली ।

हैदराबाद में प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो

†५७. {श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में प्रेस इन्फॉरमेशन ब्यूरो खोलने का कोई विचार है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या वहां पर तेलगू और उर्दू दोनों एकक स्थापित किये जायेंगे ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान प्रस्ताव केवल तेलगू एकक की स्थापना के बारे में है । उर्दू एकक के प्रश्न पर बाद में विचार किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश से मद्यसार (पावर अल्कोहल) का निर्यात

†५८. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश से प्रति वर्ष कितने मद्यसार (पावर अल्कोहल) का निर्यात होता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: मद्यसार (पावर अल्कोहल) का निर्यात नहीं होता है । केवल औद्योगिक स्पिरिट—रेकटीफाईड अथवा डीनेचर्ड—ही देश से बाहर भेजी जाती है । इसके निर्यात के वास्तविक आंकड़े वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़ों के विभाग द्वारा प्रकाशित 'भारत का विदेशी व्यापार' के मासिक आंकड़ों से पता लग सकते हैं । यह आंकड़े भारत से निर्यात के आंकड़ों के रूप में मिल सकते हैं किसी विशेष राज्य के नाम से नहीं क्योंकि निर्यात के आंकड़ों में उस राज्य का नाम नहीं लिखा जाता जहां से कोई वस्तु मूलत: ली जाती है । इस वर्ष इस का बड़े पैमाने पर निर्यात हो रहा है । जून में ३,००,००० गेलन स्पिरिट का ब्रिटेन को निर्यात किया गया है । यह स्पिरिट उत्तर प्रदेश से ही ली गयी है ।

नयी दिल्ली में निष्क्रांत सम्पत्तियों का निपटारा

†५९. **श्री वारियर** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जन्तर-मन्तर रोड, नई दिल्ली पर कितने बंगलों को निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित किया गया है;

(ख) इन में से अब तक कितनों का निपटारा हो चका है;

(ग) इनका निपटारा किस तरीके से किया गया है;

(घ) क्या जो बंगले बेचे गये हैं उन में बंगला नं० ७ भी सम्मिलित है; और

(ङ) यदि हां, तो किस कीमत पर ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) एक ।

(ख) एक ।

(ग) पट्टेदारों के साथ पत्र-व्यवहार करके बेचा गया है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) ६,१०,७०० रुपये में ।

इसके अतिरिक्त खरीदार को निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय को अतिरिक्त प्रीमियम के रूप में ९६,९६२ रुपये और प्रतिवर्ष अतिरिक्त जमीन के किराये के रूप में ४,८४९ रुपये देने पड़ेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में कारखाने

†६०. श्री वारियर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन कारखानों के क्या नाम हैं जिन में उनकी पूरी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं हो रहा है;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कारखानों में पूरी क्षमता के अनुसार उत्पादन कराने में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) दिल्ली में अधिकांश कारखानों में पुराने स्तर पर उत्पादन हो रहा है और उनमें से बहुतों ने यह बताया है कि उत्पादन बढ़ रहा है । तथापि, यह सच है कि कुछ कारखानों में और विशेषतः केमिकल उद्योग में कच्चे माल की कमी के कारण पूरी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं हो रहा है । किसी भी कारखाने से उत्पादन में गंभीर हानि का पता नहीं चला है ।

(ख) और (ग). इस के कुछ विशेष कारण ये हैं : आयातित कच्चे माल का पर्याप्त संभरण प्राप्त करने और पुरानी घिसी हुई और खराब मशीनों के बदलने में कठिनाई, तैयार किये गये माल की मांग में अस्थिरता, आर्थिक कठिनाई और अयोग्य प्रशासन ।

सरकार ने आयातित कच्चे माल के संभरण में ढील दे दी है और यथासम्भव उत्पादन को अधिकाधिक बढ़ाने के प्रयत्न किये जाते हैं । उद्योगों को वित्तीय सहायता भी दी जा रही है । विकास शाखा, छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास आयुक्त उद्योग निदेशक तथा छोटे उद्योग सेवा संस्था द्वारा प्रविधिक सहायता और परामर्श दिये जाते हैं ।

पश्मीना ऊन का निर्यात

†६१. श्री हेम राज : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ से १९५९ तक के वर्षों में विदेशों को (उनके नाम सहित) कितने मूल्य का और कितनी मात्रा में पशमीना ऊन का निर्यात किया गया; और

(ख) उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). नवम्बर, १९५७ से पहले के पशमीना ऊन के निर्यात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। नवम्बर, १९५७ से मई, १९५९ तक निर्यात निम्न प्रकार रहा :

अवधि	मात्रा (पौंड में)	मूल्य (रुपयों में)
नवम्बर-दिसम्बर, १९५७ . . .	..	..

†मूल अंग्रेजी में

जनवरी-दिसम्बर, १९५८

जापान	१,०००	८,०३७
अमरीका . .	१,९१,०५६	१३,६०,१५८

जनवरी-मई, १९५९

अमरीका	२,९०,३९७	२२,२७,३९१

मई, १९५९ के बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय पुलिस अधिकारियों का अपहरण

†६२. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अ० मु० तारिक :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **प्रधान मंत्री** वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २२ जून, १९५९ को जम्मू के पश्चिम में, मुनव्वर क्षेत्र में गश्त लगाते हुए भारतीय सीमा पुलिस के दो व्यक्तियों का पाकिस्तानी सैनिकों ने अपहरण कर लिया ;

(ख) क्या भारतीय अधिकारियों ने इस मामले की संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों से रिपोर्ट की है जिन्होंने उस क्षेत्र का दौरा किया था ; और

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) भारतीय सीमा पुलिस के एक लांस नायक और एक कांस्टेबल जोकि भारतीय सीमा के भीतर मुनव्वर से मालगोटियां तक जम्मू—पश्चिमी पाकिस्तान सीमा पर गश्त की ड्यूटी पर थे, २२ जून, १९५९ से लापता हैं। मुनव्वर के दक्षिण में पाकिस्तान के कहने पर २५ जून, १९५९ को हुई एक फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तानी प्रतिनिधियों ने हमारे दो पुलिसमैनों के पकड़े जाने को स्वीकार किया।

(ख) संयुक्त राष्ट्र सेना प्रेक्षक दल से सीमा अतिक्रमण की शिकायत कर दी गई है ।

(ग) जी, नहीं । मुख्य सेना प्रेक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यदि आवश्यक हुआ तो सरकार इस मामले में आगे कार्यवाही करने पर विचार करेगी ।

पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय

†६३. **श्री दशरथ देब** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों से वर्ष १९५९-६० में अब तक पाकिस्तानियों द्वारा कुल कितने भारतीय नागरिकों का अपहरण किया गया ;

(ख) उनको छुड़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) कितने अपहृत भारतीय नागरिक अब भी पाकिस्तान की हिरासत में हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) अप्रल, १९५९ से जुलाई, १९५९ के अन्त तक त्रिपुरा सीमा से पाकिस्तानियों द्वारा केवल एक भारतीय नागरिक का अपहरण किया गया ।

(ख) उस को छुड़ाने के लिये त्रिपुरा प्रशासन ने पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारियों से कहा है ।

(ग) एक, तथापि इस के अतिरिक्त १९५८-५९ में अपहरण किये गये छः अन्य व्यक्तियों का छोड़ा जाना अभी बाकी है ।

पाकिस्तानियों द्वारा ढोरों का लेजाया जाना

†६४. श्री दशरथ देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ में और १९५९-६० में अब तक पाकिस्तानी त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों से कुल कितने ढोर चुरा कर ले गये ;

(ख) क्या यह संख्या वृद्धि पर है ;

(ग) पाकिस्तानियों से ढोरों की वापसी के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) इन सीमावर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार ढोरों के ले जाये जाने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू) : (क) इस सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा अप्रैल, १९५८ से मार्च, १९५९ तक १७२ ढोर और अप्रैल, १९५९ से जून, १९५९ तक २४ ढोर ले जाये गये ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इन सब मामलों में त्रिपुरा प्रशासन ने ढोरों की वापसी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिये पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारियों से कहा है ।

(घ) इस प्रकार ढोरों को ले जाने की घटनाओं को रोकने के लिये सब सीमा चौकियों और गांव रक्षक दलों से कहा गया है कि वे ढोरों की चोरी को रोकने के लिये कड़ी निगरानी रखें । इस के अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्रों में ढोरों के लाने ले जाने को रोकने के लिये राज्य प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है ।

हिन्दी चलचित्रों को पारितोषिक

†६५. श्री कालिका सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन चलचित्रों के पारितोषिक देने की भारत सरकार की कोई योजना है जिन में संविधान के अनुच्छेद ३५१ में उल्लिखित स्तर के अनुसार हिन्दी भाषा का सर्वोत्तम , रूप, शैली और अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया हो ; और

(ख) यदि नहीं तो क्या सरकार उस की वांछनीयता की जांच करेगी ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) और (ख). जी, नहीं। भारतीय चलचित्रों में अधिकांश हिन्दी के चलचित्र होते हैं । पारितोषिक देते समय भाषा और अन्य सम्बन्धित पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है । इस कार्य के लिये कोई विशेष पारितोषिक देने की आवश्यकता नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी विज्ञापन

†६६. **श्री कालिका सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक में सरकार द्वारा दिये गये विज्ञापनों के कुल मूल्य में से कितने प्रतिशत भारत के हिन्दी भाषी समाचारपत्रों को दिया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : पिछले तीन वर्षों में विज्ञापन और दृश्य प्रचार के निदेशक द्वारा हिन्दी भाषी समाचारपत्रों को दिये गये प्रदर्शन और वर्गीकृत विज्ञापनों के कुछ मूल्य की प्रतिशतता निम्न प्रकार है :

	१९५६–५७	१९५७–५८	१९५८–५९
प्रदर्शन विज्ञापन	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
(डिस्प्ले एडवर्टाइज़मेंट) .	१८.७	१६.८	१६.७
वर्गीकृत विज्ञापन (क्लासीफाइड एडवर्टाइज़मेंट) . .	३.५	५.४	६.१

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये निवास स्थान

†६७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रेणी-वार उन सरकारी कर्मचारियों की क्या संख्या है जिन्होंने निवास-स्थान के लिये आवेदन-पत्र तो दिये हैं परन्तु उन्हें दिल्ली में अभी तक कोई सरकारी निवासस्थान नहीं दिया गया है ; और

(ख) वर्गवार कितने क्वार्टर बन रहे हैं और वे आवंटन के लिये कब तक तैयार हो जायेंगे ?

†**निर्माण आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क)—

पदाधिकारियों के आवास की पात्र-श्रेणी	उन पदाधिकारियों की संख्या जिनको किसी भी श्रेणी का सरकारी निवास-स्थान नहीं दिया गया है
'क' (३००० रुपये से ४,००० रुपये तक) . .	२
'ख' (२००० रुपये से २९९९ रुपये तक)	६
'ग' (१५०० रुपये से ९९९ रुपये तक)	१२१
'घ' (५०० रुपये से १९९९ रुपये तक) .	१०५५
'च' (२५० रुपये से ४९९ रुपये तक) .	३,१४८
'छ' (१५० रुपये से २४९ रुपये तक) .	४,८१२
'ज' (१५० रुपये से कम) . .	१२,२०४
चतुर्थ श्रेणी (५० रुपये तक) . . .	१०,७१६
कार्य भारित कर्मचारी . . .	६,४००
कुल .	३८,४६४

नोट : 'क' से 'छ' श्रेणी में श्रेणीवार वास्तविक कमी उपरोक्त आंकड़ों से अधिक है क्योंकि अधिकांश पदाधिकारी अपनी पात्र श्रेणी से नीचे की श्रेणी के मकानों में रह रहे हैं।

†मूल अंग्रेजी में

(ख)—निवास-स्थान की श्रेणी	निर्माणाधीन क्वार्टरों की संख्या
'क' और 'ख'	९
'ग'	४०
'घ'	६८
'च'	१,१६४
'छ'	७२८
'ज'	१,६६४
चतुर्थ श्रेणी और कार्य-भारित कर्मचारी	२,९७६
कुल	६,६४९

इन ६,६४९ क्वार्टरों में से ९५७ क्वार्टर दिसम्बर, १९५९ के अन्त तक आवंटन के लिये तैयार हो जायेंगे। बाकी ५,६९२ क्वार्टर निर्माण के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं और यह आशा की जाती है कि ये १९६० तक पूरे हो जायेंगे और आवंटित कर दिये जायेंगे। ख्याल है कि ४,०३१ क्वार्टरों का निर्माण चालू पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि में आरम्भ हो जायेगा।

दिल्ली में किसानों की गिरफ्तारी

†६८. **श्री पहाड़िया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत जिले के दो किसानों को, जिनको कि लन्दन में उतरने की आज्ञा नहीं दी गई थी, झूठे और गलत दस्तावेजों पर यात्रा करने के आरोप में नई दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में जांच की गई है कि उन को ये पारपत्र किस ने दिये थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जी, हां। २० जून, १९५९ को पालम हवाई अड्डा, नई दिल्ली में मुरार लल्लू और सोमा भाई नामक दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे क्योंकि वे जाली पारपत्रों पर यात्रा कर रहे थे। इस बारे में कि उन को ये जाली पारपत्र किसने दिये, मद्रास सरकार जांच पड़ताल कर रही है जो कि गिरफ्तार व्यक्ति और जालसाजी के लिये जिम्मेवार अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिये उत्तरदायी है।

आकाशवाणी, कलकत्ता द्वारा 'त्रिपुरी' में प्रसारण

†६९. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन विषयों पर आकाशवाणी, कलकत्ता द्वारा 'त्रिपुरी' में प्रसारण किया जाता है ?

†मूल अंग्रेजी में

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : आकाशवाणी, कलकत्ता के त्रिपुरी कार्यक्रमों में निम्नलिखित विषय निम्नलिखित क्रमानुसार प्रसारित किये जाते हैं :

(१) त्रिपुरी राग ;

(२) त्रिपुरी में समाचार, बाजार भाव और मौसम का हाल ;

(३) त्रिपुरी गायन ; और

(४) बंगाली में समाचार, बाजार भाव और मौसम का हाल ।

औद्योगिक मशीनों का निर्माण

†७०. **श्री खोमजी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २३ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक मशीनों और सामान के उत्पादन के बारे में योजना तैयार करने और परामर्श देने के लिये स्थापित की गयी छः स्थायी समितियों द्वारा अब तक क्या कार्य किया गया है; और

(ख) ये समितियां अपना प्रतिवेदन कब देंगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७]**

चाय बागान

†७१. **श्री वीरेन्द्र सिंह जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम, कछार, दार्जीलिंग, दोआर्स, तराई, केरल, और मद्रास प्रदेशों में यूरोपीय और भारतीयों के अधिकार में पृथक् पृथक् चाय बागानों का कुल कितना क्षेत्र है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८]**

अखिल भारतीय रेशम-कीट पालन प्राशक्षण संस्था, मैसूर

†७२. **श्री सिदय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २० नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५ के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेशम-कीट पालन प्रशिक्षण संस्था, मैसूर के लिये भवन निर्माण का कार्य इस वर्ष आरम्भ कर दिया जायेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) संस्था और होस्टल की वर्तमान आवश्यकता चार इमारतों को पट्टे पर किराये पर ले कर पूरी कर दी गयी है । इस समय इमारत बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब के पहाड़ी प्रदेशों का विकास

†७३. श्री हेम राज : क्या योजना मंत्री २६ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को पंजाब सरकार से पहाड़ी प्रदेशों के विकास के लिये योजनायें प्राप्त हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जावेगी;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) राज्य सरकार के प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं।

(ख) मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :

	१९५९–६१ (लाख रुपये)
कृषि	०.६८
पंचायतें	०.७०
छोटी सिंचाई	८.९१
उद्योग	५.६८
सड़कें	१४०.००
शिक्षा	१.४४
स्वास्थ्य	४.००
कुल	१६१.४१

(ग) और (घ). कार्यक्रम परामर्शदाता शीघ्र ही इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार के साथ बातचीत करेगा।

बिजली के सामान का निर्माण

†७४. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारी विद्युत् उद्योग के इस सुझाव पर विचार किया है कि बड़े कारखानों को बिजली की मोटरों का निर्माण करना चाहिये और छोटे पैमाने के कारखानों को सहायक वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). सरकार द्वारा स्थापित भारी विद्युत उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् ने जून, १९५८ में हुई अपनी बैठक में यह सुझाव दिया था कि छोटे पैमाने के कारखानों में पूरी बिजली की मोटरें बनवाये जाने के बजाये बिजली की मोटरों के सहायक सामान का निर्माण कराया जाये । छोटे पैमाने के कारखानों में बिजली की मोटरों समेत विभिन्न उत्पादों की सहायक वस्तुओं का निर्माण कराने के प्रश्न पर सरकार विचार करती रही है । छोटे पैमाने के कारखानों में उत्पादन किये जा सकने वाले बिजली की मोटरों की सहायक वस्तुओं की सूची तैयार कर ली गयी है । यह पता चला है कि बिजली की मोटरों के बड़े निर्माता सहायक सामान छोटे पैमाने के कारखानों से ले रहे हैं ।

छोटे पैमाने के क्षेत्र में बिजली की मोटरों के निर्माण को भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के लिये भूमि

†७५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रवेश के लिये बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये नये कालिज बनाने के लिये क्या भारत सरकार को भूमि के आवंटन के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय से कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी, हां ।

(ख) मामले की जांच की गयी है और विश्वविद्यालय को कुछ स्थानों का सुझाव दिया गया है । शिक्षा मंत्रालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के परामर्श से कालिजों की इमारत बनाने के लिये स्थानों के आवंटन को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है ।

निधन संबंधी उल्लेख

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि हमारे तीन मित्रों श्री पी० सी० बोस, श्री एम० डी० रामस्वामी और श्री जहांगीर के० मुंशी का निधन हो गया है ।

श्री बोस इस सभा के वर्तमान सदस्य थे । उन की मृत्यु २५ जुलाई, १९५९ को हो गयी । इस समय उनकी आयु ६० वर्ष थी ।

श्री एम० डी० रामस्वामी १९५२ से १९५७ तक प्रथम लोक सभा के सदस्य और उसके बाद मद्रास विधान सभा के सदस्य थे । उनकी मृत्यु २९ जून, १९५९ को मदुरा में हुई । इस समय उनकी आयु ५६ वर्ष थी ।

श्री जहांगीर के० मुंशी १९२८ से १९३४ तक भूतपूर्व केन्द्रीय संविधान सभा के सदस्य थे । उनकी मृत्यु ३० जून, १९५९ को हो गयी । इस समय उनकी आयु ७० वर्ष थी ।

हमें इन मित्रों के निधन का दुख है और मुझे विश्वास है कि उनके सन्तप्त परिवारों को संवेदना भेजने में सभा मेरे साथ है ।

[इसके पश्चात् सदस्य एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे]

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव

केरल

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कई स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें मिली हैं। उनमें कुछ केरल के सम्बन्ध में हैं। पर आज की कार्यावलि में एक विषय यह है कि माननीय गृह-कार्य मंत्री राष्ट्रपति की उद्घोषणा को सभा पटल पर रखेंगे और मैं उस पर होने के लिए शीघ्र ही एक तिथि निर्धारित करूंगा। अतः मैंने इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति नहीं दी है।

श्री अ० क० गोपालन का भी एक स्थगन प्रस्ताव है जिसमें कहा गया है कि उद्घोषणा जारी होने के बाद अनेक व्यक्तियों के साथ जो वहां की सरकार के पक्ष में थे, दुर्व्यवहार किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री बतायें कि वहां वास्तव में क्या स्थिति है।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : इस सम्बन्ध में, श्रीमान्, मैं ने आपको कुछ तार भी दिये थे जो मुझे मिले थे। उद्घोषणा के बाद वहां कुछ बातें हो रही हैं, जिससे वहां की जनता की जान-माल की सुरक्षा नहीं है। मैं चाहता हूं कि ३१, १ और २ तारीख को हमें ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में जो तार मिले हैं, मैं उन्हें सभा पटल पर रखूं। वहां आये दिन तथा अनेक स्थानों पर जैसे एरणाकुलम्, त्रिचुर, अलप्पी तथा अन्य स्थानों पर ऐसी घटनायें हो रही हैं और हुई हैं।

राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद वहां ताड़ी की दुकानों में आग लगा दी गई और ताड़ी निकालने वालों को मारा पीटा गया। सारे राज्य में ऐसी घटनायें हो रही हैं। वहां जनता की जान-माल की कोई सुरक्षा नहीं है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक है कि हम इस पर तुरन्त विचार करें। सरकार को चाहिये कि वह ऐसी घटनाओं को रोक कर तुरन्त शान्ति स्थापित करने के लिये प्रयत्न करे। यह साम्यवादी और गैर-साम्यवादी का प्रश्न नहीं है, बल्कि जनता का प्रश्न है। अतः इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना आवश्यक है।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मकन्दपुरम्) : मेरा स्थगन प्रस्ताव एक विशेष घटना से सम्बद्ध है। उद्घोषणा के बाद कैथोलिक सम्प्रदाय वालों के एक सशस्त्र समूह ने कलाडी के निकट एक मंदिर में घुस कर उसे अपवित्र किया। त्रिचुर के निकट, एक समाचार के अनुसार, आन्दोलनकारियों की एक गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा था पर कांग्रेसियों के सामने ही गाड़ी व आन्दोलनकारियों को तुरन्त जमानत पर छोड़ दिया गया। वहां अब सशस्त्र जलूस निकाले जा रहे हैं। यह बातें प्रधान मंत्री के सामने लाई जा चुकी हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री गोपालन तथा श्री नारायणन् कुट्टि मेनन से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हों ने इन बातों की खबर माननीय मंत्री के पास भेज दी है ?

†**श्री अ० क० गोपालन** : पहले दिन तो मैं ने प्रधान मंत्री के पास सारी जानकारी भेज दी थी। प्रधान मंत्री ने मुझे लिखा कि उन्हों ने गवर्नर को लिखा है कि ऐसी बातें रोकी जायें।

†**श्री श्री० अ० डांगे** (बम्बई नगर—मध्य) : श्रीमान्, आपने कहा कि माननीय गृह-कार्य मंत्री उद्घोषणा को सभा पटल पर रखेंगे। मेरा एक सुझाव है कि केरल के राज्यपाल की रिपोर्ट तथा अन्य जानकारी, जिस के आधार पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा निकाली है, भी सभा पटल पर रखी जायें। क्या हमें इन सब पर विचार करने का अवसर मिलेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय गृह-कार्य मंत्री।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : हमें दोनों ओर के यानी साम्यवादी दल तथा अन्य लोगों के कुछ तार मिले हैं। हम ने उन को तार द्वारा ही राज्यपाल के पास भेज दिया है ताकि वह तुरन्त ही कार्यवाही कर सकें। हम ने स्पष्ट आदेश भी भेज दिये हैं कि जहां भी कहीं हिंसा, गुण्डागर्दी, या उत्पात की घटनायें हों, उन्हें रोकने के लिये कड़ी व प्रभावी कार्यवाही की जाये। ऐसी घटनाओं का होना, खेद की बात है। हम मानते हैं कि राज्यपाल का कर्तव्य है कि वह ऐसी घटनाओं को रोके और बिना किसी दल, व्यक्ति, समुदाय या अन्य किसी बात का ख्याल किये, ऐसी बातों को अविलम्ब रोकें।

†**अध्यक्ष महोदय** : उद्घोषणा जारी हो जाने के बाद राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अब संसद पर ही है। माननीय मंत्री के सामने ऐसी जो भी बातें आयेंगी, उन के संबंध में वे कार्यवाही करेंगे, जैसाकि उन्हों ने अभी कहा है। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को विधि का संरक्षण प्राप्त है। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्यों को जो भी जानकारी मिले उसे वह माननीय मंत्री के पास भेजें, ताकि वह आवश्यक कार्यवाही कर सकें।

†**श्री गो० ब० पन्त** : वैसे मुझे जो जानकारी मिलेगी, मैं उस पर अवश्य कार्यवाही करूंगा पर मेरा सुझाव है कि केरल के किसी व्यक्ति को जब ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हो, तो उसे चाहिये कि वह वहां के स्थानीय पदाधिकारियों को वह जानकारी दे दे। बात यह है कि जानकारी मेरे पास आये और मेरे पास से वहां के राज्यपाल के पास जाये इस में समय अधिक लगेगा बजाये इस के कि वहीं के वहीं जानकारी स्थानीय पदाधिकारियों को दे दी जाये ताकि अविलम्ब कार्यवाही की जा सके।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : इस में एक कठिनाई है। मैं आप को बताना चाहता हूं कि उद्घोषणा जारी होने के बाद जब मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्री सचिवालय से बाहर आ रहे थे तो सचिवालय के बाहर लगभग ५० गुण्डों का एक समूह था, जिस ने उन पर अंडे फेंके। पुलिस उस समय वहां से हटा ली गई थी। अब आप बतायें कि किस से शिकायत की जायें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब आगे वहां पुलिस रहा करेगी। यदि ऐसी घटना हुई है, तो यह खेद की बात है।

अन्य स्थगन प्रस्तावों में कहा गया है कि कुछ मंत्रियों ने तरह-तरह के वक्तव्य दिये हैं जिन के कारण वहां संकट उत्पन्न हुआ है। इन बातों की चर्चा उस समय की जायेगी, जब उद्घोषणा पर चर्चा होगी।

श्री डांगे ने कहा कि राज्यपाल की रिपोर्ट भी सभा पटल पर रखी जाये, इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या किया जा सकता है ?

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मेरे तथा श्री सम्पत के स्थगन प्रस्ताव में कहा गया कि कुछ केन्द्रीय मंत्री राज्य सरकार के विरुद्ध तरह-तरह की बातें कहते फिरते थे, जिन से गुण्डागर्दी को प्रोत्साहन मिलता था। मेरे पास अखबारों की कटिंग हैं और मैं बता सकता हूं कि वे यह कहते फिरते थे कि केन्द्र को हस्तक्षेप अवश्य करना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्रियों द्वारा इधर-उधर दिये गये ऐसे वक्तव्यों के संबंध में भी एक स्थगन प्रस्ताव है। मेरा कहना है कि उद्घोषणा पर जब चर्चा होगी, उस समय इन बातों की भी चर्चा हो सकती है। इस समय मैं इस बात की अनुमति नहीं दे सकता कि किसी मंत्री पर दोषारोपण किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी का संभरण

†**अध्यक्ष महोदय** : मझे श्री ब्रजराज सिंह का एक स्थगन प्रस्ताव मिला है, जो इस प्रकार है :—

> "चीनी के वितरण व संभरण के विनियमन तथा चीनी के मूल्य पर नियंत्रण रखने में भारत सरकार की असफलता, जिस के परिणामस्वरूप पिछले कुछ दिनों में चीनी के बड़े-बड़े व्यापारियों ने चीनी के उपभोक्ताओं को खूब चूसा है और चीनी के बड़े-बड़े व्यापारियों ने लगभग १० करोड़ रुपये तक का अनुचित लाभ कमाया है।"

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : मैं एक बात की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं ने अपने स्थगन प्रस्ताव में एक भिन्न बात कही है। मेरा निवेदन है कि हमारा संविधान एक पवित्र अभिलेख है। यदि उस का उल्लंघन किया जाये, तो सभा को इस का ध्यान रखना आवश्यक है। मेरा कहना है कि इस उद्घोषणा के साथ व्याख्यात्मक टिप्पण नहीं है और यह संविधान का उल्लंघन है। क्या यह सभा संविधान को केवल कागज का एक टुकड़ा मानती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस बात पर विचार करूंगा। माननीय सदस्य चाहते हैं कि सरकार जो कुछ भी करती है, उस के बारे में समय-समय पर सभा को सूचित करती रहे। उद्घोषणा पर जब चर्चा होगी, उस समय माननीय सदस्य इस बात को उठा सकते हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : श्रीमान्, ९ मई को जब सभा का सत्र चल रहा था, मैं ने बताया था कि आगामी तीन महीनों में भारत में चीनी का अकाल पड़ने वाला है। गत वर्ष भी चीनी का अकाल पड़ा था और इस वर्ष भी उस की पुनरावृत्ति हुई। सरकार की सांठगांठ से चीनी के बड़े-बड़े व्यापारियों ने ६ रु० से ८ रु० प्रति मन तक लाभ उठाया और लगभग १४ करोड़ का अनुचित लाभ कमाया। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्यों सावधान नहीं थी ?

आप ने सरकार को निदेश दिया था कि चीनी के वितरण, उस के मूल्यों की वृद्धि, उस के कारणों तथा किये जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में सरकार जनता को बताती रहेगी। चाहे सत्र की बैठक न हो रही है, पर सरकार ने कुछ नहीं किया और जनता को दुख उठाना पड़ा।

यह सरकार के उत्तरदायित्व का प्रश्न है। मेरा निवेदन है कि इस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाये, ताकि जनता को पता लगे कि इस सम्बन्ध में सरकार ने कितनी बेपरवाही की है, जिस का फल जनता को भोगना पड़ा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : ९ मई, १९५९ को खाद्य तथा कृषि उपमंत्री ने एक वक्तव्य दिया था कि कुछ बेजिम्मेदार लोगों ने चीनी के सम्बन्ध में यह स्थिति पैदा कर दी है। आज भी उत्तर प्रदेश में चीनी १ रु० ४ आने सेर मिलती है जब कि चीनी का नियंत्रित मूल्य ९५ नये पैसे है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यह स्थिति कब समाप्त होगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : निःसन्देह चीनी के सम्बन्ध में कठिनाइयां रही हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि चीनी पर चर्चा की जाये। मैं एक पत्र तैयार कर रहा हूं जिसे मैं शीघ्र ही सभा पटल पर रखूंगा। उस पत्र में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण होगा। वैसे मैं बता देना चाहता हूं कि नियंत्रित क्षेत्रों में चीनी मिलों के मालिकों को अपने मन से चीनी बेचने का हक नहीं है। मिलों पर तथा थोक व्यापारियों पर नियंत्रण है। अब स्थिति कुछ सुधर गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नागी रड्डी : (अनन्तपुर) : कहां सुधरी है ?

†अध्यक्ष महोदय : इन बातों पर चर्चा की जायेगी ।

†श्री अ० प्र० जैन : चर्चा के समय इन सब बातों का उल्लेख होगा । मुझे आशा है कि चीनी सम्बन्धी वह पत्र मैं शीघ्र ही सभा-पटल पर रखूंगा ।

†अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री चर्चा से पूर्व कोई पत्र माननीय सदस्यों में बंटवाना चाहते हैं ।

†श्री अ० प्र० जैन : जी हां, मेरा इरादा ऐसा ही है ।

†अध्यक्ष महोदय : ज्यों ही विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा, मैं उसे माननीय सदस्यों के पास परिचालित करवा दूंगा । उसके बाद शीघ्र ही उस पर चर्चा होगी ।

†श्री ब्रजराज सिंह : क्या वक्तव्य हमें इसी सप्ताह में मिल जायेगा ।

†श्री अ० प्र० जैन : जी हां ।

†अध्यक्ष महोदय : इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

केरल के बारे में उद्घोषणा

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): मैं संविधान के अनुच्छेद ३५६ के खण्ड (३) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा ३१ जुलाई, १९५९ को जारी की गयी उद्घोषणा की एक प्रति, जिसके द्वारा उन्होंने संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत केरल सरकार के सब कृत्य अपने हाथ में ले लिये हैं, सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० १४५५/५९]

†श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड): मैं एक बात उठाना चाहता हूं । उद्घोषणा में कहा गया है कि :—

> "मैं, राजेन्द्र प्रसाद, भारत का राष्ट्रपति, केरल के राज्यपाल से एक प्रतिवेदन प्राप्त कर चुका हूं और उस प्रतिवेदन तथा अन्य प्राप्त जानकारी पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया है कि केरल में ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है....."

मुझे यह कहना है कि यदि हमें उद्घोषणा पर विचार करना है और राष्ट्रपति के समाधान का अनुमोदन करना है, तो हमें यह भी पता होना चाहिये कि राज्यपाल का प्रतिवेदन क्या है और अन्य जानकारी जो राष्ट्रपति को मिली है, वह क्या है । क्योंकि कहा गया है कि राज्यपाल के प्रतिवेदन तथा अन्य प्राप्त जानकारी के आधार पर राष्ट्रपति का समाधान हो गया है कि केरल की राज्य सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती ।

अतः यदि हमें उद्घोषणा पर चर्चा करनी है, तो उसके साथ राज्यपाल का प्रतिवेदन तथा अन्य जानकारी भी सभा-पटल पर अवश्य रखी जानी चाहिए । अन्यथा चूंकि राष्ट्रपति का समाधान हो

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० क० गोपालन]

गया है अतः संसद् का भी समाधान हो जाये, यह कैसे हो सकता है ? अतः प्रतिवेदन तथा अन्य जानकारी का सभा-पटल पर रखा जाना आवश्यक है। इसके बिना हम कैसे जान सकते हैं कि राष्ट्रपति को क्या जानकारी मिली, किसने उनके पास प्रतिवेदन भेजा और राष्ट्रपति का कैसे समाधान हो गया और साथ ही हम उद्घोषणा का अनुमोदन कैसे कर सकते हैं ?

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन (मुकन्दपुरम्) : मेरा निवेदन है कि यह मामला पहले के मामलों से भिन्न है। पहले के मामलों में ऐसा था कि विधान सभा में सरकार का बहुमत समाप्त हो गया था पर यह मामला ऐसा नहीं है। केरल के राज्यपाल के पिछले प्रतिवेदन के बारे में समाचार पत्रों में उल्लेख है पर उनका दूसरा प्रतिवेदन क्या था जिसके आधार पर हस्तक्षेप करने का निर्णय किया गया। अतः यह सारा निर्णय बड़ी रहस्यपूर्ण स्थिति में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने किया है। अतः हम जानना चाहते हैं कि राज्यपाल का अन्तिम प्रतिवेदन क्या था ? और हस्तक्षेप करने का निर्णय दिल्ली की सरकार ने किया है या उसको प्रेरणा त्रिवेन्द्रम से मिली है ?

†श्री ईश्वर अय्यर (त्रिवेन्द्रम्) : अनुच्छेद ३५६ में कहा गया है कि राष्ट्रपति के समाधान के बाद उद्घोषणा जारी होगी। यदि मंत्रियों में मतभेद हो या विधान सभा में बहुमत डावांडोल हो या मन्त्रिमण्डल में विधान सभा को विश्वास न हो, तो स्पष्ट है कि राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि वहां राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया जाये। पर यहां पर तो राष्ट्रपति के समाधान का प्रश्न है और उनके स्वविवेक का प्रश्न है। अतः संसद् यह जानना चाहेगी कि क्या वास्तव में वहां ऐसी स्थिति पैदा हो गयी थी जिसका उल्लेख संविधान में है। अतः उद्घोषणा के साथ राज्यपाल के प्रतिवेदन का रखा जाना भी आवश्यक है। मेरा निवेदन है कि राज्यपाल के जिस प्रतिवेदन पर यह कार्यवाही की गयी है, उसे भी अवश्य सभा-पटल पर रखा जाये।

†श्री साधन गुप्त (कलकत्ता-पूर्व) : मेरा निवेदन है कि १२ जून के बाद या उसके पहले भी केरल के राज्यपाल ने जो प्रतिवेदन भेजे हैं वे सब अन्तिम प्रतिवेदन सहित सभा के समक्ष रखे जाने चाहिएं ताकि हम देख सकें कि राष्ट्रपति ने जो कार्यवाही की है, वह कहां तक सही है।

†श्री गो० ब० पन्त : मुझे खेद है कि मैं प्रतिवेदन को सभा पटल पर नहीं रख सकता। वह एक गोपनीय अभिलेख है। मैं चाहता हूं कि यह सम्भव होता कि राज्यपाल ने जो कुछ कहा है वह सभा को बताया जा सकता और जहां तक आवश्यक होगा, मैं सभा को सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा पर विरोधी दल की कुछ धारणायें, राज्यपाल से प्राप्त प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में, बिल्कुल गलत हैं तथा भ्रान्तिपूर्ण हैं।

†एक माननीय सदस्य : आप उन्हें सभा पटल पर क्यों नहीं रखते ?

†श्री गो० ब० पन्त : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्यों की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। मेरी इच्छा है कि ऐसे अवसर पर मैं अधिक से अधिक सीमा तक माननीय सदस्यों की इच्छा की पूर्ति करता, पर मेरे सामने कुछ कठिनाइयां हैं। यदि गोपनीय जानकारी को इस प्रकार व्यक्त कर दिया जायेगा, तो सरकारी पदाधिकारियों तथा उत्तरदायी पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिये यह कठिन होगा कि वे अपने विचारों को निर्भय होकर हमारे पास भेज सकें। उन लोगों के सामने बड़ी कठिनाई है। मैं ऐसी कोई मिसाल नहीं कायम करना चाहता जो आगे कठिनाई पैदा करे।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारी जानकारी के अन्य साधन भी हैं और अब तथा पहले भी हमें अन्य साधनों से जानकारी मिलती रही है । अन्तिम अवस्था में तो हमें अनेक साधनों से जानकारी मिलती रही है । अतः मैं समझता हूं कि उन्हीं बातों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए, जो माननीय सदस्य जानते हैं या जो मैं बताऊंगा या सरकार की ओर से बोलने वाला व्यक्ति आप को बतायेगा ।

यह मामला पहले भी सभा में उठाया जा चुका है और यह निश्चय हुआ था कि प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखना आवश्यक नहीं है । अतः मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों की इच्छा को पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा, पर मुझे खेद है कि मैं प्रतिवेदन को सभा पटल पर नहीं रख सकता ।

†श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई-मध्य) : चूंकि राष्ट्रपति का समाधान हो चुका है, अतः इस सभा का भी समाधान होना आवश्यक है । अन्यथा यह तो लोकतंत्रात्मक अधिकार की हत्या है । यह स्थिति बड़ी ही असंतोषजनक है ।

खैर, यदि सरकार का यही रवैया है, तो ठीक है पर हम केरल सरकार को पदच्युत करने सम्बन्धी कृत्य का, जो कि बिल्कुल अनुचित है, विरोध करते हैं ।

इस विरोध के रूप में हम लोग आज शेष दिन के लिये सभा से बाहर जाते हैं ।

(इसके बाद श्री श्री अ० डांगे तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से उठ कर बाहर चले गये ।)

†राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : मैं भी कुछ कारणों से सभा में बैठना उचित नहीं समझता ।

(राजा महेन्द्र प्रताप सभा भवन से उठ कर बाहर चले गए)

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बताया है कि यह एक गोपनीय अभिलेख है और यदि उसे सभा के समक्ष रखा जायेगा, तो अनेक पदाधिकारी कठिनाई में पड़ जायेंगे । पर इस उद्घोषणा का अनुमोदन किया जाना है । अतः चाहे वह अभिलेख सभा पटल पर रखा जाये या न रखा जाये, माननीय मंत्री को चाहिए कि वह सभा को विश्वास में लेकर बतायें कि किन बातों के आधार पर राष्ट्रपति ने ऐसी कार्यवाही की ।

माननीय मंत्री को सभा का अनुमोदन मांगने से पूर्व, सभा को यह बताना चाहिए—चाहे वह राज्यपाल के प्रतिवेदन के वास्तविक शब्द न बतायें—कि उस प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ताकि माननीय सदस्य यह निश्चय कर सकें कि वे उद्घोषणा का अनुमोदन करें या नहीं ।

औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियमों में संशोधन

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३८ की उप-धारा ४ के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ११ जुलाई, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८११ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० १४५६/५९]

लोहा और इस्पात (नियन्त्रण) आदेश में संशोधन

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत लोहा और इस्पात

---

†मूल अंग्रेजी में

(नियन्त्रण) आदेश, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ९ मई, १९५९ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १०४१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१४५७/५९]

राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया): मैं, श्री सत्य नारायण सिंह की ओर से संविधान के अनुच्छेद १२३(२)(क) के उपबन्धों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा २० जुलाई, १९५९ को प्रख्यापित सार्वजनिक वक्फ (अवधि का विस्तार) अध्यादेश, १९५९ (१९५९ की संख्या २) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१४५८/५९]

चलचित्र अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० च० जोशी): मैं चलचित्र अधिनियम, १९५२ की धारा ८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत चलचित्र (विवाचन) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(१) दिनांक १६ मई, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ५८५ और ५८६

(२) दिनांक ३० मई, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ६३९

(३) दिनांक २७ जून, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ७४६।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१४५९/५९]

प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(१) सरसिल्क लिमिटेड द्वारा तैयार किये गये एसीटेट सूत के कारखाने से चलते समय के उचित मूल्य और उचित विक्रय मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन।

(२) दिनांक १६ जून, १९५९ की सरकारी संकल्प संख्या २६ (१०५) टी ई एक्स (डी)/(५७)।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१४६०/५९]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†श्री कानूनगो: मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(१) सूती वस्त्र (हथकरघे द्वारा उत्पादन) नियंत्रण आदेश १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २ मई, १९५९ का एस० ओ० संख्या ९५२।

(२) वस्त्र (विद्युत् करघे द्वारा उत्पादन) नियंत्रण आदेश, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक २३ मई, १९५९ का एस० ओ० संख्या ११५२।

(३) वस्त्र (विद्युत् करघे द्वारा उत्पादन) नियंत्रण आदेश १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक २० जून, १९५९ का एस० ओ० संख्या १३८६।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी—१४६१/५९]

रबड़ नियमों में संशोधन

†श्री कानूनगो : मैं रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत रबड़ नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २३ मई, १९५९ की अधिसूचना संख्या ५९८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी—१४६२/५९]

प्रश्न के उत्तर की शुद्धि

†श्री कानूनगो : मैं डालमिया की फर्मों की जांच के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या २३०८ पर श्री तंगामणि के अनुपूरक प्रश्न पर ८ मई, १९५९ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाले वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १०५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(१) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदाली के कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण) विनियम १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २० जून, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ६९४।

(२) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २० जून, १९५९, की जी० एस० आर० संख्या ६९५।

(३) भारतीय पुलिस सेवा (पदाली के कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण) विनियम १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २० जून, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ६९६ और ६९७।

(४) भारतीय पुलिस सेवा (पदाली के कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण) विनियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ४ जुलाई, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ४५०।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम १९५४, भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम १९५४, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदाली) नियम १९५४ भारतीय पुलिस सेवा (पदाली) नियम १९५४, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम १९५४ , अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन और अपील) नियम १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १८ जुलाई, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ८१७ ।

(६) दिनांक १८ जुलाई, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ८१८ जिस में अखिल भारतीय सेवायें (जम्मू और काश्मीर में लागू करना) नियम, १९५९ हैं ।

(७) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदाली) नियम १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १८ जुलाई, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ८१९ ।

(८) भारतीय पुलिस सेवा (पदाली) नियम १९५४ में कुछ में कुछ की जी० एस० आर० संख्या ८२० ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—१४६४/५९]

औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियमों में संशोधन

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ जून, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० संख्या ६८८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—१४६५/५९]

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**श्री आबिद अली** : मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली तीन अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(१) दिनांक १६ मई, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ५८३ और ५८४ ।

(२) दिनांक २० जून की जी० एस० आर० संख्या ७११ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—१४६६/५९]

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन तथा निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियमों में संशोधन

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरतवोल्ल)** : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन तथा निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ९ अप्रैल, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४३३ की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—१३७९/५९]

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचन नामावलियों का तैयार किया जाना) नियमों में संशोधन

†**श्री हजारनवीस :** मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचन नामावलियों का तैयार किया जाना) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २१ अप्रैल, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४६२ की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी—१४२७/५९]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव :** मैं गत सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा ४ मई, १९५९ को लोक सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५९

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९५९

(३) बंगाल वित्त (बिक्री कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, १९५९

(४) जनगणना (संशोधन) विधेयक, १९५९

(५) लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक, १९५९।

मैं गत सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा ४ मई, १९५९ को लोक सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों की प्रतियां भी, राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित रूप में, सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९५९

(२) अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक, १९५९

(३) भारतीय प्रकाशस्तंभ (संशोधन) विधेयक, १९५९

(४) कोयला श्रेणी करण बोर्ड (निरसन) विधेयक, १९५९

(५) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक, १९५९।

संसदीय समितियां—कार्य सारांश

†**सचिव :** मैं दूसरी लोक-सभा के सातवें सत्र के बारे में "संसदीय समितियां कार्य सारांश" की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : (कुम्बकोणम) : मैं बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†**श्री मोहम्मद इमाम** : (चितलद्रुग) : मैं भारत के राज्य बैंक के सहायक बैंकों के रूप में कुछ सरकारी अथवा सरकार से सम्बद्ध बैंकों के निर्माण की तथा इस प्रकार बने सहायक बैंकों की रचना, प्रबन्ध और नियंत्रण की तथा तत्सम्बन्धी अथवा आनुसंगिक मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†**श्री मोहम्मद इमाम** : (चितलद्रुग) : मैं भारत का राज्य बैंक अधिनियम, १९५५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

विधेयकों पर साक्ष्य

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम) : मैं बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलद्रुग) : मैं भारत के राज्य बैंक के सहायक बैंकों के रूप में कुछ सरकारी अथवा सरकार से सम्बद्ध बैंकों के निर्माण की तथा इस प्रकार बने सहायक बैंकों की रचना , प्रबन्ध और नियंत्रण की तथा तत्सम्बन्धी अथवा आनुसंगिक मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

तारांकित प्रश्न संख्या १९४५ के उत्तर की शुद्धि

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : २१ अप्रैल, १९५९ क। तारांकित प्रश्न संख्या संख्या १९५४५ के बारे में श्री संगण्णा ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि आदिवासियों

---

†मूल अग्रेजी में

के ऋणों को बट्टेखाते डालने के सम्बन्ध में आदिम जाति कल्याण के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की सिफारिश गैर-सरकारी ऋणों पर लागू होती है या राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों पर। उत्तर में मैं ने बताया था कि यह सभी प्रकार के ऋणों के बारे में है। तथ्य यह है कि बोर्ड की सिफारिश तकावी ऋणों अथवा सरकार द्वारा अनुसूचित आदिम जातियों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास संबंधी कल्याण कार्यों के लिए दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में नहीं थी। बोर्ड का विचार यह था कि अनुसूचित आदिम जातियों को साहूकारों के चंगुल से बचाया जाये जो बहुत अधिक सूद लेते हैं और इस प्रकार उनका शोषण करते हैं।

भारत-पाक नहरी पानी विवाद के बारे में वक्तव्य

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री** (हाफिज़ मुहम्मद **इब्राहीम**) : मैंने भारत-पाक नहरी पानी विवाद के प्रश्न से सम्बन्धित वार्ता के बारे में पिछली बार १ सितम्बर, १९५८ को एक वक्तव्य दिया था उसमें मैं ने सभा को बताया था कि भारत से मिलने वाले पानी की कमी पूरी करने के लिये पाकिस्तान ने नये निर्माण कार्यों की जो योजना रखी थी उस पर लन्दन में होने वाली १९५८ की बैठक में विचार किया जा रहा था। उस योजना के बारे में हमारी अपनी राय, हमने दिसम्बर, १९५८ में वाशिंगटन में वार्ता पुनः आरम्भ होने के समय विश्व बैंक को बता दी थी। उस समय भारतीय प्रतिनिधि ने हमारी टिप्पणियां पेश करने के साथ ही, निर्माण-कार्यों की पाकिस्तानी योजना से भिन्न एक और योजना भी रखी थी। हमारी उस वैकल्पिक योजना में एक महत्वपूर्ण चीज यह भी शामिल थी कि चिनाब नदी के पानी को माडू के निकट भारतीय प्रदेश से ले जाया जाये और उसके जरिये ही पाकिस्तान को उपर्युक्त स्थानों पर, जल का सम्भरण किया जाये। पाकिस्तानी योजना के मुकाबले, इस पर खर्च भी कम पड़ता और यह निर्माण कार्य अपेक्षाकृत कम समय में भी पूरा हो जाता। लेकिन पाकिस्तान ने उसे मंजूर नहीं किया।

हालांकि वाशिंगटन में होने वाली चर्चा के दौरान में, पाकिस्तान ने विश्व बैंक के १९५४ के प्रस्तावों द्वारा सुझाये गये जल के विभाजन की व्यवस्था को पहली बार बिना किसी शर्त के स्वीकार करने का रुख अपनाया था, फिर भी बैंक के प्रस्तावों की अन्य कुछ बातों पर उसकी आपत्ति बनी ही रही। इस प्रकार दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोई भी संभावना न देख कर, बैंक ने महसूस किया कि उसे इस पूरे विवाद के निबटारे के लिये ही अपने प्रस्ताव भारत और पाकिस्तान के सामने रखने चाहियें।

विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री यूजेन ब्लैक मई १९५९ में नई दिल्ली आये थे। उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री से परामर्श किया था। उन्होंने अपनी उस चर्चा के दौरान में ही सिंधु नदी के बेसिन के जल के विभाजन के लिये बैंक के १९५४ के प्रस्ताव की कार्यान्वित के आधार स्वरूप कुछ सामान्य सिद्धान्त हमारे सामने रखे थे। उसके बाद, वह कराची भी गये थे और पाकिस्तान सरकार के कुछ प्रतिनिधियों के साथ इसी प्रकार परामर्श किया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

श्री ब्लैक ने दिल्ली और कराची में जो परामर्श किये थे, उनसे उत्पन्न स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है :

(क) पाकिस्तान सरकार ने बैंक से अपनी यह सहमति प्रकट कर दी है कि वह इंजीनियरिंग निर्माण-कार्यों के एक सिलसिले का निर्माण करेगा। उन निर्माण-कार्यों का एक प्रयोजन यह भी होगा कि विभाजन से पहले पाकिस्तान के वर्तमान क्षेत्रों को तीन पूर्वी नदियों से चलने वाली नहरों से जो पानी मिलता था, उनके स्थान पर नये निर्माण कार्य बना कर अब वह पानी तीन पश्चिमी नदियों से लिया जायेगा। इन निर्माणकार्यों का ब्योरा भारत को नहीं बताया गया है। इसलिये कि उनकी योजना, निर्माण, लागत या संचालन से भारत का कोई भी सरोकार नहीं रहेगा।

(ख) बैंक और भारत सरकार सिद्धान्त रूप में इस बात पर सहमत हो गये हैं कि भारत सरकार की ओर से कितना वित्तीय अंशदान किया जायेगा।

(ग) संक्रमण-काल लगभग दस वर्ष का होगा। अर्थात्, पाकिस्तान दस वर्ष के अन्दर ही ऊपर भाग (क) में उल्लिखित निर्माण-कार्यों का निर्माण पूरा कर लेगा और उनको संचालित कर लेगा, और उसके बाद तीन पूर्वी नदियों के जल के उपयोग का अधिकार केवल भारत को ही रहेगा।

(घ) यह करार तभी मान्य रहेगा, जब कि बैंक पाकिस्तान को पाकिस्तान में इन निर्माण-कार्यों के निर्माण के लिये अन्य मैत्री पूर्ण सरकारों से पर्याप्त वित्तीय सहायता दिलाने की व्यवस्था कर देगा।

सभा को स्मरण होगा कि बैंक के १९५४ के प्रस्ताव में यह संक्रमण-काल लगभग पांच वर्ष का ही रखा गया था। उस पांच वर्ष का अनुमान इसलिये किया गया था, नये निर्माण-कार्यों में मुख्यत: संयोजक नहरें बनाने की ही योजना थी। उसमें जल के संचित करने के निर्माण-कार्यों की योजना नहीं थी। लेकिन, बाद में महसूस किया गया कि कुछ सीमित मात्रा में जल-संचयन करना भी आवश्यक होगा। अब जिन इंजीनियरिंग निर्माण-कार्यों का प्रस्ताव रखा गया है, वे पहले के संयोजक नहरों के प्रस्ताव से बिल्कुल ही भिन्न हैं, और बैंक की राय है कि इन नये इंजीनियरिंग निर्माण-कार्यों के द्वारा पाकिस्तान तीन पूर्वी नदियों के बदले तीन पश्चिमी नदियों से अपने जल-सम्भरण की कमी पूरी करने में भी समर्थ हो जायेगा, हालांकि उनके निर्माण और उनका संचालन आरम्भ करने में दस वर्ष लग जायेंगे।

हम दस वर्ष का यह संक्रमण-काल मानने के लिये तैयार न होते, यदि उससे राजस्थान नहर के उद्घाटन की निर्धारित तिथि के और आगे बढ़ जाने की संभावना होती। हम इन प्रस्तावों से इसी शर्त पर सहमत हुये हैं कि पाकिस्तान अभी तक जो संयोजक नहरें बना चुका है उनको १९६० से उनकी पूरी क्षमता से संचालित कर दिया जायेगा। हमें यह भी आश्वासन दिया गया है कि बैंक संक्रमण काल पूरा होने से पहले ही हमें व्यास नदी पर एक बांध के निर्माण के लिये अपेक्षित वित्तीय सहायता सुलभ करेगा। उस बांध के फलस्वरूप, राजस्थान नहर को बारहों महीने पर्याप्त जल मिल सकेगा।

यदि पाकिस्तान अपने यहां की संयोजक नहरों को उनकी पूरी क्षमता से संचालित कर देगा, तो फिर भारत भी निर्धारित तिथि तक १९६२ में, शायद उसके पहले भी, राजस्थान नहर का उद्घाटन करने में समर्थ हो जायेगा। हां, यदि नहर का निर्माण तब तक पूरा हो गया। पहले कुछ वर्ष तक तो, भाखड़ा नहर की भांति, इस राजस्थान नहर को भी बारहों महीने पानी

नहीं मिल पायेगा। व्यास नदी पर बांध बनाने में भी सात-आठ वर्ष लग जायेंगे। लेकिन छैः वर्ष में इस बांध से एक सीमित मात्रा में बारहों महीने पानी मिलना शुरू हो जायेगा। पूरी क्षमता से तो वह बाद में ही संचालित हो सकेगा ।

बैंक के अध्यक्ष की भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार से जो बातें हुई हैं, और उनमें जो तय हुआ है, उसके अनुसार भारत, पाकिस्तान और विश्व बैंक के प्रतिनिधि लन्दन में ५ अगस्त को फिर से चर्चा आरम्भ करेंगे और वे एक अन्तर्राष्ट्रीय जल संधि के लिये करार के शीर्ष तैयार करने का प्रयास करेंगे। उस चर्चा के दौरान में संक्रमण-काल के दौरान में पूर्वी नदियों के जल-संभरण को विनियमित करने और पश्चिमी नदियों के पाकिस्तान पहुंचने से पहले के भाग के भारत द्वारा उपयोग से सम्बन्धित विषयों पर भी विचार किया जायेगा ।

मैं समझता हूं कि सभा इस बात से सहमत होगी कि दोनों पक्षों द्वारा करार के आधार-स्वरूप कुछ मोटे मोटे सिद्धान्तों का स्वीकार कर लेना भी अपने-आप में इस कठिन समस्या को हल करने की दिशा में कुछ प्रगति तो है ही। इस संतोषजनक परिणाम का श्रेय विश्व बैंक के अथक प्रयासों को, और उसके अध्यक्ष के व्यक्तिगत प्रयासों को ही है। बैंक के अध्यक्ष ने इस बार्ता को सफल बनाने में जितना योग दिया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाये थोड़ी होगी। अब हम इस समस्या के हल होने की पूरी आशा कर सकते हैं। यह सही है, लेकिन यह भी समझ बैठना गलत होगा कि अब आगे और कोई कठिनाई पैदा ही नहीं हो सकती। सिन्धु के जल के प्रश्न पर पूरी तौर से समझौता होने की राह में अभी भी कई बाधायें हैं, जिनको हमें पार करना पड़ेगा।

समिति के लिए निर्वाचन

लाभ पद सम्बन्धी समिति

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के दस सदस्य और राज्य सभा के पांच सदस्यों को मिला कर पन्द्रह सदस्यों की लाभ पद सम्बन्धी संयुक्त 'समिति' कहलाई जाने वाली दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति गठित की जाये, जिसमें प्रत्येक सभा के सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा सदस्य चुने जायेंगे ;

कि संयुक्त समिति के कार्य निम्न लिखित होंगे ;

(१) उन सभी वर्तमान 'समितियों' के [उन समितियों के अतिरिक्त जिनका उस संयुक्त समिति द्वारा, जिसे संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५७ सौंपा गया था, परीक्षण किया गया था] और उन सभी 'समितियों' के, जो आगे बनाई जायेंगी और जिनका सदस्य होने से संविधान के अनुच्छेद १०२ के अधीन संसद् के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य होने के लिये वह व्यक्ति अनर्ह हो जायेगा, रचना और स्वरूप की जांच करना ;

(२) उसके द्वारा परीक्षित 'समितियों' के सम्बन्ध में यह सिफारिश करना कि कौन-कौन से पद एक व्यक्ति को अनर्ह कर देंगे और कौन से नहीं करेंगे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजारनवीस]

(३) संसद् (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५९ की अनुसूची की समय-समय पर छानवीन करना और कथित अनुसूची में परिवर्धन, लोप अथवा अन्य प्रकार से किन्हीं संशोधनों को सिफारिश करना,

कि संयुक्त समिति उपरोक्त सभी अथवा किसी एक विषय के बारे में संसद् की दोनों सभाओं को समय-समय पर अपना प्रतिवेदन देगी ,

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक-सभा की अवधि तक पदासीन रहेंगे ,

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ,

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे, और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये" ।

अध्यक्ष महोदय, २ दिसम्बर, १९५८ को अनर्हता निवारण विधेयक पर बोलते हुये विधि मंत्री ने निम्नलिखित आश्वासन दिया था :

"कि संयुक्त समिति में मैंने यही आश्वासन दिया था, क्योंकि जो अनुसूची हम रखेंगे वह कभी भी सम्पूर्ण नहीं हो सकती। इसीलिये मैं इससे सहमत हो गया था कि सरकार एक स्थायी समिति स्थापित करना स्वीकार कर लेगी जो समय समय पर संसद् में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तथा संसद् भी समय समय पर उस पर उचित कार्यवाही करेगी।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

समवाय (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय बढ़ाया जाना

†सरदार हुक्म सिंह (भटिंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि समवाय अधिनियम' १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत समय आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयक

श्रीमान, यह एक काफ़ी बड़ा विधेयक है। ६ से लेकर १५ तारीख़ तक बैठ कर हम इस पर सामान्य चर्चा समाप्त कर पाये। इसके पश्चात् साक्ष्य लिये गये। सदस्यों का विचार हुआ कि खंडों पर विचार करने से पहले साक्ष्य का अध्ययन करना आवश्यक है। इसके लिये काफ़ी समय चाहिये; इसलिये प्रतिवेदन उपस्थापित करने के समय को बढ़ाने की मांग की गई है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

शस्त्र विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय बढ़ाया जाना

†**श्री बर्मन** (कूच—बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि शस्त्र तथा गोला बारूद सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत समय को १३ अगस्त, १९५९ तक बढ़ा दिया जाये।"

विधेयक पर खण्डशः विचार किया जा चुका है तथा अब प्रतिवेदन को केवल अन्तिम रूप देना है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

राजस्थान तथा मध्य प्रदेश (राज्य-क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : श्रीमान्, श्री गो० ब० पन्त की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य के कुछ क्षेत्रों का मध्य प्रदेश राज्य में हस्तान्तरण करने तथा तत्सम्बन्धी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि राजस्थान राज्य के कुछ क्षेत्रों का मध्य प्रदेश राज्य में हस्तान्तरण करने तथा तत्सम्बन्धी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री दातार** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

वक्फ (संशोधन) विधेयक

†**सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वक्फ अधिनियम, १९५४ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** प्रश्न यह है :

"कि वक्फ अधिनियम, १९५४ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

सार्वजनिक वक्फ (अवधि का विस्तार) विधेयक

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : श्रीमान, श्री अ० कु० सेन की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐसी अचल सम्पत्ति पर, जो किसी सार्वजनिक वक्फ का भाग हो, पुनः कब्जा करने हेतु कुछ मामलों में वाद-स्थापना की अवधि बढ़ाने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि ऐसी अचल सम्पत्ति पर, जो किसी सार्वजनिक वक्फ का भाग हो, पुनः कब्जा करने हेतु कुछ मामलों में वाद-स्थापना की अवधि बढ़ाने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री हजरनवीस** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

सार्वजनिक वक्फ़ (अवधि का विस्तार) अध्यादेश के बारे में विवरण

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ७१ (१) के अधीन अपेक्षित, सार्वजनिक वक्फ (अवधि का विस्तार) अध्यादेश, १९५९ द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-१४६७/५९]

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सड़क परिवहन निगम अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

श्रीमान्, जैसा कि सदन को ज्ञात है गत कुछ वर्षों में अनेक राज्यों ने सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया है। राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन सेवाओं का या तो विभाग द्वारा चालन किया जा रहा है अथवा सार्वजनिक परिसीमित समवायों अथवा निगमों द्वारा। भारत सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व यह नीति निर्धारित की थी कि रेल-सड़क समन्वय के हित की दृष्टि से राष्ट्रीयकृत सेवाओं का परिनियमित सार्वजनिक निगमों के माध्यम से चालन किया जाना वांछनीय होगा जिनमें रेलवे, राज्य-सरकारों और, जहां संभव हो, गैर-सरकारी चालकों के वित्तीय हित हों। संविधान के अन्तर्गत निगमों के निगमन और कृत्यों से संबंधित औपचारिकताओं की व्याख्या केन्द्रीय विधान द्वारा की जानी है। यह कार्य १९५० के सड़क परिवहन निगम अधिनियम द्वारा किया गया था। यह विधेयक राज्य सरकार को सड़क परिवहन निगमों का निगमन, विनियमन और समापन करने की शक्ति प्रदान करता है।

सड़क परिवहन निगम अधिनियम के अन्तर्गत कुछ राज्य सरकारों ने सड़क परिवहन सेवा को कार्यदक्ष और मितव्ययी बनाने की दृष्टि से अपने राज्यों के लिये सड़क परिवहन निगमों की स्थापना की है। अभी तक स्थापित हुये निगम निम्नलिखित हैं : (१) कच्छ राज्य सड़क परिवहन निगम, (२) सौराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम, (३) बम्बई राज्य सड़क परिवहन निगम—ये तीन बम्बई सरकार के अन्तर्गत हैं, (४) पेप्सु राज्य सड़क परिवहन निगम, जो पंजाब सरकार के अन्तर्गत है, (५) आन्ध्र राज्य सड़क परिवहन निगम, जो आन्ध्र प्रदेश सरकार के अन्तर्गत है, और (६) बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम, जो बिहार सरकार के अन्तर्गत है। मैसूर की सरकार ने भी निकट भविष्य में एक निगम स्थापित करने का निर्णय किया है। यह भी ज्ञात हुआ है कि पंजाब सरकार और हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने मिल कर पठानकोट-मनाली मार्ग नामक अन्तर्राज्यीय मार्ग पर एक निगम स्थापित किया है। इन निगमों का कार्य वास्तव में कुछ महीनों के पश्चात् प्रारम्भ होगा। जहां तक राष्ट्रीयकृत क्षेत्र का सम्बन्ध है, वह भाग जो निगमों में परिवर्तित कर दिया गया है, स्थिति इस प्रकार है और शेष का अधिकांश चालन विभागीय तौर से किया जाता है।

तीसरे, इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किये गये निगमों द्वारा अपने कृत्यों के सूचारु रूप से सम्पादन में कुछ कठिनाइयों का अनुभव किया गया है और सभा के समक्ष प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य इन कठिनाइयों को दूर करना है। मैं समझता हूं कि अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिये मेरे लिये यह अच्छा होगा कि मैं विधेयक के कुछ उपबन्धों का निर्देश करूं।

सर्वप्रथम मैं धारा १२ के खण्ड (ग) का निर्देश करूंगा। इस खण्ड के अन्तर्गत निगम को अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा जनरल मैनेजर को, ऐसी शर्तों और सीमाओं, यदि कोई हों, के अन्तर्गत, जैसीकि निर्दिष्ट कर दी जायें, निगम के कार्य के सूचारु दैनिक प्रशासन के लिये आवश्यक शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति प्रदान करने का प्राधिकार है। शक्तियों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राज बहादुर]

के प्रत्यायोजन की वर्तमान योजना प्रतिबन्धात्मक समझी जाती है क्योंकि उसके अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा जनरल मैनेजर के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को शक्तियों एवं कृत्यों का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। जब तक अन्य अधिकारियों को भी शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिये निर्दिष्ट उपबन्ध नहीं किया जाता उनके द्वारा कुछ गैलन पैट्रोल की खरीद जैसे छोटे कार्यों पर भी आपत्ति की जा सकती है। इसलिये इस धारा के खण्ड (ग) में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि जनरल मैनेजर अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अतिरिक्त निगमों के अन्य अधिकारियों को भी शक्तियों एवं कृत्यों का प्रत्यायोजन किया जा सके।

दूसरे, देश की सर्वतोमुखी विस्तारशील अर्थ-व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये अन्य संगठनों की तरह सड़क परिवहन निगमों को अपनी विकास योजनाओं के लिये अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है। राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार सदा इन निगमों के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की स्थिति में नहीं होती हैं। अधिनियम की धारा २१, जो अभी इन निगमों को कार्य चालन व्यय के लिये पूंजी एकत्रित करने का प्राधिकार देती है, पूंजी व्यय के लिये पूंजी एकत्रित करने का प्राधिकार नहीं देती। इसलिये यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि निगमों को पूंजी व्यय के लिये भी खुले बाजार से ऋण लेने का प्राधिकार दिया जाये।

निगमों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अनुमोदन से अपने विस्तार कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिये अपने लाभों का भी उपयोग करने के लिये समर्थ बनाने के लिये अधिनियम की धारा ३० का संशोधन किया जा रहा है। अभी तक शेष राशि को सड़क निर्माण में लगा दिया जाता था परन्तु सड़क परिवहन के विस्तार के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया था। यह संशोधन इस कमी को दूर करना चाहता है।

धारा ३३ के अन्तर्गत निगमों के लेखाओं की राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किये गए लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है। राज्य सरकारों के लिये अपने लेखाओं को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षक रखना आवश्यक नहीं है। चूंकि अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित निगमों में केन्द्रीय सरकार के वित्तीय हित हैं इसलिए यह वांछनीय समझा जाता है कि निगमों के लेखाओं की भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाय। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए धारा ३३ में उपयुक्त संशोधन किया जा रहा है।

मैं समझता हूं कि यह विधेयक, जिस में १३ खण्ड हैं, तनिक भी विवाद-ग्रस्त नहीं है। यह वर्तमान अधिनियम की कुछ कमियों अथवा कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करता है। हम ने अपने अनुभव के आधार पर यह विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं सभा से इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : माननीय मंत्री ने अपने विभाग का कार्य जिस योग्यता से किया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। उनके कार्य-काल में परिवहन में बहुत उन्नति हुई है और जनता की शिकायतें दूर होती जा रहीं हैं। परन्तु खेद है कि कुछ राज्य सरकारें निगमों की स्थापना करने से बचना चाहती हैं क्योंकि निगमों की स्थापना करने पर उन्हें भारी आयकर चुकाना पड़ता है। यदि राज्य सरकारों को वैसा करने से रोका नहीं गया तो एक दिन ऐसा आयेगा जब कि केन्द्रीय राजकोष

---

†मूल अंग्रेजी में

की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि केन्द्रीय सरकार का चलना असम्भव हो जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को ऐसे उद्योगों को विभागीय तौर से चलाने की अनुमति न देने की नीति अपनानी चाहिये।

केन्द्रीय आय के अतिरिक्त एक और भी ऐसी बात है जिस से राज्य सरकारों को ऐसी सेवाओं को विभागीय तौर से चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। ऐसी सेवाओं के राज्य के हाथ में आजाने से जनता का कष्ट बढ़ जाता है क्योंकि यात्रियों के साथ ठीक तरह से व्यवहार नहीं किया जाता। गैर-सरकारी चालकों का वर्ताव सरकारी चालकों की अपेक्षा अधिक नम्रतापूर्ण देखा जाता है। संसद् सदस्यों की बात तो अलग है परन्तु साधारण जनता के संबंध में यही स्थिति है। इसलिये मेरा सुझाव है कि परिवहन का चालन विभागीय तौर पर न होकर निगमों के माध्यम से किया जाना चाहिए। ऐसा करने से केन्द्रीय सरकार की जो आय कम हो गई है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी।

विभागीय चालन में एक दोष यह भी है कि लालफीताशाही के कारण कार्य शीघ्रता से नहीं होने पाता। चाहे कोई भी काम हो वह नीचे के अधिकारी ऊपर के अधिकारियों को बढ़ा देते हैं जिनकी श्रंखला मंत्री तक चली जाती है। इतनी सीढ़ियों को पार करने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

इस के बाद नियुक्ति का मामला है जिस में पक्षपात करने का खूब मौका मिलता है। सरकार चाहे कितनी भी ईमानदारी से नियुक्ति करे किन्तु असफल उम्मीदवार यही कहेंगे कि पक्ष-पात किया गया है। यदि नियुक्ति का काम निगमों द्वारा किया जायेगा तो वह ठीक होगा क्योंकि उसकी शिकायत सरकार से की जा सकेगी।

इस के अतिरिक्त निगम की स्थापना से कुछ और भी लाभ होंगे। इन निगमों को अपनी आवश्य-कताओं की पूर्ति करने के लिये जनता से ऋण लेने का प्राधिकार दिया जाना चाहिए ताकि करदाता पर उसका भार न पड़े। परन्तु इसके विपरीत यदि वह विभाग के हाथ में रहा तो उसका भार कर-दाताओं पर ही पड़ेगा क्योंकि राजकोष जनता का धन ही तो होता है।

जहां तक लेखा परीक्षा का संबंध है मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि नियंत्रक महा-लेखा परीक्षक को यह कार्य दिया जाय क्योंकि उसके पास पहले ही बहुत कार्य है। मेरे विचार से यह कार्य राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये। माननीय मंत्री को इस सुझाव पर विचार करना चाहिए। यदि विभाग का चालन सरकार द्वारा किया जा रहा है हो तब तो उसके द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक संभवतः न्याय नहीं कर सकेगा। परन्तु जब वह निगम के हाथ में हो तब तो ऐसा कोई भय नहीं रह जाता। महा-लेखा परीक्षक के पास बहुत काम है इसलिये उसे और नहीं बढ़ाना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : जीवन बीमा निगम के संबंध में भी इस प्रकार का प्रश्न उठा था। मेरे विचार से महा-लेखा परीक्षक द्वारा ही इस कार्य का किया जाना अधिक उचित है। जब हम इन निगमों को रुपया देते हैं तो उनके खर्च पर भी हमें दृष्टि रखनी चाहिए।

†**श्री त्यागी** : मैं इस बात से सहमत हूं परन्तु मेरे विचार से यदि छोटे छोटे निगम स्थापित किये जायें तो राज्य सरकारें भी उनकी देखरेख कर सकती हैं क्योंकि उसका भी उन में कुछ धन होगा। जहां तक केन्द्र से संबंधित निगमों का प्रश्न है उन पर महा-लेखापरीक्षक का ही नियंत्रण होना चाहिये।

जहां तक धारा १९ के अन्तर्गत निगम के कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों को पास जारी करने के प्रश्न का संबंध है मैं उसका समर्थन करता हूं। परन्तु मुझे भय है कि ऐसा करने से बसों में भीड़ भाड़ हो जायेगी। इसलिये पासों की संख्या पर ध्यान रखा जाना चाहिये। रेलों की बात तो

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्यागी]

दूसरी है क्योंकि उन में थोड़े से व्यक्तियों के बढ़ जाने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता परन्तु बसों में बहुत दिक्कत हो जायेगी। इसलिये उनकी संख्या सीमित होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†श्री नौशीर भरूचा (पूर्व खानदेश): इस विधेयक द्वारा निगमों को अपने पूंजी व्यय की पूर्ति के लिए खुले बाजार से ऋण लेने का प्राधिकार दिया जा रहा है। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह कहा गया है कि सरकार इन निगमों के पूंजी कार्यक्रमों के व्यय की पूर्ति करने में असमर्थ है। मैं नहीं समझता कि सरकार स्वयं ये ऋण क्यों नहीं लेती है? मेरे विचार से निगमों को खुले बाजार से ऋण लेने का प्राधिकार देना उचित नहीं है क्योंकि वे अधिक दर पर ऋण लेकर बाजार का भाव खराब कर देते हैं और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के लिए ऋण मिलने में कठिनाई होती है। इस लिए मैं चाहता हूं कि इस खंड को विधेयक में सम्मिलित न किया जाय जिस में राज्य सड़क परिवहन निगम को खुले बाजार से ऋण लेने का प्राधिकार दिया जा रहा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जहां तक लेखा परीक्षा का संबंध है मेरे विचार से इस में बहुत सी कठिनाइयां हैं। अधिनियम की धारा २२ में यह कहा गया है कि निगम अपना कार्य व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार करेंगे परन्तु इन सिद्धान्तों की व्याख्या कहीं भी नहीं की गई है। सड़क परिवहन निगम में व्यय का एक भारी मद अवक्षयण है। विधेयक की धारा २९ में, जिस में अवक्षयण के लिये उपबन्ध किया गया है, यह कहा गया है कि निगम अवक्षयण, रक्षित तथा अन्य कोष के लिये ऐसे उपबन्ध करेगा जैसे कि राज्य सरकार समय समय पर निदेश करे। यह उचित नहीं है क्योंकि इस के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के मत भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसलिए अवक्षयण की राशि को अनिश्चित छोड़ना उचित नहीं है। विभिन्न राज्य सरकारें अवक्षयण के निर्धारण के लिये विभिन्न तरीके निर्धारित करेंगी और जब लेखा-परीक्षाक उनकी जांच करेगा तो वह यह नहीं निश्चित कर सकेगा कि जांच का आधार क्या रखा जाय। यदि अवक्षयण का निर्धारण राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाएगा तो लेखापरीक्षक यह कैसे प्रमाणित कर सकेगा कि वह पर्याप्त है अथवा अपर्याप्त। जब तक अवक्षयण के आकलन के लिए कोई सिद्धांत नहीं निर्धारित किया जायगा तब तक लेखा परीक्षा का कोई महत्व ही नहीं होगा। इसलिए अवक्षयण के लिये कोई सिद्धान्त निर्धारित किया जाना चाहिये कि उसका आधार क्या हो।

विधेयक में कहा गया है कि विस्तार कार्यक्रम लाभ की राशि से क्रियान्वित किया जायेगा। कुछ लोगों का यह विचार है कि पूंजी कार्य आय की राशि में से नहीं किये जाने चाहिये। उसके लिये ऋण लेना चाहिये। परन्तु विधेयक में राज्य सड़क परिवहन निगम को लाभ की राशि में से बसें खरीदने का अधिकार प्रदान किया जा रहा है। यह गलत बात है। आंतरिक वित्त का विस्तार प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जाना अनुचित है। ऐसा करना सिद्धान्ततः गलत है। ऐसे कार्य ऋण लेकर दिये जाने चाहिये जिनका बाद में पुनर्भुगतान किया जाय। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब तक विधेयक में इन मूल सिद्धान्तों का समावेश नहीं किया जाता तब तक लेखा-परीक्षा का कोई लाभ ही नहीं है।

जहां तक निःशुल्क पासों का सम्बन्ध है मैं न केवल कर्मचारियों को ही वरन् विधान सभा के सदस्यों और संसद् सदस्यों को भी उनके दिये जाने के पक्ष में हूं। मैं तो यह भी चाहता हूं कि

---

†मूल अंग्रेजी में

विधायकों को बसों में चढ़ने के मामले में अग्रिमता दी जानी चाहिये जैसा कि बम्बई राज्य परिवहन की बसों में किया गया है। परन्तु खेद है कि हम संसद् सदस्यों को संसद् भवन से अपने निवास-स्थान तक जाने के लिये जो बसों की सुविधा प्राप्त थी वह भी केवल इसलिये छीन ली गई कि उससे सरकार को ४०—५० रुपये प्रति माह की हानि उठानी पड़ती थी। यदि प्रजातन्त्र को सफल बनाना है तो संसद् सदस्यों को निःशुल्क यात्रा करने का अधिकार दिया जाना चाहिये ताकि वे घूम फिर कर प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर सकें।

हाल में एक माननीय मंत्री ने संसद सदस्यों को लिखा है कि उन्हें सामुदायिक परियोजनाओं में अधिक रुचि लेनी चाहिये। परन्तु जब तक परिवहन सुविधायें नहीं उपलब्ध होंगी यह सम्भव नहीं हो सकता। उदाहरण के लिये यदि हम इस्पात संयंत्रों को देखना चाहें तो वे बहुत दूर हैं और हमें निःशुल्क विमान यात्रा की सुविधा नहीं प्राप्त है। इसलिये हमें बिना देखे हुये ही उनकी आलोचना करनी पड़ती है। यदि प्रजातन्त्र को सफल बनाना है तो संसद् सदस्यों को यह सुविधा दी जानी चाहिये। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं जो वे पैसे खर्च करके इधर उधर घूम सकें।

म इस बात से सहमत नहीं हूं कि यदि कर्मचारियों और विधायकों को निःशुल्क पास दे दिये जायेंगे तो बसें उन्हीं लोगों से भरी रहा करेंगी। मेरे माननीय मित्र ने कहा कि रेलों की बात दूसरी है क्योंकि उनमें अधिक लोग बैठ सकते हैं। सम्भवतः उन्हें बम्बई के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है जहां बसों और ट्रामों में प्रति दिन १४ लाख यात्री बैठते हैं जब कि रेलों में केवल ८ लाख। वहां विधायकों को पास मिले होने पर भी बसों में कोई भीड़ भाड़ नहीं रहती। इसलिये माननीय सदस्य ने जो आशंका प्रकट की है वह निराधार है। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा उपबन्ध है और उसमें संसद् सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये था।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरी बातों पर ध्यान देंगे और भविष्य में तदनुसार संशोधन उपस्थित करेंगे।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन सम्बन्धी इस संशोधन विधेयक के बारे में श्री त्यागी द्वारा कही गई बातों से सहमत नहीं हूं। अधिक से अधिक सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि माननीय मंत्री ने इस दिशा में थोड़ा प्रयास तो किया है, पर उन्हें सफलता नहीं मिल सकी है।

मेरा ख्याल है कि इस विभाग में अन्य सभी विभागों की अपेक्षा कहीं अधिक भ्रष्टाचार है।

माननीय मंत्री इस विभाग में थोड़ी सी भी कार्यक्षमता पैदा नहीं कर पाये हैं।

केन्द्रीय सरकार को परिवहन के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना है। यह सड़क परिवहन निगम विधेयक का एक संशोधन विधेयक ही है, इसलिये इसकी चर्चा का क्षेत्र भी सीमित हो गया है। उसमें अन्य कई बातों को चर्चा का विषय नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि ऐसी कोई भी धारणा बना लेना ग़लत होगा कि राज्य के नियंत्रण की अपेक्षा निगम का नियंत्रण सड़क परिवहन के लिये अधिक लाभदायक होगा। हमारा अनुभव इसकी पुष्टि नहीं करता। केन्द्रीय सरकार निगमों की स्थापना पर केवल इसीलिये जोर देती रही है कि निगम कुछ उन करों की वसूली में भी कामयाब हो जायेंगे, जो अभी राज्य-सरकार के कोष में चले जाते हैं। मेरा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

ख्याल है कि हमें राज्यों के संसाधनों की वृद्धि से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। उन्हें इसकी बड़ी आवश्यकता है ।

यह दलील भी ग़लत है कि निगम के नियंत्रण में रखने पर परिवहन विभाग की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार कम हो जायेगा। हमारा अनुभव तो यह है कि ये निगम कुछ उच्चाधिकारियों के रजवाड़े जैसे ही बन जाते हैं। कोई कुछ पूछने वाला नहीं रहता। पदों को विज्ञापित तक नहीं किया जा सकता। संघ लोग सेवा आयोग का उन नियुक्तियों में कोई दखल ही नहीं रहता। मनमाने ढंग से नियुक्तियां की जाती हैं। उनके सम्बन्ध में, सभा में प्रश्न पूछने की भी अनुमति नहीं मिलती। इसी सभा में विभिन्न निगमों पर ऐसे ही आरोप लगाये गये हैं। पता नहीं वे कहां तक सच हैं।

मैंने इन दो बातों का उल्लेख केवल इसलिये किया है कि संसद के बड़े ही प्रभावशाली माननीय सदस्य ने इनके बारे में ग़लत धारणायें रखी थीं। हमें इन निगमों को कार्यक्षम बनाने के तरीके निकालने ही पड़ेंगे ।

अब इस संशोधन विधेयक को लीजिये। इसमें पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया है कि निगम को सार्वजनिक तौर पर कुछ ऋण लेने की अनुमति दे दी गई है। पहले भी मूल अधिनियम की धारा २६ में निगम को, राज्य सरकार के अनुमोदन से, अपने दैनिक व्यवसाय के लिये ऋण लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब वह पूंजीगत निर्माण कार्यों के व्यय को पूरा करने के लिये भी ऋण ले सकेगा।

इतना ही नहीं, चुपके से उसमें एक परिवर्तन यह और कर दिया गया है कि ऐसे ऋणों के लिये राज्य-सरकार से नहीं, बल्कि केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन कराना पड़ेगा।

उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में इसका कोई भी औचित्य नहीं बताया गया है। इस परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी ? राज्य सरकारों पर इतना अविश्वास करके, हम राज्य और केन्द्र के सम्बन्धों में सुधार नहीं कर सकते। इस मामले में केन्द्र का हस्तक्षेप अनावश्यक है।

मैं धारा ३० के इस संशोधन से सहमत हूं कि निगम अपने मुनाफे की रकम को अपना और अधिक विस्तार करने के कार्यक्रमों पर खर्च कर सकता है। लेकिन उसके लिये भी केन्द्रीय सरकार की अनुमोदन की अपेक्षा क्यों रखी गई है ?

इस प्रकार हर संशोधन में केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप की व्यवस्था की गई है। निगम एक स्वायत्त निकाय है। उसे यदि मुनाफा होता है, तो उसे उस रकम को अपने विस्तार कार्यक्रमों में लगाने की अनुमति रहनी चाहिये। राज्य सरकार से तो उसे अपने विस्तार कार्यक्रमों का अनुमोदन कराना ही पड़ता है। फिर केन्द्रीय सरकार से भी अनुमोदन कराने की क्या आवश्यकता है ? केन्द्रीय सरकार को यह दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये। इसमें ख़तरा यह है कि सड़क परिवहन और रेलवेज़ में बड़ी प्रतियोगिता चल रही है। वे एक दूसरे से सहमत नहीं होते। परिवहन मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय में भी नीति सम्बन्धी मामलों के बारे में पूर्ण सहमति नहीं है। इसलिये सड़क परिवहन निगम के विस्तार कार्यक्रमों के बारे में जब भी रेलवे मंत्रालय की राय ली जायेगी, वह अपनी कोई-न-कोई आपत्ति प्रकट कर देगा। इस प्रकार, केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने में कठिनाई पड़ेगी।

इस अनुमोदन का दायित्व राज्य सरकारों पर ही क्यों नहीं छोड़ा जा सकता ? आखिर वे भी तो केन्द्र के प्रतिनिधि ही हैं। दोनों को पृथक मानना ग़लत दृष्टिकोण है। राज्य सरकारें केन्द्र

द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों और नीति के अनुसार ही केन्द्रीय सरकार के हितों की रक्षा कर सकती है। केन्द्रीय सरकार से परामर्श लेने की आवश्यकता तो सिर्फ वहीं पड़नी चाहिये जब कि कोई विस्तार कार्यक्रम एक से अधिक राज्यों से सम्बन्ध रखता हो। हर छोटे-छोटे मामले में केंद्रीय परामर्श की व्यवस्था करने का परिणाम यही होगा कि राज्यों के आधे से ज्यादा अधिकारी अपनी राजधानी से दिल्ली तक बार-बार आने जाने में ही अपना ज्यादातर वक्त लगायेंगे। और, इस से लाभ कुछ भी नहीं होगा। मेरा मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकारें कोई बहुत कार्यक्षम हैं। लेकिन हमें उनके प्रति एक उचित दृष्टिकोण तो अपनाना ही चाहिये।

अब दूसरा प्रश्न यह है कि इस निगम के लेखों की लेखा-परीक्षा नियंत्रक महालेखा-परीक्षक को करनी चाहिये, या नहीं। मैं इसे नितान्त आवश्यक समझता हूं। भारत की संचित निधि से एक पाई भी लेने वाले निकाय की लेखा-परीक्षा नियंत्रक महालेखा-परीक्षक को ही करनी चाहिये। जीवन बीमा निगम विधेयक की चर्चा के समय इसका बड़ा ही उचित ढंग से निबटारा किया जा चुका है। मैं इस व्यवस्था का पूरा समर्थन करता हूं।

इस संशोधन विधेयक द्वारा धारा ६ में यह संशोधन किया गया है कि अब निगम का कार्यपालक अधिकारी या उसका महाप्रबन्धक निगम का सदस्य भी बन सकता है। ये दोनों निगम के कर्मचारी होते हैं, इसलिये उनको निगम के सदस्य बनने की अनुमति देना उचित नहीं है, क्योंकि फिर निगम में बिलकुल उचित ढंग से सभी विषयों पर, स्वतंत्रता के साथ, चर्चा नहीं की जा सकेगी। माननीय मंत्री को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिये। यदि यह संशोधन इस दृष्टि से किया गया है कि कर्मचारियों को भी निगम के प्रबन्ध में हाथ बंटाने का अवसर दिया जाये, तो फिर, उस सिद्धान्त के अनुसार ही, अन्य निचली श्रेणियों के कर्मचारियों को भी निगम के सदस्य बनने की अनुमति दी जानी चाहिए। तब इस संशोधन विधेयक में उसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिये।

और, खण्ड (घ) का भी दोनों ही पूर्ववक्ताओं ने उल्लेख किया है। वह सड़क परिवहन कर्मचारियों के "फ्री पासों" के सम्बन्ध में है। मैं यहां उस सम्बन्ध में कोई और बड़ी बहस खड़ी नहीं करना चाहता। मैं माननीय मंत्री से सिर्फ इतना स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है कि किसी भी उद्यम विशेष के कर्मचारियों को उस उद्यम द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्बन्ध में विशेष रियायतें दी जानी चाहियें। रेलवे में ऐसा किया जाता है। वहां रेलवे कर्मचारियों को निःशुल्क रेलवे यात्रा के लिये ही पास दिये जाते हैं। तब क्या विद्युत उपक्रमों में काम करने वालों को निःशुल्क विद्युत देने की व्यवस्था भी की जायेगी? यदि यह सिद्धान्त माना जाता है, तो फिर सभी उद्यमों पर इसे लागू किया जाना चाहिये। क्या सरकार ने इस पर गम्भीरता से विचार कर लिया है? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसका स्पष्टीकरण करें। बिना गुण-दोष जाने हुए, मैं इसके बारे में अपने विचार व्यक्त नहीं करना चाहता।

मुझे आशा है माननीय मंत्री मेरी इन सभी बातों का स्पष्टीकरण करेंगे।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा, रोड ट्रांस्पोर्ट कमिटी (सड़क परिवहन समिति) की रिपोर्ट पर बहस होने को है, हो भी शायद इसी अधिवेशन में, इस लिये जो इस का मुख्य विषय है बस यातायात का उस के विषय में आम तौर से कोई बात नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन मैं प्रारम्भ में ही एक बात अवश्य कह देना चाहता हूं, और वह यह कि कारपोरेशन्स (निगमों) के द्वारा बसें चलें या सरकारी विभागों द्वारा चलें, यह जरूर एक ऐसा मसला है जिस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये। वैसे तो यह कानून सिर्फ इसलिये लाया जा रहा है कि कारपोरेशन्स का जो कानून हम बना चुके हैं उस में संशोधन कर के उन को हम कुछ और विशेष अधिकार दें, खास तौर से कर्ज लेने या लाभ को पुनः उस में लगाने या पास

[श्री ब्रजराज सिंह]

वगैरह जारी करने के सम्बन्ध में, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है जब हमें यह देखना चाहिये कि हम ने जो नीति निर्धारित की है अधिक से अधिक ताकत कारपोरेशंस को देने की, अधिक से अधिक काम कारपोरेशंस के सुपुर्द करने की, उस पर अब पुनर्विचार किया जाना चाहिये या नहीं । मैं सोचता हूं कि हम सैकड़ों कारपोरेशंस कायम करते जा रहे हैं, चाहे केन्द्र द्वारा हों या राज्य सरकार द्वारा हों, जिन में अरबों की सम्पत्ति हम लगा चुके हैं, और लगाने जा रहे हैं, लेकिन जो जनता द्वारा चुने हुए सदन हैं, चाहे लोक सभा हो चाहे राज्य विधान सभायें हों, उन में के किसी मेम्बर को ऐसा कोई अधिकार नहीं होगा कि उन का जो दिन प्रति दिन का प्रबन्ध है उस में कोई दखल वह दे सके या उन के बारे में कोई पूछ ताछ कर सके । जितना बजट हमारी केन्द्रीय सरकार का होता है, सम्भवतः उसी तरह का, उतना ही ऊंचा बजट कारपोरेशंस का हो जाता है और उस की हम यहां पर अच्छी तरह देख भाल भी नहीं कर सकते हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से कारपोरेशंस बना कर और उन को कोई खास विषय दे कर हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं और जनता की समस्याओं को ले कर आते हैं, उन को उन के अधिकारों से वंचित कर दिया जाय और वे इन चीजों को अच्छी तरह देख भी न सकें । जहां तक विभागों का सवाल है, उन के बारे में भी मेरी कोई बड़ी अच्छी राय नहीं है । मैं मानता हूं कि जहां तक पक्षपात या भ्रष्टाचार का प्रश्न है, चाहे केन्द्रीय सरकार के विभाग हों चाहे राज्य सरकारों के विभाग हों, उन में वह सम्भवतः अपनी अन्तिम सीमा को भी पार कर चुका है, लेकिन इतना तो है कि हम उन भ्रष्टाचारों और उन पक्षपातों का जिक्र विधान सभाओं और लोक सभा में कर सकते हैं । यदि वह भ्रष्टाचार या पक्षपात इन कारपोरेशंस में, आटोनोमस (स्वायत्त) कारपोरेशंस, में होता है तो हम उन की कोई चर्चा भी नहीं कर सकते हैं । जहां तक केन्द्र में या राज्य सरकारों में किसी विभाग में लोगों के रक्खे जाने का प्रश्न है वहां पर मिनिस्टरों के पक्षपात से ही वे रक्खे जाते हैं, लेकिन इन कारपोरेशंस में तो वे ही लोग हैं जो कि मिनिस्टरों द्वारा नियुक्त होते हैं और वे लोग जिन लोगों को भी रखना चाहते हैं उन के लिये कोई नियम लागू नहीं होते । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों में यह व्यवस्था तो है कि लोगों के रखने के लिये पब्लिक सर्विस कमिशन है, चाहे वह राज्य के आधार पर हो या केन्द्र के आधार पर हो । इसलिये मैं प्रारम्भ में ही कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है जब हमें इस नीति पर पुनर्विचार करना चाहिये कि यह सब काम हम को कारपोरेशंस द्वारा करने चाहियें या कि सरकारी विभागों द्वारा ।

जहां तक इस विधेयक में इस व्यवस्था को करने का सम्बन्ध है कि कारपोरेशंस को अधिकार दिया जाना चाहिये या नहीं कि वह कर्ज ले सकें, जहां तक मैं समझता हूं मुझे इस का विरोध ही करना होगा, और वह इस लिये कि हमें कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिये जिस से इन कारपोरेशंस को कोई विशेष अधिकार मिलें । मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक गवर्नमेंट के अन्दर पचासों गवर्नमेंट बनती जा रही हैं । वैसे तो दुर्भाग्य है कि हमारी केन्द्रीय सरकार के अन्दर भी कई एक गवर्नमेंट हैं । जब कि प्रश्न पूछे जाते हैं किसी एक मिनिस्टर से तो वह कह देता है कि यह प्रश्न तो गलती से मेरे पास आ गया है, इसे दूसरे मिनिस्टर को भेजा जाय । कभी कभी ऐसी बात कह दी जाती है जिस से कि मैं समझता हूं कि रेलवे मिनिस्टर चाहते हैं कि रोड ट्रान्सपोर्ट का विकास नहीं होना चाहिये, जब कि मैं समझता हूं कि रोड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर यह चाहेंगे कि उस का विकास अवश्य होना चाहिये ।

श्री राज बहादुर : वे मिनिस्टर ने यह कहां कहा है ? उन्होंने कभी नहीं कहा कि रोड ट्रान्सपोर्ट का विकास नहीं होना चाहिये ।

श्री अजराज सिंह : यह तो नहीं कहते कि वह ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन नीति ऐसी है जिस की वजह से उस का विकास नहीं हो सकता । चूंकि उन के ऊपर कैबिनेट की रिस्पांसिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है इसलिये अपनी इन बातों को वे पब्लिक के सामने कभी नहीं लायेंगे, लेकिन जो नीतियां बरती जाती हैं वे इस तरह की हैं कि जिन से स्पष्ट होता है कि सड़क यातायात का विकास नहीं होना चाहिये । रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा ऐसी नीतियां बरती जायेंगी जिन से सड़क यातायात के विकास में बाधायें आयेंगी और आप उस में कुछ कह नहीं सकेंगे । जहां तक मंत्रिमंडल के सम्मिलित उत्तरदायित्व का प्रश्न है, उसे तो खैर, मैं यहां छोड़ता हूं ।

मैं निवेदन कर रहा था कि अगर हमारे कारपोरेशंस के अन्दर भी इस तरह की चीजें आ सकती हैं तो ऐसी सूरत में यह मुनासिब नहीं होगा कि उन को ऐसे अधिकार दिये जायें कि वे जनता से कर्ज ले सकें, और गवर्नमेंट के अन्दर, जिस में वैसे ही कई गवर्नमेंट आ जाती हैं, और गवर्नमेंट पैदा होती जायें । इसलिये कर्ज लेने के सम्बन्ध में तो मैं इस बात का विरोध ही करूंगा ।

लेकिन जहां तक मुनाफे को कैपिटल पूंजी में लगाने का सवाल है, उसे लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये, मैं समझता हूं कि ऐसा होता भी है और जरूर होना चाहिये । जब मैं यह कहता हूं कि कारपोरेशंस को विशेष अधिकार न दिये जायें तो उस का कतई मंशा यह नहीं है कि सरकारी विभागों में कोई खराबी नहीं है । उत्तर प्रदेश में सरकारी विभाग की तरफ से ही रोड ट्रांस्पोर्ट चलता है । लेकिन मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं कि चूंकि विभाग की ओर से रोड ट्रांस्पोर्ट की बसें चलती हैं इसलिये उन में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, उन में कोई कमी नहीं है। कमियां हैं, लेकिन इतना जरूर है कि चूंकि वहां की विधान सभा में मुख्य रूप से उस के सम्बन्ध म प्रश्न पूछा जा सकता है इसलिये आप को डर रहेगा, लेकिन अगर कारपोरेशंस में यह चीजें चलती ह तो उन को कोई डर नहीं रहेगा ।

पास वाली जो बात है, उस के बारे में एक विवाद सा खड़ा है । कुछ लोगों का कहना है कि चाहे हवा हो, चाहे पानी हो और चाहे रोड हो, बस हो, हर एक के लिये पास दिया जाना चाहिये, और खास तौर से लोक सभा सदस्यों और विधान सभा सदस्यों के लिये कहा जाता है । मैं नहीं समझ सकता कि हमारे जैसे पिछड़े मुल्क में, जहां के लोग इतने गरीब हैं, इस तरह की बात हम हर एक के लिये कैसे कर सकते हैं । भले ही यह हो कि पार्लियामेंट के मेम्बरों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बहुत से कर्तव्य हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जब उन को बहुत सी सुविधायें दी जायें तभी वे अपने कर्तव्य पूरे कर सकेंगे । कर्तव्यों को पूरा करने के लिये इन सुविधाओं के बिना भी काम हो सकता है, और मैं समझता हूं कि जितने भी विधान सभाओं या पार्लियामेंट के मेम्बर होते हैं अगर वह अपने कर्तव्य पूरे करना चाहें तो उन को पूरा करने के लिये उन्हें किसी बात की कमी नहीं है । इसलिये यह कहना कि बसों के पास उन को दिये जाने चाहियें यह कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं मिनिस्टर महोदय से एक बात का स्पष्टीकरण जरूर चाहूंगा । यहां पर कहा गया है, सेक्शन १९ में कि कर्मचारियों और अदर परसन्स (दूसरे व्यक्तियों) को निशुल्क या रियायती पास दिये जा सकेंगे । इस में **अदर पर्सन्स** कौन होंगे ?

श्री राज बहादुर : एम० पीज, एम० एल० एज, मिनिस्टर्स वगैरह ।

श्री अजराज सिंह : मिनिस्टर तो बसों में चलना नहीं चाहते, इसलिये केवल एम० पीज० और एम० एल० एज० वगैरह ही हो सकते हैं ।

श्री राज बहादुर : मिनिस्टर साहब आप से ज्यादा बसों में चले हैं ।

श्री ब्रजराज सिंह : हो सकता है कि कोई एक आध मिनिस्टर चलते हों, लेकिन आम मिनिस्टर तो एयर कंडिशन्ड क्लास और हवाई जहाज में ही चलते हैं। कुछ लोगों को तो आदत पड़ गई है कि वह सिर्फ हवाई जहाज में ही चलेंगे। मैं एक ऐसा उदाहरण दे सकता हूं कि राजस्थान में एक हवाई अड्डा सिर्फ इसलिये बनाया गया कि एक मिनिस्टर महोदय को बांसवाड़ा जाना था। वहां पर उनको एक उद्घाटन करना था इसलिये वहां पर हवाई अड्डा बनाया गया। खैर, यहां पर इस विवाद में जाने की जरूरत नहीं है कि मिनिस्टर कैसे चलते हैं। अगर कोई नया ट्रांसपोर्ट निकले जिस में कि वे ज्यादा तेज चल सकें तो मिनिस्टर उस में ही चलना चाहेंगे। बहरहाल मैं सिर्फ इतना ही स्पष्टीकरण चाहता हूं कि **अदर पर्सन्स** में एम० पीज० और एम० एल० एज० और मिनिस्टर ही हो सकते हैं या और भी कोई हो सकते हैं जिन के लिये पास दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : विद्यार्थियों और शिक्षकों को अगर अध्ययन के लिये कहीं जाने की जरूरत होती है तो उन को क्या कंसेशन नहीं दिया जाना चाहिये ?

श्री ब्रजराज सिंह : अगर यह केवल विद्यार्थियों के लिये या जिन स्थानों को प्रधान मंत्री के शब्दों में तीर्थ स्थान कहा जाता है, जैसे हमारे कम्यूनिटी डेवेलपमेंट्स हैं, उन को जाने के लिये ही पास दिये जाने की उन की मंशा है तो यह स्पष्ट होना चाहिये, जिस से लोगों को मालूम हो जाय कि इस चीज़ की मंशा क्या है। रेलवे की तरफ से इस तरह की बात कही जाती है कि कम्यूनिटी डेवेलपमेंटस (सामुदायिक विकास कार्य) देखने के लिये कुछ कंसेशन्स दिये जायेंगे और इस तरह से एक ऐसी चीज़ का प्रचार करने की कोशिश की जाती है जिस के लिये जनता में कोई आकर्षण नहीं है, वे जानते हैं कि यह भ्रष्टाचार के अड्डे बन रहे हैं, भले ही आप उन्हें तीर्थ स्थान कहें या कुछ कहें। वहां जाने के लिय भी पार्लियामेंट के मेम्बरों और एम० एल० एज० को छोड़ कर और किन को सुविधा दी जायगी यह स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वैसे पास जारी करने की व्यवस्था ही गलत है। एक सेक्शन या वर्ग को कोई खास ट्रीटमेंट देना, उन के लिये कोई खास व्यवस्था करना, जो सरकार द्वारा बराबरी की नीति है उस के खिलाफ पड़ता है। इस लिहाज से भी मैं समझता हूं कि चाहे एम्प्लायीज हों, चाहे कोई **अदर पर्सन्स** या अन्य व्यक्ति हों, उन को खास तौर पर पास देना समाजवादी समाज की जो बराबरी की भावना है उस के खिलाफ पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि यह **अदर पर्सन्स** कौन-कौन से लोग आयेंगे उसके लिए स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए। वैसे पासों की व्यवस्था रेलों में बहुत दिनों से चली आती है और उस परम्परा को सरकार न तो आज तक खत्म कर सकी है और न ही जहां तक मैं समझता हूं वह उसको खत्म करना चाहती है। समाज के कुछ लोगों के लिए यह पासों की व्यवस्था करना एक पक्षपातपूर्ण व्यवहार है और आप जो एम्प्लायीज़ को पास देते हैं तो ऐसा करके जो एक बराबरी की भावना है वह उससे कमजोर होती है। रेलवेज में जो पासों की व्यवस्था चलती है वह भी ग़लत है और इस नाते अब जो आप यह पासों की व्यवस्था बसों में करने जा रहे हैं मैं इसका विरोध करता हूं। साथ ही **अदर पर्सन्स** में कौन-कौन आयेंगे इसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए। बस मुझे इस अवसर पर इतना ही निवेदन करना था।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : यह जो संशोधन विधेयक हाउस के सामने विचारार्थ उपस्थित है उस पर विचार करते समय जैसे कि मझ से पूर्व वक्ता महोदय ने कहा यह बात विचारणीय है कि कारपोरेशंस के द्वारा सरकार जो तिजारत के काम कर रही है उनसे देश की प्रगति हो रही है, देश आग बढ़ रहा है और काम सही तरीके से हो रहा है या जो डिपार्टमेंटल तरीका होता था उससे देश की अधिक तरक्की हुई है।

रेलवे बोर्ड का सारा काम-काज पार्लिमामेंट के सामने आता है, बजट भी बन कर सामने आता है और हम उस को अलग से उस पर विचार करके पास करते हैं। उसकी बुराइयों भलाइयों की देखरेख करते हैं और उसके बारे में पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है। लेकिन जितने और कारपोरेशंस बने उनकी सालाना रिपोर्ट भले ही हमारे सामने आती जाती है लेकिन उन पर कोई विचार हम नहीं कर पाते कि उन में क्या हो रहा है। अभी तक जितने भी कारपोरेशंस बने हैं उनमें कोई ऐसी प्रगति होती नहीं दिखाई पड़ी है जिससे कि हम मुकाबला करके यह कह सकें कि डिपार्टमेंट द्वारा चलाये जाने वाले काम से कारपोरेशन द्वारा कराया गया काम अच्छा होता है। अभी उत्तर प्रदेश का नाम आया। उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन नहीं है वहां डिपार्टमेंट ही इसको चलाता है लेकिन वहां की आम जनता यह कहने लगी है कि उत्तर प्रदेश के रोड ट्रान्सपोर्ट में कम से कम भ्रष्टाचार है, उसमें कम से कम खराबी है और लोगों को उससे ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिलती है। बस और मोटरगाड़ियां अच्छी हैं और समय से मिलती हैं और उनमें भीड़भाड़ नहीं होती। मंत्री महोदयों को तो उन बसों में सफर करने का इत्तिफाक न होता होगा लेकिन हम ने उन बसों में मुसाफिरों को सफर करते यह सुना है कि काश इसी तरह का ट्रान्सपोर्ट का इन्तजाम और जगहों पर भी हो जाता तो अच्छा होता। इसलिये मैं तो चाहता था कि पार्लियामेंट इस पर विचार करती कि यह कारपोरेशंस वास्तव में देश में ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था को सुधार रहे हैं और उसमें प्रगति कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं।

अब इस को तो मैं यहीं पर छोड़ता हूं और अब मैं बसों में पास की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह कहा गया है कि रेलवे भी अपने यहां पास देती है तब फिर बसों में पास देने में क्या हर्ज है। अब इसके लिए मेरा कहना यह है कि रेलवे अपने यहां पीरियाडिकल (कुछ निश्चित अवधि के) पास देती है और रेलवे हर एक मुलाजिम को उसके पे ग्रेड के हिसाब से साल में दो अथवा तीन पास देती है और पी० टी० ओ० की रिआयत देती है लेकिन आम जनरल पास जहां तक मेरी जानकारी है किसी रेलवे मुलाजिम अथवा अधिकारी को नहीं दिये जाते हैं। बड़े बड़े अफसरों के टिकट पास होते हैं आम जनरल पास नहीं होते हैं। वह अफसर भी जब अपनी ड्यूटी के बाहर जायेंगे तो अपने अन्दर निहित जो साल में उनको २, ४ पास मिलते हैं उन्हीं का वह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे में जो छोटे एम्पलाईज़ हैं आफिसेज़ में काम करने वाले बाबू लोग हैं उनको रोजाना १०, ५ मील की दूरी से ड्यूटी के वास्ते ले आया जाता है और शाम को उनको वापिस पहुंचा दिया जाता है और इसके लिए पास की व्यवस्था कर दी जाती है। लेकिन बसों के अन्दर भी जब ऐसे पासों की व्यवस्था हो रही है तब स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि आया यह रोजाना का पास रहेगा, आल इंडिया पास रहेगा या प्राविंशियल पास रहेगा ? किस का पास रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। उस कर्मचारी का पास रहेगा या उसके पूरे परिवार भर का यह पास रहेगा इसका कोई जिक्र नहीं है। कानून जो बने वह डेफनिट (निश्चित) होना चाहिए और कानून के अन्दर इस तरह का लूपहोल (त्रुटि) नहीं छोड़ा जाना चाहिए जिससे कि गड़बड़ी करने की गुंजाइश हो। हम ने कारपोरेशन को अपने एम्पलायीज को पास देने का अधिकार दे दिया लेकिन हमने यह कुछ डिफाइन (स्पष्ट) नहीं किया कि वह किस तरह के उनको पास दे और कैसे पास दें। होना यह चाहिए कि जब वे छुट्टी पर जांय तो उनके और उनके परिवार वालों के लिए कोई पास देने की व्यवस्था होती लेकिन अब रोजाना घूमने के लिए उनको अगर पास दिया जाय तो वह मेरी समझ में कुछ मुनासिब नहीं होगा। अब इसके अलावा इस में जो **अदर पर्सन्स** को पास देने की बात है तो यह बड़े घपले की बात है। कानून में कोई ऐसी बात रख देना जिसकी कोई स्पष्ट परिभाषा न हो ठीक बात नहीं है और इससे गड़बड़ी हो जाने की आशंका बनी रहती है। ऐसी हालत में सम्बन्धित अधिकारी को काफी गुंजाइश रहती है और वह इस **अदर पर्सन्स** में पता नहीं किस किस को शामिल कर ले। कहा गया है कि **अदर पर्सन्स** में स्कूल के बच्चों को शामिल कर सकता है।

[श्री सिंहासन सिंह]

एम० एल० एज० और एम० पीज० को शामिल कर सकता है, लेकिन और अगर वह चाहेगा तो किसी मर्चेंट अथवा महाजन को उसमें शामिल कर सकता है और मैं पूछना चाहता हूं कि उसको ऐसा न करने देने के लिए आपने इस बिल में कौन सी रोक की व्यवस्था की है ? इसलिए मैं चाहता हूं कि बिल में इस **अदर पर्सन्स** की स्पष्ट परिभाषा हो जानी चाहिए ताकि कोई भी अधिकारी इसका अनुचित लाभ न उठा सके। अब इसका स्पष्टीकरण न होने से तो **अदर पर्सन्स** में ४० करोड़ आदमियों में से किसी को भी यह पास की फैसिलिटी देने के लिए शामिल किया जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस **अदर पर्सन्स** को आप डिफाइन (परिभाषित) कर दीजिये और एक शैडयूल (अनुसूची) बना दीजिये कि इसके अन्तर्गत फलां फलां शख्स ही आ सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको बसों में किराया मिलना ही मुश्किल हो जायगा और जहां अभी लाभ हो रहा है वहां हानि होने लगेगी। **अदर पर्सन्स** में बहुत से ऐसे आदमी शामिल हो जायेंगे जो कि नहीं होने चाहिएं।

दूसरी बात जो इस में चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर और जनरल मैनेजर के कारपोरेशन के मेम्बर चुने जाने की है वह मेरी समझ में कुछ उचित नहीं जंचती। अब आप जानते हैं कि जनरल मैनेजर कारपोरेशन का एक मुलाजिम होता है और उसको भी कारपोरेशन का मेम्बर पहले से चुन देने से आप स्वयं समझ सकते हैं कि कारपोरेशन का उन पर क्या अधिकार अथवा कंट्रोल रहेगा ? अगर उनके कारपोरेशन की बैठकों में शामिल होने की ही बात होती तो वह तो समझ में आने वाली बात थी क्योंकि वह वहां पर मौजूद होकर अपने तमाम कागजात पेश करते और काम की बाबत बतलाते कि कैसा चल रहा है।

अभी एल० आई० सी० (जीवन बीमा निगम) का झगड़ा चला। उसके अन्दर भी कारपोरेशन में जो अधिकारी बना देते हैं उन्हीं का ज्यादा झगड़ा चला। वह चेअरमैन कारपोरेशन का मेम्बर है और आपने देखा कि उसके कारण कितना झगड़ा वहां पर चला और वह तमाम झगड़ा आगे चलकर आपके सामने आयेगा। वही बीमारी मुझे यहां भी देखने को मिलती है। अब जैसा कि नन्दा साहब चाहते हैं कि छोटे छोटे एम्पलाईज भी किसी कारोबार के सम्बन्ध में भाग लें और जैसा कि नन्दा साहब ने बहुत से योरपीय देशों में यह देखा है कि वहां की कारपोरेशंस में और उसके अफेयर्स में लोकल एम्पलाईज का भाग होता है तो वह तो समझ में आने वाली बात हो सकती है लेकिन अब चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर और जनरल मैनेजर के कारपोरेशन का मेम्बर होने से तो कोई छोटे एम्पलाईज का कारपोरेशन में प्रतिनिधित्व हो नहीं जायगा बल्कि वह तो शासन का ही प्रतिनिधित्व रहेगा क्योंकि जो शासनकर्ता हैं वह कभी एम्पलाईज का भाग नहीं ले सकते हैं। इसलिए मैं इस व्यवस्था का विरोध करता हूं और मंत्री महोदय से इस पर पुनर्विचार करने की अपील करता हूं।

इस के अलावा जो कर्जा लेने की बात है तो हर कारपोरेशन या तो राज्य सरकार के मातहत है या तो केन्द्र सरकार की है। राज्य सरकारें तो कर्जा लेती ही हैं और अगर आपने कारपोरेशंस को भी यह कर्जा लेने का अधिकार दे दिया तो बाजार में इतने अधिक कर्जा मांगने वाले हो जायेंगे जिस का कि कोई ठिकाना नहीं रहेगा। अभी कर्जे के बल पर हमारा बहुत काम चल रहा है लेकिन कर्जों का चारों तरफ बढ़ाना यह मेरे खयाल में ठीक कदम नहीं होगा। और कर्जा ले कर करते क्या हैं ? उस से और कुछ हो या न हो, पर आफिसेज एअरकंडीशन्ड बन जायेंगे। उस से अफसरों के आराम और सुविधा की चीजें बन जायेंगी चाहे आम जनता को कोई सुविधा हो या न हो। तो मेरा आप से यह अनुरोध है कि आप इस में कर्जा देने की व्यवस्था को कम करें। इस अधिकार को केवल गवर्नमेंट तक ही सीमित रखें, वह जिस काम के लिये चाहे कर्जा ले सके, लेकिन कारपोरेशन को कर्जा लेने का इतना अधिकार देना ठीक नहीं है ?। यह जरूर है कि आप ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमीशन का बन्धन लगा रखा है और दोनों में मतभेद

हो तो कर्ज की नौबत ही नहीं आयेगी । स्टेट गवर्नमेंट की परमीशन चाहे मिल भी जाये पर सेंटर की परमीशन मिलना उतना आसान नहीं हो सकता । मेरा ख्याल है कि जो पहले था वह भी बुरा था आप उस को और भी बढ़ा रहे हैं । यह अच्छी चीज नहीं है ।

दूसरी बात जो मुझे खटक रही है वह यह चीज है जो कि आप दफा ३० में करने जा रहे हैं । आप ने इस में यह रखा है कि शेष राशि का एक भाग निगम के विस्तार-कार्यक्रमों पर व्यय किया जायेगा और शेष राज्य-सरकार को सड़क विकास के लिये दे दिया जायेगा ।

पहले जो एक्ट था उस में यह कुछ नहीं था । मेरे खयाल से जो पहले था वह ज्यादा अच्छा था । जो आप अब बढ़ाने जा रहे हैं उस से तो कारपोरेशन के बढ़ने में रुकावट पैदा होगी । आप एक तरफ तो चाहते हैं कि वह बढ़े और दूसरी तरफ आप उस को पीछे भी खींचते हैं । आप जो अधिकार कारपोरेशन को दे रहे हैं उस को हर स्टेज पर करटेल भी न करें । लेकिन मैं देखता हूं कि आप अधिकार देना भी चाहते हैं और करटेल (कमी) भी करना चाहते हैं । आगे भी बढ़ना चाहते हैं और पीछे भी खींचते हैं । यह ठीक नहीं है ।

मैं इस बात के लिये साधुवाद देना चाहता हूं कि इस में हिसाब किताब की जांच कंट्रोलर एंड आडीटर जनरल (नियंत्रक महालेखा परीक्षक) के हाथ में रखी जा रही है, जैसाकि एल० आई० सी० में नहीं था । यह जो आप कर रहे हैं यह अच्छी चीज है । जहां सरकार का पैसा लगता हो वहां पर हमारे अधिकारियों का नियंत्रण होना आवश्यक है । यह चीज एल० आई० सी० में नहीं थी । इस को जो आप यहां बढ़ा रहे हैं यह बड़ी सुन्दर चीज है ।

इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि अदर परसन्स को आप अवश्य डिफाइन करें कि वह कौन परसन्स होंगे जिन को आप रियायत देना चाहते हैं । इस के अलावा कारपोरेशन को कर्जा लेने का भी इतना अधिकार नहीं होना चाहिये और जनरल मैनेजर और एग्जीक्यूटिव आफिसर को मेम्बरों में शामिल नहीं करना चाहिये । इतना ही मेरा निवेदन है ।

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, रोड ट्रांस्पोर्ट ऐक्ट सन् १९५० में बना था । उस से आशा हुई थी कि देश के हर राज्य में रोड ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन बन जायेंगे । उस समय हमारे यहां मध्यभारत राज्य था । उस राज्य ने एक कमेटी बनाई थी जो उस पर विचार करे कि इस रोड ट्रांस्पोर्ट का राष्ट्रीयकरण किया जाय या नहीं । और बाद में मालम हुआ कि उस कमेटी ने यह राय दी थी कि इस का राष्ट्रीयकरण किया जाय । मध्यभारत में ग्वालियर राज्य में ज्यादातर बस यातायात राज्य के हाथ में था और उस के लिये रास्ता बिल्कुल साफ था, राज्य के पास बसें थीं, पूंजी भी थी और वह इस को बढ़ा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह उस वक्त नहीं हो सका ।

इस के बाद जहां तक मुझे खयाल है हमारे यहां भी शासन ने कई बार इस प्रश्न पर विचार किया । लेकिन एक बाधा जो सामने आती है वह यह है कि आज जो आमदनी राज्य को रोड ट्रांस्पोर्ट से होती है, कारपोरेशन बनाने से वह कम हो जायेगी क्योंकि उस का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में राज्य को केन्द्रीय सरकार को देना पड़ेगा । इसी कारण से इस का राष्ट्रीयकरण अभी तक नहीं हो सका और कारपोरेशन नहीं बन सका जिस में राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार और दूसरे लोगों की पूंजी से काम किया जा सके । आज बस यातायात हमारे यातायात का बड़ा महत्वपूर्ण अंग बन गया है । रेलवेज का राष्ट्रीयकरण काफी पहले हो चुका है । और कुछ साल पहले हवाई यातायात का राष्ट्रीयकरण भी किया गया । लेकिन यह दुर्भाग्य का विषय है कि अभी तक हमारे देश में बस यातायात का राष्ट्रीयकरण नहीं हो सका है । पर इस के कुछ कारण हैं । इस के लिये इतनी पूंजी चाहिये कि जिस का प्रबन्ध आसानी से नहीं किया जा सकता और इसीलिये यह रास्ता निकाला गया था कि ज्यादा से ज्यादा राज्यों में कारपोरेशन बन जायें और उन में राज्य सरकार

[श्री राधेलाल व्यास]

केन्द्रीय सरकार और पब्लिक की पूंजी लग सके। इस का उद्देश्य यही था कि इस से लोगों को अच्छी और कम खर्चीली यातायात की सुविधा मिल सके। आज इतने साल के बाद भी हम देखते हैं कि इस यातायात के राष्ट्रीयकरण की ओर कदम बढ़ने के बजाय और रोड ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन कायम होने के बजाय, प्राइवेट बस ओनर्स की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मैं तो अपने राज्य में देखता हूं कि आये दिन लोगों को काफी बस के रूट्स मिलते जाते हैं। और आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि आजकल हमारे देश में किसी के लिये बस खरीदना कठिन नहीं है। कारण यह है कि बसें उधार मिल जाती हैं, इंस्टालमेंट से उस का पेमेंट होता रहता है और लोगों को थोड़ा सा पैसा लगा कर तीस चालीस हजार की अच्छी बस मिल जाती है। जिन लोगों को बस का कोई मार्ग मिल जाता है वे दो ढाई साल में बस की कीमत निकाल लेते हैं और कुछ मुनाफ़ा भी कर लेते हैं और बस उन को मुफ्त बच जाती है। लेकिन देखना यह है कि हिन्दुस्तान में जितनी बसें आती हैं उन के लिये केन्द्रीय सरकार को विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध करना होता है क्योंकि बसों के कुछ पार्ट (हिस्से) ही अभी यहां बनते हैं और बहुत कुछ सामान विदेशों से मंगाना पड़ता है। उस के लिये विदेशी मुद्रा का प्रबंध तो केन्द्रीय सरकार करे और इस से जो आमदनी हो वह प्राइवेट बस ओनर्स की जेब में जाय यह कहां तक उचित है। देश में जो यह एक बड़ा आमदनी का स्रोत है उस के प्रति राज्य सरकारों या केन्द्रीय सरकार को उपेक्षा करना मैं समझता हूं कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। समय आ गया है जब शासन को इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। और उन को कोई ऐसा उपाय खोज निकालना चाहिये कि इस आय का बहुत बड़ा भाग राज्य के खजाने में आ सके। उस के लिये दो तरीके हो सकते हैं। कुछ राज्य वास्तव में इस प्रोग्राम को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उन को भय है कि अगर यह कारपोरेशन बनायेंगे तो उन की आय का एक बहुत बड़ा भाग केन्द्र को टैक्स के रूप में चला जायगा। इस के लिये यह व्यवस्था हो सकती है कि इस तरह से जो टैक्स मिले उस का बड़ा भाग राज्यों को मिल जाय। यदि ऐसा हो तो राज्यों की आशंका और भय दूर हो सकते हैं। राज्यों को जो आय होनी चाहिये उस से तो वे वंचित न किये जाने चाहियें।

जहां तक इस विधेयक का सवाल है, इस में तो मामूली बातें हैं जिन के बारे में काफी चर्चा हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय और शासन से यह निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर फिर से विचार करें। यह यातायात दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस से आने जाने में लोगों को कम समय लगता है और खर्च भी कम लगता है। मैं देखता हूं कि उज्जैन से आगरा जाने में रेल से तीन चार घंटा लगता है वहां बस से दो ढाई घंटा ही समय लगता है। इसी तरह उज्जैन से इंदौर जाने में रेल से जहां तीन घंटा लगता है वहां बस से आदमी डेढ़ घंटे में ही पहुंच जाता है। सारे हिन्दुस्तान में बस-यातायात काफी बढ़ गया है और इस बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए कुछ ऐसे काम किये जाने चाहियें, कुछ ऐसे कदम उठाये जाने चाहियें, जिस से उस का अधिक से अधिक लाभ जनता को मिले।

देश भर में बसों का यातायात फैला हुआ है, लेकिन उस के कर्मचारियों की हालत कोई अच्छी नहीं है। क्या यह राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वह उस ओर ध्यान दे? उन लोगों के लिये कोई नियम नहीं हैं। उन के वेतन और छुट्टियों आदि के बारे में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। आज देश में बेकारी अधिक से अधिक बढ़ रही है। अगर अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार देना हो, तो मैं निवेदन करूंगा कि यह एक ऐसा ज़रिया है कि जिस से लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है। ऐसे ज़रिये को गवर्नमेंट अपने हाथ में न ले और प्राइवेट पार्टीज़ के हाथ में रहने दे, यह हमारे लिये अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि शासन इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा और कोई ऐसा विधेयक हाउस के सामने लायगा कि जिस से अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले, जनता और राज्य को लाभ हो और उस की आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा राज्य और केन्द्र को मिले।

मैं इस विधेयक की दो तीन मुख्य बातों पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा । जहां तक खुले बाज़ार में कार्पोरेशन के कर्ज़ लेने के अधिकार का सवाल है, उस के विषय में मुझ से पूर्व कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं । अभी माननीय मित्र श्री सिंहासन सिंह जी ने बताया कि अगर उस को यह अधिकार दिया गया, तो फिर वे लोग एयर-कन्डीशन्ड आफ़िसिज़ बनायेंगे, तरह तरह के खर्च करेंगे । मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि इस धारा में यह साफ है कि उन को केवल एक्सपेंडिचर आफ कैपिटल नेचर (पूंजीगत निर्माण कार्यों का व्यय) के लिये कर्ज़ लेने की इजाज़त दी गई है और इस कारण वह इस तरह से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे । फिर आखिर यह कार्पोरेशन है—वह कोई प्राईवेट पार्टी या मैनेजिंग एजेन्सी तो नहीं है कि वह मन-माने तौर पर खर्च कर सके । उन की देख-भाल करने के लिये और उन पर निगाह रखने के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी वहां पर रहेंगे । इसलिये इस विषय में कोई आशंका नहीं होनी चाहिये ।

यह भी कहा गया कि कर्ज़ लेने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जायगी । मैं निवेदन करूंगा कि अगर लोगों के पास पैसा है और वे उस को सुरक्षित स्थानों पर लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट (विनियोजन) करना चाहते हैं, तो क्यों न उस के लिये सुविधा हो ? आज हम देखते हैं कि लोगों के पास रुपया है और वे चाहते हैं कि वे ब्याज से पैसा कमायें और इसलिये वे साहूकारों के पास पैसा रख देते हैं । लेकिन साहूकारों के दिवाले निकल जाते हैं और बहुत से बेचारे भोले-भाले लोग लुट जाते हैं । अगर लोगों के पास पैसा है और अगर वे उस को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कार्पोरेशन और दूसरी ज़िम्मेदार संस्थायें कर्ज़ लें और कर्ज़ को लेकर अपनी आय बढ़ायें और उस से अच्छी व्यवस्था करें और लोगों को सुख और सुविधा दें, तो कोई कारण नहीं है कि उस से किसी किस्म का भय और आशंका हो । जहां तक कार्पोरेशन को कर्ज़ लेने का अधिकार देने का प्रश्न है, मैं उस का समर्थन करता हूं ।

एक्सपेंशन प्रोग्राम को फिनांस (रुपया लगाने) करने के लिये भी व्यवस्था की गई है । यह कोई अच्छी बात नहीं थी कि पूरे के पूरे मुनाफे को पैसंजर्स की एमिनिटीज में खर्च कर दिया जाय । इस बात की आवश्यकता थी कि ज्यादा बसें चलाने और बस यातायात को बढ़ाने के कार्यक्रम को पूरा करने के लिये कुछ व्यवस्था की जाये । पहले कानून में इस बात का कोई आदेश नहीं था, इसलिये अब यह व्यवस्था की गई है । दिन प्रति दिन लोगों को बसों के द्वारा यात्रा करने की इच्छा हो रही है । ऐसी अवस्था में अगर गवर्नमेंट कार्पोरेशन को कोई कर्ज वगैरह नहीं दे सकती, तो कम से कम अपने मुनाफे में से कुछ बचा कर विस्तार के कार्यक्रम को चलाने के लिये व्यवस्था करना कोई अनुचित बात नहीं कही जा सकती है ।

जहां तक एकाउन्ट्स (लेखे) और आडिटिंग (लेखा परीक्षा) को आडिटर-जनरल के सुपुर्द करने का प्रश्न है, यह तो कोई बात नहीं है कि आडिटर जनरल कहां-कहां देखेगा । मैं तो यहां तक कहूंगा कि जितनी बड़ी बड़ी प्राइवेट इंडस्ट्रीज (निजी उद्योग) हैं, उन के एकाउन्ट्स की जांच-पड़ताल करने का अधिकार भी आडिटर-जनरल को देना चाहिये । जब म्यूनिसिपैलिटीज भी इस में शामिल हैं, तो कोई कारण नहीं है कि कारपोरेशन के हिसाब की पड़ताल का काम आडिटर-जनरल के जिम्मे न हो ।

पासिज के बारे में भी कुछ कहा गया है । मुझे भी थोड़ी सी आशंका है कि इस कानून में जो प्राविजन है, वह गोल-मोल सा है और स्पष्ट नहीं है । अगर यह अस्पष्ट है, तो उचित यह है कि जो नियम बनाये जायें, उन में यह व्यवस्था की जाये कि पासिज किस को दिये जायें, किस काम के लिये दिये जायें, एम्पलाईज को कितने पासिज दिये जायेंगे, कब दिये जायंगे, साल में कितने दिये जायेंगे, इत्यादि । कोई न कोई नियम जरूर इस विषय में होना चाहिये । अगर इस को गोल-मोल रखा गया, तो उस से

[श्री राधेलाल व्यास]

अधिकारों का बहुत कुछ दुरुपयोग होगा और इस तरह उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी, जिस के लिये यह व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था करना जरूरी है कि दूसरे आदमियों को किस हालत में, किस शर्त के साथ पास दिये जायेंगे, ताकि कानून और नियमों के अनुसार सब काम चले।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेक का समर्थन करता हूं।

सरदार इकबाल सिंह (फिरोजपुर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जब १९५० में रोड ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन्ज एक्ट बनाया गया था, तो यह आशा थी कि कम से कम हर सूबे में रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बनेगी और जितना भी नैशनेलाइज्ड (राष्ट्रीयकृत) ट्रांस्पोर्ट है, वह उस के नीचे आ कर लोगों की बेहतरी के लिये स्टेट की बेहतरी के लिये और बिजिनेसमैन के ढंग से चलाई जायेगी। लेकिन उस के बाद हालात इस ढंग से चलते गये कि बहुत सी स्टेट्स में उस एक्ट की मुखालिफत की गई, क्योंकि वे समझते थे कि कारपोरेशन के बनने के बाद उन के अधिकार जरा कम हो जायेंगे और उन की आमदनी भी कम हो जायेगी। इस के अलावा सब से बड़ी बात यह थी कि स्टेट्स के ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट यह समझते थे कि उन के अख्तियार नहीं रहेंगे या कम हो जायेंगे। जो वे ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन नहीं बना रहे हैं, वह इस लिये नहीं कि वह लोगों की ज्यादा सेवा इस ढंग से कर सकते हैं, बल्कि वे इस लिये नहीं बना रहे हैं कि ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट अपनी एम्पायर (अपने प्रभावक्षेत्र) को छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं। चाहे लोगों को तकलीफ हो, चाहे लोगों की सेवा हो या नहो, चाहे एक ही बस चले, वह कहते हैं कि हम तो डिपार्टमेंट के जरिये ही चलायेंगे। मेरे कहने का मुद्दा सिर्फ यह है कि जिस मुद्दे के लिये यह एक्ट बनाया गया है, आज उस मुद्दे को पूरा करने के लिये बहुत सी स्टेट्स तैयार नहीं हैं। जब सैन्ट्रल गवर्नमेंट कर्ज देती है, तो कम से कम उस का यह फर्ज है कि रोड ट्रांस्पोर्ट इस ढंग से चलाई जाये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा और आराम पहुंचे और स्टेट की आमदनी भी बढ़े। मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में बम्बई की रोड ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन से हर एक को सबक लेना चाहिये, क्योंकि उन्हों ने बैस्ट तरीके से रोड ट्रांस्पोर्ट को चलाया है और कारपोरेशन बनने के बाद उस की दिन ब दिन तरक्की भी हुई है। इसी तरह बाकी सूबों में भी हो सकती है।

इन बदले हुए हालात में आटोनोमस कारपोरेशन का क्या रोल होना चाहिये, उस के क्या अख्तियारात होने चाहियें, इस को सामने रख कर सारे एक्ट को दोबारा एमेंड करना चाहिये, ताकि इस देश में रोड ट्रांस्पोर्ट के लिये और कारपोरेशन के लिये हवा और वायु मंडल पैदा हो और ज्यादा कारपोरेशन्ज बनाई जा सकें।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि एक एक सूबे में तीन तीन, चार चार कारपोरेशन्ज हैं इस को खत्म करना चाहिये। एक सूबे में सिर्फ एक कारपोरेशन होनी चाहिये। जिस रूट के बारे में वे समझते हैं कि वह कभी भी नफा नहीं देगा, उस को वे अलाहिदा रखना चाहते हैं, जो कि हर साल सैन्टर पर एक लायबिलिटी होती है। प्राफिटेबिल रूट्स की अलाहिदा कारपोरेशन है और बैकवर्ड एरियाज की अलाहिदा कारपोरेशन है ? मैं समझता हूं कि सब को एमलगामेट कर के एक ही कारपोरेशन होनी चाहिये।

और यहां पर बाज स्टेट्स ऐसी हैं, जैसे पंजाब में, कि डिपार्टमेंट भी बसें रन करता है, कारपोरेशन भी रन करता है, और अब तीसरा कारपोरेशन आप बनाने चले हैं। मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है, डुअल या ट्रेबल (दूना या तीन गुना) काम होने से जब इतनी गाड़ियां चलेंगी तो न उन पर पूरी तरह कंट्रोल हो सकता है और न निगहबानी हो सकती है। इसलिये एक स्टेट में नेशनलाइजेशन

का सिस्टम एक ही होनी चाहिये और रोड ट्रांस्पोर्ट का होना चाहिये । कई जगह दो दो तीन तीन कारपोरेशन्ज हैं । बम्बई स्टेट में कच्छ का अलाहिदा है, सौराष्ट्र का अलाहिदा है और बम्बई का अलाहदा है, इस लिये मैं चाहता हूं कि एक स्टेट में एक ही रोड ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन होना चाहिये ।

इस एक्ट में आप कोई बहुत सी चीजें तो करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन दो चार चीजें ऐसी हैं जिन पर मैं कुछ कहना चाहता हूं । सब से पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप ने जो एम्पलायीज को फ्री पास दिये हैं, उन के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है और उन एम्पलाईज को पास मिलने चाहियें, स्पेशल कंसेशन्स स्टुडेंट्स को भी मिलने चाहियें, स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी मिलने चाहियें, लेकिन जिस ढंग से आप इस ऐक्ट को बना रहे हैं, और जिस ढ़ंग से इस देश में कारपोरेशन का सिलसिला चलता है, अगर उसे सरकार ने कायम रखा तो इस फ्री पास को करने से सब से ज्यादा नुकसान होगा और उस का बहुत मिसयूज होगा । किसी भी स्टूडेंट को तो फ्री पास नहीं मिलेंगे, वह फ्री पास जायेंगे, कंडक्टर के दोस्तों के पास , थानेदार के पास, पुलिस वालों के पास और बसों के अमलों के पास, वे टिकट जायेंगे असिस्टेंट मैनेजर के दोस्तों के पास, ड्राइवर्स के और कंडक्टर्स के दोस्तों के पास, और इस का असर पड़ेगा स्टेट एक्स्चेकर (राजकोष) पर । दूसरे ही लोग इस का फायदा उठायेंगे । इस लिये मैं चाहता हूं कि पहले तो आप को इस चीज़ को करना ही नहीं चाहिये, कोई जरूरत नहीं कि स्टूडेंट्स को फ्री पास दिये जायें या कंशेन्स दिये जायें क्योंकि वे आखिर में स्टूडेंट्स को नहीं मिलेंगे । चार साल बाद आप देख लेंगे कि ये चीजें हमारे अफसरों को मिलती रहेंगी, न सिर्फ अफसरों को मिलती रहेंगी बल्कि उन के खान्दानों को भी मिलेंगी । इस ऐक्ट में इस चीज को रखने से नुकसान हो सकता है । और अगर आप को इसे रखना ही है तो कौन लोग इस को ले सकेंगे इस को डिफाइन करना चाहिये ताकि जो गवर्नमेंट आफिसर्स हैं, या जो उन के दोस्त हैं, वे लोग नाजायज फायदा न उठा सकें और सरकार के रुपये पर वह कन्सेशन्स न ले सकें । इस लिये मैं कहता हूं कि जिस ढ़ंग से आप यह फ्री पास देने जा रहे हैं उस का फायदा वही लोग उठायेंगे जिन को फायदा देना आप का मकसद नहीं है, और जिन को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं उन का इस से कोई फायदा नहीं होगा ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप ने कारपोरेशन्स को ताकत दी है कि बाजार में जायें और जा कर कारपोरेशन के लिये कर्जा लें । मैं मानता हूं कि कारपोरेशन्ज को जितने रुपये की जरूरत हो वह तो उन को लेना हो चाहिये । लेकिन इस ढ़ंग से अगर आप इजाजत दे देंगे, भले ही आप उस से किसी किस्म का प्रोग्राम चलायें, या किसी किस्म का भी काम करें तो वह ठीक नहीं होगा । रोड-ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन को अगर आप इज़ाजत देते हैं और हिन्दुस्तान के जो दूसरे सरकारी कारपोरेशन हैं उन को इजाजत नहीं देंगे, चाहे वह कितने ही अच्छे क्यों न हों, कितने ही ज्यादा बिजिनेस वाले क्यों न हों । तो इस से आप एक गलत प्रिसिडेंट (पूर्व दृष्टान्त) कायम करेंगे । अब तक यह है कि हिन्दुस्तान की सरकार एक दफा अपने लिये या सूब की सरकारें अपने लिये मार्केट में लोन लें, लेकिन अगर अलाहदा अलाहदा एजेन्सीज ने लोन लेना शुरू कर दिया तो लोन मार्केट पर इस का कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा । यह बात भी है कि अगर सूबे की सरकार या सेन्ट्रल गवर्नमेंट कर्जा ले तो उन को कर्ज मिल ही सकता है क्योंकि आज सेन्ट्रल गवर्नमेंट की साख बहुत अच्छी है, बनिस्बत रोड ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन के बैंक ट्रेड के बारे में रोड ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन की कोई साख नहीं है, इस लिये उसे कर्जा मिल सकेगा इस में भी मुझे शंका है । इसलिये इस चीज का आप को कोई लाभ होने वाला नहीं है, हां इस का उलटा असर हो सकता है और इस का मिसयूज भी हो सकता है । इस लिये इन कारपोरेशन्स को ओपन मार्केट में (सार्वजनिक तौर पर) कर्जा लेने का कोई अख्त्यार नहीं होना चाहिये

[सरदार इकबाल सिंह]

इस के बाद मैं क्लाज ६ के सिलसिले में कहना चाहता हूं। आप ने रोड ट्रांस्पोर्ट को फाइनेन्स करने के लिये यह रक्खा है कि एक्स्पैन्शन (विस्तार) प्रोग्राम में जो नफा हो उस से वह रुपया दें। इस से पहले एक्ट में यह था कि कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के लिये पैसा दे सकती थी, लेबर वैलफेयर के लिये और एम्प्लाईज वैलफेयर के लिये पैसा दे सकती थी स्टेट गवर्नमेंट या सेन्ट्रल गवर्नमेंट। मैं समझता हूं कि यह नई चीज इस में नहीं होनी चाहिये। यह मैं इस लिये कहता हूं कि अगर आप एक्स्पैन्शन प्रोग्राम का पैसा दे देंगे रोड ट्रान्स्पोर्ट को और सड़कों के बनाने के लिये कोई पैसा नहीं देंगे तो बड़े बड़े शहरों को ही फायदा होगा। बड़े बड़े शहरों में ही कारपोरेशन आप चलाना चाहते हैं हालांकि आप बड़े बड़े शहरों को कम करना चाहते हैं। आप का कतई यह मुद्दआ नहीं है कि आप बड़े बड़े शहरों को नफा पहुंचायें। आप तो चाहते हैं कि कारपोरेशन में रोड ट्रान्स्पोर्ट डिपार्टमेंट का जो पैसा लगा है वह उन इलाकों के लिये इस्तेमाल हो जो कि बैकवर्ड हैं, जहां सड़कें नहीं हैं। लेकिन वह मकसद इस कानून से पूरा नहीं होगा। इस के अलावा अब सरकार यह चाहती है कि आज इन्दौर और ग्वालियर में बसें चलें, ग्वालियर दिल्ली में बस चलें, आप गांवों को जाना नहीं चाहते। इसलिये मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये। अगर रोड ट्रान्स्पोर्ट कारपोरेशन को बसें खरीदना है तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट से कर्जा ले सकता है। अगर वह अपने मुनाफे से लेगा तो **ऐट दि कास्ट आफ पैसेन्जर्स अमेनिटीज ऐंड वेलफेअर** (यात्री सुविधाओं और कल्याण को हानि पहुंचा कर) लेगा। दूसरे सन् १९५० में आप ने जिन लोगों का मुद्दआ रक्खा था रोड ट्रान्स्पोर्ट ऐक्ट बनाते वक्त वे कौन थे? आप ने कहा था कि हम यह कारपोरेशन्स इस लिये बना रहे हैं कि जिस में हिन्दुस्तान में ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनें। आज आप इस मुद्दे से दूर जा रहे हैं क्योंकि वे लोग आज बहुत ज्यादा लोन नहीं कर सकते। उन का डिप्रिसिएशन ज्यादा होता है, उस को कवर अप न कर के आज एक्स्पैन्शन की बात कर के नई बसेज खरीदना चाहते हैं ताकि जो तीसरे साल बसें कम हो सकती हैं उन को कवर अप कर सकें। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि पंजाब में एक पैसेन्जर टैक्स लगा हुआ है। वहां पर कारपोरेशन या डिपार्टमेंट पैसेन्जर टैक्स देता नहीं है। वह लोगों से टैक्स इकट्ठा कर के कहता है सरकार हम को १६ लाख रु० देती है। हम ने ११ लाख पैसेन्जर टैक्स से ले लिया। इस १६ लाख रु० की एनुअल सब्सिडी में से ११ लाख काट कर बाकी ५ लाख सरकार हम को और दे दे। इसलिये अगर आप उन्हें पैसा देते जायेंगे इस ढंग से तो एकाउंट में गड़बड़ी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है। अगर इस तरह से चलता रहा और एक्स्पैन्शन प्रोग्राम से रुपया दिया जाता रहा तो यह कारपोरेशन एफिशिएंटली रन (कार्यक्षमता से चल) नहीं कर सकेंगे।

इस के बाद मैं आखिर में जो बात कहना चाहता हूं वह यह कि आडिटर जनरल को जो अख्त्यार दिया गया है मैं उसे वेलकम करता हूं। यह लोगों का पैसा है, जनता का पैसा है। अगर प्राइवेट ऐकाउंटेंट्स के जरिये वह आडिट हो तो उस से काम ठीक से नहीं चल सकेगा। इसलिये आडिटर जनरल ऐक्ट में नहीं लाते कि किस ढंग से वह अपना एकाउंट बनायेंगे, कितना डिप्रिसियेशन प्रोवाइड करना है या दूसरी चीजें किस तरह से करनी हैं, तब तक इस चीज़ का बहुत फायदा नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि हर साल हर कारपोरेशन बहुत से काम करता है, अखबारों में निकाल दिया जाता है कि कई नये बस स्टैंड बने, जब भी कोई अफसर जाता है तो कह दिया जाता है कि १५ लाख या २० लाख रु० का नफा हुआ। इतना नफा हुआ जरूर लेकिन कभी वह क्रेडिट भी किया गया? पिछले सेशन में जवाब दिया गया कि नफा तो हुआ लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में वह अभी तक क्रेडिट नहीं किया गया। नफा निकलने का फायदा क्या हुआ जब कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट को वह दिया नहीं गया? यह ठीक है कि अखबारों में ऐलान आ जाता है कि नफा हुआ लेकिन वह रुपया दिया नहीं जाता वह इसलिये कि जिस ढंग से आज ऐकाउंटस रक्खे जा रहे हैं उन पर

आपका कोई कंट्रोल नहीं, लेजिस्लेटिव मैनर का कंट्रोल नहीं। जिस ढंग से एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट बना है, उस में हर एक चीज़ को डिफाइन किया गया, लेकिन इस में डिफाइन नहीं किया गया, इसलिये सारे का सारा डिप्रिसिएशन कवर अप नहीं किया जाता।

आखिर में मैं रोड ट्रान्स्पोर्ट में फ्री पास देने की बिल में जो व्यवस्था की जा रही है, उस पर मंत्री महोदय को पुनर्विचार करने के लिये कहना चाहता हूं। मैं तो चाहूंगा कि फ्री पास वाली बात को छोड़ ही दें और अगर ऐसा करना मुमकिन न हो तो कम से कम उसको डिफाइन कर दें वरना इसमें फायदे के बजाय नुक्सान ज्यादा होगा।

श्री श्रीनारायण दास : उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक जो हमारे सामने उपस्थित है उसके सम्बन्ध में जो चर्चाएं अभी हुई हैं उनसे पता चलता है कि जब यह कानून हम ने बनाया तब से अब तक जो कारपोरेशंस कायम हुए उनके बारे में पूरा अनुभव हम लोगों को नहीं है। अच्छा होता कि यह संशोधन करने वाला जो बिल है इसके साथ ही साथ जो भाषण मंत्री महोदय ने किया उनको जहां जहां भी कारपोरेशंस चलते हैं उनका काम कैसे चला इसकी एक संक्षिप्त रिपोर्ट हमारे सामने होती तो हमको इस बात पर साफ राय जाहिर करने में सुविधा होती कि क्या यह कारपोरेशन जिसे हम लोगों ने इस ऐक्ट के जरिये कायम करने का अधिकार राज्य की सरकारों को दिया था और उसके जो सिद्धान्त थे और उसकी जो मंशा थी उसके मुताबिक काम हुआ कि नहीं।

सब से पहली बात तो यह है कि अभी तक बहुत सी राज्य सरकारों ने कारपोरेशंस कायम ही नहीं किये। बहुत से राज्यों ने जिन्होंने इस सड़क ट्रान्सपोर्ट के चलाने का भार अपने हाथ में भी है लिया वह उसको विभाग के द्वारा चलवा रहे हैं, डिपार्टमेंटल तरीके से चलवा रहे हैं। अब विभाग के द्वारा यह काम करना ठीक है या इसको कारपोरेशन के द्वारा चलाना ठीक है, इसमें विवाद नहीं है। ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की है जो कि चाहते हैं कि अगर राज्य की सरकार यातायात का राष्ट्रीयकरण करे तो उसका संचालन कारपोरेशंस के द्वारा ही हो। इस बात को मद्देनजर रख कर यह बिल और यह कानून हम ने पास किया था लेकिन न मालूम क्यों अभी तक बहुत सी राज्य सरकारों ने अपने वहां पर कारपोरेशंस कायम नहीं किये। यहां पर सवाल पैसेंजर्स के ट्रान्सपोर्ट का ही खास करके है क्योंकि माल के आवागमन के बारे में तो सरकार ने एक नीति बनाई हुई है कि यह माल ढोने का काम अगर प्राइवेट लोगों के हाथ में ही अभी कुछ दिनों तक रहने दिया जाय तो कुछ बुरा नहीं है। रोड ट्रान्सपोर्ट रीआरगनाइजेशन कमेटी (सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति) की रिपोर्ट को मैंने देखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि थर्ड फाइव इयर प्लान के दस वर्ष बाद तक माल लाने ले जाने का जो साधन है वह प्राइवेट लोगों के हाथों में रहने दिया जाय तो अच्छा है। अब उस पर विचार करने का यह मौका नहीं है लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस उद्देश्य से हम लोगों ने यह कानून बना कर राज्य की सरकारों को अधिकार दिया है कि वे जहां जरूरत समझें राष्ट्रीयकरण करके इस विभाग के काम का राष्ट्रीयकरण करके कारपोरेशन के द्वारा संचालित करें। देखना यह है कि उस उद्देश्य में हम कहां तक सफलीभूत हुए हैं। इस कानून को बनाये हुए हमें ९, १० वर्ष हो गये लेकिन हमारे सामने किसी भी स्टेट सरकार की जो कारपोरेशंस हैं उनकी कार्यवाही का पूरा विवरण नहीं आया जिससे यह मालूम पड़ता कि आया वहां की सरकारों ने जो इस काम को विभाग द्वारा संचालित किया और फिर कारपोरेशंस द्वारा संचालित किया तो उसमें कौन अच्छा रहा और जिस में अच्छी प्रगति हुई। इसलिये हम इस सम्बन्ध में ठीक ठीक अपना निर्णय नहीं दे सकते। मेरा कहना यह है कि जब केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया कि वे अगर चाहें तो अपने वहां पर कारपोरेशंस बना कर इस काम को चलवा सकती हैं तो भारत सरकार को कोआर्डिनेशन के खयाल से इसको देखना चाहिए कि जिस नीति को प्लानिंग कमिशन मानता है और केन्द्रीय सरकार

[श्री श्रीनारायण दास]

मानती है उस नीति के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारें कार्य करती हैं या नहीं करती हैं। मेरा खयाल है कि इस बारे में ढिलाई की गई है। अगर केन्द्रीय सरकार की तरफ से इस बात की निगरानी की जाती और उनसे राय मशविरा करके उनको बात बताई जाती और सलाह दी जाती तो आज जो कई वर्षों में भी राज्यों में कारपोरेशंस कायम नहीं हुए, ऐसा नहीं होता।

जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह कानून सन् १९५० में बनाया गया था और तब से लेकर आज तक काफी तबदीलियां हो गई हैं और इसलिए यह अच्छा होता कि इस सारे बिल को एक नये ढांचे में बना कर हमारे सामने पेश किया जाता और मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जब भी मौका आये जल्द से जल्द वे सदन के सामने पूरा ब्योरेवार बतलायें कि रोड ट्रान्सपोर्ट का संचालन जो कि कारपोरेशंस द्वारा किया गया वह किस तरह से हुआ है और यह कि वह अच्छा है अथवा बुरा है और उनकी अपनी क्या राय है यह सब उनको सदन के सामने रखना चाहिए।

दूसरी बात जो अभी विवाद का कारण बन गई है और इस सदन में जिसका कि कुछ सदस्यों ने समर्थन किया और बहुत से सदस्यों ने उसका विरोध किया है वह है कारपोरेशन के कर्मचारियों एवं दूसरे लोगों को बिना शुल्क या रियायती शुल्क पर सफर करने का पास देने के बारे में। इस क्लाज के द्वारा कारपोरेशन को यह पावर होगी यह अधिकार होगा कि वह फ्री पास अपने एम्पलाईज को और अदर पर्सन्स को दे या उनको रियायती दर पर टिकट दे। इसके कांसीक्वैंशल अमेंडमेंट (आनुषंगिक संशोधन) वाले क्लाज नम्बर १३ में कारपोरेशन को रेगुलेशंस बनाने की पावर होगी। कारपोरेशन के एम्पलाईज़ को फ्री पास दिया जाय और दूसरे लोगों को पास दिया जाय या न दिया जाय मैं समझता हूं कि यह विवाद उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो भी रेगुलेशंस कारपोरेशन बनायेगी उसका ऐप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट से लेना होगा। बिना स्टेट गवर्नमेंट के ऐप्रूवल के कारपोरेशन कोई रैगुलेशन नहीं बना सकती है। अब जहां तक यह सवाल है कि कारपोरेशन को यह अधिकार दिया जाय कि नहीं तो मैं समझता हूं कि यह अधिकार दिया जाना जरूरी है। चाहे रेलवे में हो अथवा और किसी जगह हो, चाहे किसी दूसरे विभाग में हो और खास करके ट्रान्सपोर्ट के जो चलाने वाले लोग हैं वे बड़ी मेहनत से काम करते हैं और उन की तनख्वाह और जो उन की दूसरी सर्विस कंडिशंस (सेवा की शर्तें) हैं उस में इस की व्यवस्था रहनी चाहिये और कारपोरेशन को यह अधिकार होना चाहिये कि अगर वह मुनासिब समझे तो अपने मातहत काम करने वाले कर्मचारियों को और उन के परिवार वालों को किसी खास जगह से किसी खास जगह तक जाने के वास्ते फ्री पास दे दे। अब यह फ्री पास कहां तक का होगा और कब तक का होगा यह सब बातें तो रैगुलेशंस और नियम से तय होने वाली हैं और इन का हम कानून में जिक्र नहीं कर सकते। जब हम कारपोरेशन को ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था को चलाने का भार सौंपते हैं तो उस के द्वारा अपने कर्मचारियों को यह सुविधा देना कि पास किस जगह से किस जगह तक हों, पास दस दिन का हो या पन्द्रह दिन का हो, इन सब चीजों को तय करने का अधिकार अगर हम कारपोरेशन को नहीं देंगे तो यह अच्छा नहीं होगा। जहां तक उस अधिकार के संचालन का संबंध है उस के लिये जो अभी कानून है उस की दफा ४५ में यह साफ दिया हुआ है कि जो भी रैगुलेशंस कारपोरेशन बनायेगी वह वहां की राज्य सरकार की अनुमति से बनायेगी। इसलिये जो भी कुछ रिआयत किसी को मिलेगी चाहे वह कर्मचारी को मिले, चाहे विद्यार्थी को मिले और चाहे दूसरे लोगों को मिले, वह उसी हालत में उन को मिल सकती है जबकि सम्बन्धित राज्य सरकार उस के लिये रजामंद होगी अन्यथा नहीं। राज्य सरकार की रजामंदी के बगैर कोई कारपोरेशन इस तरह की सुविधा किसी को भी नहीं दे सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो विवाद इस सम्बन्ध

में माननीय सदस्यों ने खड़ा किया है उस की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। अब इस सम्बन्ध में कि राज्य सरकार अपने वहां कर्मचारियों और अन्य लोगों को फ्री पास की कैसी और कितनी सुविधा दे, दस दिन के पास की सुविधा दे या पन्द्रह दिन की सुविधा दे, राज्य सरकार के अधिकार को सीमित करना मुनासिब नहीं है।

यह जो संशोधन विधेयक माननीय मंत्री ने उपस्थित किया है ठीक किया है और मैं समझता हूं कि कारपोरेशन को अधिकार होना चाहिये कि वह अपने वहां की राज्य सरकार की अनुमति से फ्री पास आदि की सुविधा वहां के कर्मचारियों, विद्यार्थियों अथवा दूसरे ऐसे लोगों को खास कर के अध्ययन के लिये या दूसरे तरह के राष्ट्रीय कार्य करने वालों को दे सके और अगर ऐसा किया जाता है तो मैं समझता हूं कि उस का विरोध करना उचित नहीं है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि यह ईश्यु आफ पासेज टु दी एम्पलायीज आफ दी कारपोरेशन एंड अदर पर्सन्स, यह जनरल टर्म्स में लिखा हुआ है। मैं समझता हूं कि कानून में तो इस को डिफाइन नहीं किया जा सकता है लेकिन रूल रैगुलेशन्स में इस का जिक्र होना चाहिये कि अदर पर्सन्स से मतलब शिक्षा से और अध्ययन में लगे हुए लोगों से है और इसी तरह रूल्स और रैगुलेशंस में इस का जिक्र कर दिया जाना चाहिये कि यह पासों की सुविधा सम्बद्ध अधिकारियों को ही दी जायगी। रूल्स एंड रैगुलेशंस में यह प्रवाइड (व्यवस्था) कर दिया जाय कि यह फ्री पास की सुविधा सम्बन्धित अधिकारियों, मुलाजिमों और शिक्षा अथवा अध्ययन सम्बन्धी बातों के लिये ही मिलेगी और यह फ्री पास से सफर करने की सुविधा आम कामों के लिये नहीं होनी चाहिये।

जितनी भी कारपोरेशन बनती हैं और जिन में केन्द्रीय सरकार का पैसा लगता है या राज्य सरकारों का पैसा लगता है उस के हिसाब की जांच पड़ताल करने का पूरा अधिकार हमारे आडिटर कंट्रोलर जनरल को होना चाहिये। जहां तक मुझे याद है बहुत से कानून बनाते समय हम ने इस बात का खयाल रक्खा है। अलबत्ता यह एक खास मौका है जब हम ने इस बात की छूट रक्खी है और दस वर्ष के बाद किसी अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने की यह जो बात कही जा रही है, तो कोई भी फंड हो, चाहे केन्द्रीय सरकार का फंड हो और चाहे राज्य की सरकार का फंड हो, किसी भी संस्था को काम चलाने का जब अधिकार दिया जाता है तो उस के हिसाब किताब की जांच पड़ताल करने का अधिकार आडिटर जनरल और कंट्रोलर को अवश्य होना चाहिये। अभी माननीय त्यागी जी ने कहा था कि कंट्रोलर एंड आडीटर जनरल के पास बहुत से काम पड़े हुए हैं और उन को छुट्टी नहीं है। मैं समझता हूं कि जैसे जैसे सरकार के काम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कंट्रोलर एंड आडीटर जनरल के विभाग में काम करने वाले भी बढ़ने चाहियें और बढ़ रहे हैं। इसलिये यह कोई दलील नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का पैसा है इसलिये स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार हो। स्टेट गवर्नमेंट का भी जो पैसा खर्च होता है उस को जांच करने का अधिकार भी कंट्रोलर जनरल को है। तो स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पैसा किसी कारपोरेशन को या किसी दूसरी संस्था को जाता है तो उस के हिसाब किताब की जांच करने का अधिकार कंट्रोलर जनरल को जरूर होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही स्वागत योग्य चीज है।

हमारे माननीय सदस्य श्री माथुर ने इस बात का बहुत विरोध किया है कि इस में केन्द्रीय सरकार को नियंत्रण का इतना अधिकार है। मैं भी विकेन्द्रीय करण की बात को मानता हूं। यह बात सही है कि अधिकार को ज्यादा केन्द्रीभूत करने से काम में बहुत देरी होती है और अभी भी जो अधिकार केन्द्रीय सरकार ने ले रखे हैं अगर उन को लालफीताशाही से जल्द दूर किया जाय तो मैं समझता हूं कि यह कोआरडिनेशन के लिये बहुत अच्छा होगा। देश एक है, संसद एक है, जनता

[श्री श्रीनारायण दास]

एक है, तो फिर सरकार का नियंत्रण रहे तो यह ठीक है। लेकिन अनुभव बतलाता है कि जितने ही अधिकार केन्द्रीय सरकार के पास केन्द्रीभूत होते हैं उतनी उनमें लालफीते की बात अधिक आ जाती है। सिद्धान्ततः यह बात सही है कि जिस संस्था में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार का पैसा लगा हो उस को राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की अनुमति ले कर काम करना चाहिये क्योंकि कोआपरेशन राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार का क्रिएशन (बनाया हुआ) है। इसलिये राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को उस पर अधिकार होना अनुचित नहीं है। लेकिन इस बात पर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये कि जब इस प्रकार के अधिकार केन्द्रीय सरकार के पास होते हैं तो उस का परिणाम यह होता है कि उस संस्था के लोग केन्द्रीय सरकार को अनुमति के लिये लिखा पढ़ी करते हैं तो चार चार छः छः महीने इस में निकल जाते हैं और काम में देरी होती है। मैं इस प्रकार के नियंत्रण का सिद्धान्ततः विरोध नहीं करता लेकिन जो इस कारण देरी होती है उस को दूर किया जाना चाहिये। इस में जो यह रखा गया है कि विशेष अवस्थाओं में जबकि कारपोरेशन को कर्जा लेना हो अपने विकास कार्यक्रम के लिये तो उस समय उसे केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करनी चाहिये, मैं इसे अनुचित नहीं समझता। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा उपाय किया जाय कि काम जलद हो।

अभी जो विधान है उस के अन्तर्गत कारपोरेशन को यह अधिकार नहीं है कि नफे को विकास के काम में लगा सके। अब आप यह अधिकार इस कानून के जरिये दे रहे हैं कि नफे में से डिप्रिसियेशन (अवक्षय) आदि काट का जो नेट प्राफिट हो उस को कर्मचारियों के सुधार के लिये और दूसरे विकास के कामों में लगा सकें। यह चीज़ अनुचित नहीं है। पहले जो यह अधिकार नहीं दिया गया था तो यह मेरी समझ में भूल थी। इस की पूर्ति अब की जा रही है।

मैं एक दो और बातों की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगा। मैं एक बात माननीय मंत्री के विचार के लिये रखना चाहता हूं। अभी यह नियम है कि कारपोरेशन जो बजट बनाते हैं उन की स्वीकृति उन को सरकार से लेनी पड़ती है और यह उचित ही है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जिस तरह से डी० वी० सी० का बजट संसद के माननीय सदस्यों के सामने रखा जाता है और उन को उस पर चर्चा करने, सुझाव देने और वादविवाद करने का अधिकार होता है, उसी तरह से कारपोरेशन के बजट भी राज्य की विधान सभा की मेज पर रखा जाय और विधायकों को उस पर विचार करने का उसी तरह अधिकार हो जिस तरह कि संसद में है। यदि ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा हो।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि रूल बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है और रेग्युलेशन बनाने का अधिकार कारपोरेशन को है। हम लोग यहां संसद में जो कानून पास करते हैं, उन के अन्तर्गत रूल बनाने का अधिकार सरकार को देते हैं। लेकिन जो भी रूल सरकार बनाती है वे सदन के सामने रखे जाते हैं और सदन को अधिकार है कि वह उन पर वादविवाद करे और उन में संशोधन करे और वे रूल संशोधित रूप में लागू किये जाते हैं। मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार जो रूल राज्य सरकार बनावे उन को भी विधान सभा के सदस्यों के सामने रखा जाय और उन पर विवाद करने का अधिकार सदस्यों को होना चाहिये और उन में संशोधन करने का अधिकार भी उन को होना चाहिये जैसा कि यहां है। कारपोरेशन और राज्य सरकार जो नियम बनावे उन में संशोधन करने का अधिकार विधायकों को होना चाहिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। वह यह है कि यह जो वर्तमान कानून की दफा ४१ को हटाया जा रहा है, यह बहुत अच्छा किया जा रहा है। इस दफा में कारपोरेशन को विशेषअधिकार प्राप्त था, उस को एक लोकल बाडी की तरह समझा जाता था और इसलिये उस पर मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट लागू नहीं होता था। मैं समझता हूं कि कारपोरेशन पर भी दूसरी संस्थाओं और प्राइवेट मोटर

बस ओनर्स की तरह मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट लागू होना चाहिये । इसलिये मैं समझता हूं कि दफा को हटा कर अच्छा काम किया जा रहा है ।

एक बात मैं और कहूंगा । कारपोरेशन कानून बनाने का उद्देश्य यही था कि जहां राज्य सरकार समझती है कि वह कम भाड़े में जनता के लिये एक यातायात की अच्छी सुविधा सुलभ कर सकती है वहां वह उस काम को कर सके । यह काम सिलसिले से चल सके इसके लिये कोआरडिनेशन की बहुत आवश्यकता है । मैं समझता हूं कि अभी रोड यातायात के मामले में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में ठीक ढंग से कोआरडिनेशन नहीं हो पाता है । एक कमेटी इस प्रश्न पर विचार करने के लिये बिठाई गई थी और उस की सिफारिशों पर सदन म बहस होने वाली है । लेकिन मैं कहूंगा कि जिस प्रकार कारपोरेशन बनाना जरूरी है उसी प्रकार इस यातायात का एक राज्य से दूसरे राज्य में कोआरडिनेशन होना भी उतना ही जरूरी है । इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जहां उन्होंने यह संशोधन करने वाला विधेयक रखा है ताकि कारपोरेशन के काम को बढ़ायें और कारपोरेशन का विकास करें, वहां इस बात का भी प्रबन्ध करें कि कारपोरेशन किस प्रकार चल रहे हैं इस विषय का संकेत समय समय पर हम को मिल सके ताकि हम को भी मालूम हो कि हमने कारपोरेशन्स के लिये जो कानून बनाया है उस पर राज्य सरकारें अच्छे ढंग से काम कर रही हैं ताकि हम को विश्वास हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं इस का समर्थन करता हूं ।

†**श्री राज बहादुर** : मैं इस विवाद के लिए सभा का कृतज्ञ हूं । मैं श्री त्यागी द्वारा उठाया गया प्रश्न लेता हूं । उन्होंने यह कहा है कि राज्य सरकारें राज्य परिवहन उपक्रम इत्यादि को निगमों का रूप देने को तैयार नहीं हैं । इसका कारण उन्होंने यह बताया है ऐसा करने पर उन्हें आय कर देना होगा ।

अध्यक्ष ने हमारा ध्यान संविधान के अनुच्छेद २८९ की ओर आकर्षित किया था और कहा था कि तब भी सरकार को कुछ कर लगाने की स्वतन्त्रता रहेगी । तथापि हमें यह बताया गया कि राज्य सरकारों द्वारा संचालित उपक्रमों पर कुछ कर लगाने के लिये संविधान २८९ (२) के अधीन हमें विशेष विधान बनाना होगा । प्रत्येक मामले में ऐसा करना सम्भव नहीं होगा । सम्भव है हम प्रत्येक राज्य के लिये पृथक् से ऐसे विधान बनायें या प्रति वर्ष उनमें संशोधन करें । इन उपक्रमों पर आय कर लगाने का एक लाभ यह भी होगा कि वे उपक्रम आयकर विधियों के अन्तर्गत आ जायेंगे । निस्सन्देह आय कर की दरों में कमी या वृद्धि होने से उपक्रमों आय पर भी प्रभाव पड़ेगा । हमें इस प्रश्न पर इस बात को ध्यान में रख कर विचार करना है कि हमें संविधान के अनुच्छेद २८९ के उपबन्धों के अनुसार इन विशेष उपबन्धों का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

कुछ राज्य सरकारों में परिवहन उपक्रमों के निगम बन चुके हैं और वे आय कर भी दे रहे हैं । अन्य राज्य विभागीय रूप से इनका संचालन कर रहे हैं । हम चाहते हैं कि विभिन्न राज्यों में इस प्रकार की भिन्नता दूर हो और सभी राज्यों में एक प्रकार के नियम और कानून लागू हों । अन्यथा जिन राज्यों में निगम बन गये हैं वे भी आय कर से छूट मांगेंगे और अपने परिवहन उपक्रमों को विभागीय रूप से चलाना चाहेंगे ।

हम दो कारणों से निगम बनाना चाहते हैं । हम यह चाहते हैं कि राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कोई भी उपक्रम व्यवसायिक पद्धति पर चलाया जाय । इससे कार्य क्षमता बढ़ती है और काम अधिक अच्छी तरह चलता है । इसलिये यदि हमारे निगम गैरसरकारी क्षेत्रों की प्रतिद्वंदिता में सफल रहना चाहते हैं तो उनको भी उसी ढंग से चलाया जाना चाहिये जिस प्रकार गैर सरकारी उपक्रम चलाये जाते हैं । हमने इस सम्बंध में योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से भी आग्रह किया

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राज बहादुर]

है। निस्संदेह यह पद्धति बहुत लोकप्रिय नहीं है और राज्य सरकारें अपना अधिकतम राजस्व अपने विकास कार्यों के लिये सुरक्षित रखना चाहती हैं। हम उन्हें समझाने का प्रयत्न कर सकते हैं लेकिन संविधान के अधीन हम उन्हें विवश नहीं कर सकते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: क्या माननीय मंत्री महोदय को यह पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश रोडवेज जिसका संचालन विभागीय रूप से किया जाता है वह देश के किसी भी निगम की तुलना में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

†**राज बहादुर** : मैं उत्तर प्रदेश रोडवेज के कार्य की प्रशंसा करता हूं लेकिन बम्बई परिवहन निगम का कार्य इसकी तुलना में किसी प्रकार घट कर नहीं है। प्रश्न यह है कि देश में एक रूप निगम होने चाहियें या नहीं और केन्द्र को किसी विशेष व्यवसायक उपक्रम से राजस्व प्राप्त करने को अधिकार है या नहीं।

वस्तुतः हम यह चाहते हैं कि परिवहन सेवाओं का क्रमशः राष्ट्रीयकरण किया जाय। यद्यपि इस आशय की घोषणा की जा चुकी है कि हम तीसरी योजना तक परिवहन सेवाओं का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे। रेलवे भी अपनी यात्री सेवायें बढ़ाना चाहते हैं और उनके पास ऐसी राष्ट्रीय योजनायें हैं जिनसे वह ऐसे उपक्रमों को सहायता देंगे। यदि वे ऐसी सहायता चाहते हैं तो उन्हें योजना आयोग द्वारा निश्चित प्रथाके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। इसलिये जब वे ऋण की मांग करते हैं तो हम उनसे निगम बनाने को कहते हैं। यदि वे ऋण लेकर भी निगम नहीं बनाते हैं तो वह नियम वाह्य कार्य करते हैं। वस्तुतः इस प्रश्न का निश्चय न होने के कारण सड़क परिवहन का कार्य अपेक्षित गति से नहीं रहा है।

श्री त्यागी ने कहा है कि यह आवश्यक नहीं होना चाहिये कि इन निगमों की लेखा परीक्षा महालेखा परीक्षक के द्वारा ही की जाय। उन्होंने कहा कि यह अधिकार राज्य उरकारों को दिया जाना चाहिये किन्तु महालेखा परीक्षक का यह कहना है कि यदि किसी परियोजना के लिये ऋण केन्द्र से दिया जाता है तो वहां उनका हस्तक्षेप होना अनिवार्य है। संसद् अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है इसलिये वह भी चाहेगी कि महालेखा परीक्षक इन निगमों के हिसाब किताब की जांच करें। इसी कारण इस विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है।

माननीय सदस्य ने यह कहा है कि निगम बनने पर नियुक्तियां करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में कुछ सुधार होगा। निस्सन्देह तथा कथित अनियमिताओं पर हमारा पूरा नियन्त्रण रहेगा। और कोई भी सदस्य संसद् में इस आशय का प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसी पक्षपातपूर्ण नियुक्ति क्यों की गई? निस्सन्देह हम सामान्य प्रकार के आरोपों पर विचार नहीं करेंगे। इन उपक्रमों पर राज्य विधान सभाओं और संसद् का नियन्त्रण रहेगा।

अब मैं श्री भरूचा द्वारा उठाये गये प्रश्नों को लेता हूं। श्री भरूचा ने यह कहा है कि यदि आप इन निगमों को पूंजी व्यय के लिये खुले बाजार में ऋण लेने की छूट देंगे तो इससे पूंजी बाजार पर बुरा असर पड़ेगा। इस प्रश्न पर वित्त मंत्री विचार करेंगे। उन्होंने मूल अधिनियम की धारा २२ और २९ का जिक्र किया है। धारा २२ के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि इसमें जो 'व्यवसायिक सिद्धान्त' शब्द आये हैं उनका तात्पर्य यह है कि पूंजी, सामग्री तथा कर्मचारियों आदि का अधिकतम लाभ उठाया जाय। धारा २९(१) में कहा गया है कि निगम राज्य सरकार के निदेशानुसार अवक्षयण तथा रक्षित निधि की व्यवस्था करेगा श्री भरूचा ने यह कहा है कि कोई ऐसा निश्चित सूत्र नहीं है जिसके अनुसार अवक्षयण अंश का निश्चिय किया जाय। यह बात धारा २९(१)के अनुसार राज्य सरकारें निश्चय करेंगी। मेरे विचार से तत्सम्बन्धी उपबन्धों और विशिष्ठ संशोधनों में कोई अस्पष्यता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यापक रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि रक्षित निधि में अवक्षयण का अंश निश्चित करने के लिये कुछ विशेष सिद्धान्त होने चाहिये । तथापि प्रत्येक उद्योग की आवश्यकतायें भिन्न होती हैं । इसलिये एकरूप सूत्र सब के जिये लाभकारी नहीं हो सकता है । राज्य सरकारों को समय समय पर प्रत्येक उद्योग का अंश निश्चित करना पड़ेगा । मेरे विचार से इस उपबन्ध से राज्य सरकारों को पर्याप्त शक्ति मिल जाती है इसलिये इसके सम्बन्ध में कोई द्विविधा नहीं है ।

उन्होंने इस बात पर सन्देह प्रगट किया है कि ये निगम कुछ लाभ कमा रहे हैं । उत्तर प्रदेश और बम्बई के सड़क परिवहन निगमों को लाभ हो रहा है और वे दोनों बहुत अच्छी सेवायें कर रहे हैं । उन्होंने यह भी कहा कि अधिक लाभ होने पर उसका उपयोग सड़क परिवहन के विकास में न लगाया जाय । उन्होंने ऐसे निगमों इत्यादि को पूंजी बाजार इत्यादि से सहायता लेने का विरोध किया है। इस प्रकार उन्होंने आन्तरिक और वाह्य दोनों प्रकार की वित्तीय सहायता का विरोध किया है । हमने इस विशेष उपबन्ध में यह व्यवस्था की है कि भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान देने के पश्चात् जो लाभ बचे, उसे उस राज्य के सड़क परिवहन के ही लाभ के लिये नहीं अपितु सड़क योजनाओं के लिये लगाया जाय तथापि इसमें पहिला अधिकार सड़क परिवहन उद्योग को ही मिलेगा । हम केवल यही अन्तर करना चाहते हैं । क्योंकि सड़क होने पर ही सड़क परिवहन का काम चलेगा । उन्होंने यह कहा है कि संसद् सदस्यों के लिये बसें बन्द कर दी गई हैं । मैं दिल्ली नगर निगम से यह निवेदन करूंगा कि वह संसद् सदस्यों से विनम्रता का व्यवहार करे ।

अब मैं श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा उठाये गये प्रश्नों को लेता हूं । उन्होंने यह कहा है कि हम राज्य सरकारों के सड़क परिवहन विभागों में सच्चाई और ईमानदारी लाने में सफल नहीं हुए हैं । मैं नहीं कह सकता हूं कि केन्द्र पर इस बात का कितना उत्तरदायित्व है रेलवे का परिवहन से विच्छेद होने के पश्चात् परिवहन मंत्रालय का संचालन एक उप-सचिव और दो अवर सचिवों के द्वारा होता है । केन्द्रीय सरकार के पास इस विभाग में ईमानदारी लाने और सारी अव्यवस्था और भ्रष्टाचार दूर करने के लिये केवल इतनी ही व्यवस्था है । तथापि श्री हरिश्चन्द्र तदर्थ समिति के सदस्य होने के कारण परिवहन विभाग की बारीकियों को खूब अच्छी तरह समझते हैं । मेरे विचार से संसद् जल्दी ही उक्त समिति के प्रतिवेदन पर विचार करेगी ।

तथापि मैं यह बता देना चाहता हूं कि वर्तमान संविधान के अधीन राज्य परिवहन विभागों पर हमारा अनुशासनात्मक और किसी अन्य प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं है । इसलिये हम राज्य परिवहन प्रशासनों इत्यादि पर का सुधार नहीं कर सकते हैं । इस सम्बन्ध में परमिट इत्यादि देने के बारे में काफी शिकायत सुनाई देती है । वस्तुतः हम ये बातें जानते हैं और इसी सम्बन्ध में सुधार करने के उद्देश्य से हमने एक समिति नियुक्त की थी कि वह इस सम्बन्ध में सुझाव देवें कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन किस प्रकार किया जाय । जब हमें उस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होगा तो हम इस दृष्टिकोण से उस पर विचार करेंगे कि उससे संगठन में इस प्रकार का सुधार किस प्रकार किया जा सकता है कि जिससे उनके द्वारा बताई गई समस्याओं का हल हो सके । उन्होंने खंड ५ का जिक्र किया है खंड ५ का आशय यह है कि निगम केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों की स्वीकृति लेकर खुले बाजार से पूंजी व्यय के लिये ऋण प्राप्त कर सकती है । उन्होंने इस सम्बन्ध में यह कहा है कि पूंजी व्यय के लिये ऋण लेने की स्वीकृति देने के लिये राज्य सरकारों को पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये । केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेना इस सम्बन्ध में अनावश्यक है । इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि राज्य सड़क परिवहन के विकास और सड़कों के राष्ट्रीयकरण के लिये योजना आयोग से ऋण लेते हैं । इस लिये केन्द्रीय सरकार इस बात पर काफी दिलचस्पी रखती है । इसलिये केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। इसके साथ साथ हमें कार्यकारी पूंजी और पूंजी व्यय का भेद भी जानना चाहिये। वर्तमान धारा, निगमों को राज्य सरकारों की स्वीकृति से कार्यकारी व्यय के लिये खुले बाजारों से ऋण लेने

[श्री राज बहादुर]

का अधिकार देती है तथापि पूंजी व्यय के लिये केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक समझा गया है। इस प्रकार श्री भरूचा द्वारा उठाये गये प्रश्न पर भी कुछ अंश तक विचार किया गया है।

विकास के सम्बन्ध में उन्होंने यह प्रश्न उठाया है कि केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण क्यों आवश्यक समझा गया है। जो बातें मैंने ऊपर कही हैं उनसे इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जायेगा।

धारा ६ के सम्बन्ध में जिसके स्थान पर विधेयक का खण्ड २ रखा गया है उन्होंने यह कहा है कि मुख्य कार्यपालिका अधिकारी और महाप्रबन्धक को निगम में क्यों शामिल किया गया है। अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि उनकी टैक्नीकल सहायता निगम के लिये अनिवार्य हो जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि हम निगम की सदस्यता के द्वार इनके लिये बन्द कर देवें। वस्तुतः निगमों की सलाह के आधार पर ही हमने इस बात की व्यवस्था रखी है। वे बैठक में उपस्थित हो सकते हैं अपना मत व्यक्त कर सकते हैं और मतदान भी कर सकते हैं। श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने जो बात कही है उसके आधार पर अधिक से अधिक उनसे मत दान का अधिकार वापस लिया जा सकता है। अतः उनके मतदान का अधिकार छीनने से क्या लाभ होगा। कभी कभी निगम में ऐसे भी सदस्य आ सकते हैं जो स्वयं मुख्य कार्यपालक या महाप्रबन्धक बनने के योग्य हों। अतः उनके लिये दरवाजे बन्द करना ठीक नहीं है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि जब स्वयं संचालक या प्रशासक बैठक में सदस्य के रूप में उपस्थित होंगे तो सदस्यों को अपना मत व्यक्त करने में स्वतन्त्रता नहीं रहेगी। यदि आप भागीदारी प्रारम्भ करना चाहते हैं तो आप श्रम मंत्री द्वारा विकसित योजना को क्रियान्वित करें।

†**श्री राज बहादुर** : यदि इस सिद्धान्त का आधार लिया जाय तो मंत्री महोदय की उपस्थिति से भाषणों की स्वतन्त्रता में बाधा होनी चाहिये। क्योंकि वह मंत्रालय के कार्य के लिये उत्तरदायी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार मुख्य कार्यपालिका अधिकारी की उपस्थिति से भाषणों में कोई प्रभाव नहीं होगा। श्री ब्रजराज सिंह ने कहा है कि मंत्री लोग कभी बसों में सफर नहीं करते हैं। वस्तुतः हमें भी बसों में सफर करना पड़ता है।

श्री सिंहासन सिंह, श्री त्यागी और श्री श्रीनारायणदास इत्यादि ने पासों की सुविधा के सम्बन्ध में कहा है। यह सुविधा कोई नई नहीं है। यह सुविधा इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन अपने कर्मचारियों को भी प्रदान करती है। बहुत पहिले से ही यह सुविधायें रेलवे अपने कर्मचारियों को प्रदान करती रही है। यही सुविधायें हम परिवहन उपक्रमों के कर्मचारियों को भी प्रदान कर रहे हैं। अतः इस के प्रति किसी प्रकार की ईर्षा का कारण नहीं होना चाहिये। हम आज कल समय समय पर सामान्य श्रमिकों का स्तर ऊंचा करना चाहते हैं और जब समय समय पर अधिक सुविधाओं और अच्छी सेवा शर्तों की मांग दुहराई गई है तो यह सुविधा देनी ही होगी। जहां तक परिवार के लिये पासों का संबंध है यदि रेलवे में ऐसे पास दिये जाते हैं तो सड़क परिवहन के कर्मचारियों को भी दिये जायेंगे। यह अधिकार धारा ४५ में दिया गया है इस धारा का आशय यह है कि निगम राज्य सरकार की अनुमति से, प्रशासन के संचालन के लिये ऐसे नियम बनायेगा जो कि अधिनियम तथा उस के अधीन बनाये गये नियमों के विपरीत नहीं होंगे। पास जारी करने तथा उस के नियंत्रण तथा वापिसी इत्यादि के सभी नियम इसी धारा के अधीन बनेंगे। राज्य सरकारों को उन नियमों को भंग करने और उन पर

†मूल अंग्रेजी में

नियंत्रण रखने का पूरा अधिकार है। राज्य सरकारें विधान सभाओं के प्रति उत्तरदायी रहेंगी। इस संबंध में वस्तुतः कोई खतरा नहीं है मैं आप को विश्वास दिला सकता हूं कि राज्य सरकारें केवल उन्हीं व्यक्तियों के पास की सुविधायें प्रदान करेंगी जो इस के सच्चे अधिकारी होंगे। यदि वे इस अधिकार का मनमाना उपयोग करेंगे तो उन्हें जनता के क्षोभ का भाजन बनना होगा। मेरे विचार से इस प्रकार का नियंत्रण तत्संबंधी भ्रमों को दूर करने के लिये पर्याप्त होगा।

राज्य सरकारों द्वारा परमिट दिये जान के सम्बन्ध में अनियमिताओं और भ्रष्टाचार का जिक्र श्री राधे लाल जी ने किया है। हमें इन शिकायतों का पता है और हम राज्य सरकारों को इस बात का पूरा प्रयत्न करेंगे कि राज्य सरकारें अपने संगठनों में सुधार करें।

मैं इस बात से सहमत हूं कि सड़क निर्माण, सड़क परिवहन और सड़कों की मरम्मत से बहुत अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है। हम तीसरी योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस संभावना का उपयोग देश की बेकारी को दूर करने में किया जाय।

सरदार इकबाल सिंह ने यह कहा है कि राज्यों से निगम बनाने को कहा जाय। तथा जिन राज्यों में दो तीन निगम हों उन्हें मिला कर एक संगठन बनाने को कहा जाय। मैं सिद्धान्त रूप से उन की बातों से सहमत हूं हम राज्य सरकारों को इस बात पर राजी करने का प्रयत्न करेंगे।

उन्होंने निगमों की उधार लेने की नीति का भी जिक्र किया है। संभव है निगमों को खुले बाजार से बिल्कुल भी ऋण न मिले। मेरे विचार से अनुभव के साथ साथ उन के ज्ञान में वृद्धि होगी तथापि इस अधिकार के दुरुपयोग का कोई खतरा नहीं है। श्री श्रीनारायण दास ने कहा है कि ये निगम विधान सभाओं को अपना बजट प्रस्तुत नहीं करते हैं। मूल अधिनियम में एक ऐसी धारा है जिस के अनुसार निगमों को राज्य सरकारों को अपना बजट प्रस्तुत करना चाहिये। संभव है इस बात को अनिवार्य बनाने के लिये कि राज्य सरकारें राज्य विधान सभाओं में अपना बजट प्रस्तुत करें हमें विधान में थोड़ा संशोधन करना होगा। मैं इस संबंध में यही कहना चाहता हूं कि हम इस बात को ध्यान में रखेंगे। मेरा विचार है कि राज्य सरकारें वर्तमान अधिनियम में बिना किसी उपबन्ध को रखे हुए भी ऐसा करेंगी और यदि चाहें तो वे बजट प्रस्तुत कर सकती हैं।

मैं आशा करता हूं कि मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विभिन्न प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। मैं विधेयक को विचारार्थ सभा में प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि सड़क परिवहन निगम अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक पर कोई संशोधन नहीं है, इस लिये मैं सारे खंडों को एक साथ मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से १३, अधिनियमन सूत्र, और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय]

खंड १ से १३, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†श्री राज बहादुर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

काम दिलाऊ दफ्तर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) विधेयक

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि काम दिलाऊ दफ्तरों को रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना दिये जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य बताते हुए मैं यह निवेदन करता हूं कि यह विधेयक बहुत सादा है किन्तु इस के द्वारा जो कार्यवाही की जायेंगी उन से निश्चय ही बहुत लाभ होगा । उन का बहुत व्यापक प्रभाव होगा । निश्चय ही श्रम वर्ग के लिये वे बहुत सहायक होंगी तथा साथ ही उद्योगों के लिये भी । माननीय सदस्यों तथा देश की जनता में बेकारी की समस्या के प्रति जो भावना है उस को ध्यान में रखते हुए मैं बता देना चाहता हूं कि इन कार्यवाहियों के द्वारा इस दिशा में भी सहायता मिलेगी । अर्थात् जन शक्ति को सुयोजित करने और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रविधिक सुविधाओं के आयोजन में ।

इस प्रस्ताव के प्रारम्भिक इतिहास से सभा को जानकारी कराने के लिये मुझे समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख करना होगा । यह प्रतिवेदन प्रशिक्षण तथा रोजगार सेवा संगठन समिति का है । इस समिति के अध्यक्ष संसद् सदस्य श्री शिव राव थे, और समिति के निर्देश पदों में से एक पद इस बात पर विचार करना था कि क्या कोई ऐसा विधान बनाना चाहिये जिस के अनुसार उद्योगों में और कम से कम बड़े उद्योगों केन्द्रों में कर्मचारियों की भर्ती काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा अनिवार्य रूप से की जाये । समिति ने इस पर काफी विचार किया और इस के बारे में व्यापक जांच पड़ताल की और उस के बाद इस प्रतिवेदन के एक अंश में अपने निर्णय दिये । ये निर्णय दो बातों से सम्बन्धित हैं । एक तो गैर-सरकारी उद्योगों में उन दिनों की जाने वाली भर्ती की व्यवस्था के बारे में है । समिति ने गैर-सरकारी उद्योगों द्वारा उन दिनों की जाने वाली भर्ती के स्तर, कुशलता तथा भर्ती के ढंग के बारे में मूल्यांकन किया है । उस के बाद गैर-सरकारी उद्योगों द्वारा काम दिलाऊ दफ्तरों के उपयोग करने के बारे में समिति ने अपने निष्कर्ष दिये हैं ।

जहां तक कि पहली बात है समिति के निष्कर्षों का उल्लेख संक्षेप में किया जा सकता है । गैर-सरकारी उद्योगों में इस बारे में जो स्थिति वर्तमान है उस से समिति सन्तुष्ट नहीं है । हालांकि उस समय भी और अब भी कुछ गैर सरकारी संस्थान ऐसे हैं जिन के यहां भर्ती के तरीके काफी अच्छे हैं, किन्तु समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अधिकांशतः नियोजक और विशेष रूप से छोटे औद्योगिक संस्थान, तथा निर्माण-कार्य करने वाले संस्थानों में भर्ती का ढंग वैज्ञानिक नहीं है वे कर्मचारियों की भर्ती के लिये या तो अपने अभिकर्ताओं पर निर्भर करते हैं अथवा कारखानों और निर्माण कार्य स्थानों पर

---

†मूल अंग्रेजी में

एकत्रित होने वाले कर्मचारियों में से ही रूप से कर लेते हैं। इस प्रकार की जाने वाली भर्ती के ढंग कुशल सेवा के सूचक न हो कर संरक्षण और काम देने की भावना के ही द्योतक हैं। यह नियोजकों पर समान रूप से लागू न हो कर विभिन्न रूप में ही लागू होती है। यही एक निष्कर्ष था जो कि अन्य निष्कर्षों तक पहुंचने में, कि भर्ती के लिये काम दिलाऊ दफ्तरों का उपयोग किया जाये, सहायक हुआ।

समिति ने १९४९ से १९५३ तक के आंकड़ों का अध्ययन किया और इस निर्णय पर पहुंचा कि गैर-सरकारी उद्योगों के कुल रिक्त स्थानों में से काम दिलाऊ दफ्तरों को पहले दो वर्षों में ४२ और ५७ प्रतिशत स्थानों की सूचना दी गई जब कि पिछले वर्षों में यह संख्या घट कर ३५.३ प्रतिशत रह गई। यह सूचना इस प्रतिवेदन में दी हुई है। और इस सांख्यकीय सामग्री के आधार पर वे इस निर्णय पर पहुंची कि :—

> "काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा किये जाने वाले कुल कार्य में गैर-सरकारी उद्योगों का अंशदान काफी प्रभावकारी है हालांकि गैर-सरकारी उद्योगों में होने वाले कुल रिक्त स्थानों में से उन्होंने बहुत थोड़े अंश के लिये ही इन का उपयोग किया था।"

अर्थात्, गैर-सरकारी उद्योगों के कुल रिक्त स्थानों और सूचना दी गई संख्या का अनुपात यह है। इस बात को ध्यान में रखते कि कुल नियोजन में सरकारी उद्योगों के अंशदान की अपेक्षा गैर-सरकारी उद्योगों का अंशदान काफी अधिक है। यह तथ्य पूर्णतः यह प्रकट नहीं करता कि वे, उस समय, काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा भेजे गये व्यक्तियों का बहुत कम उपयोग करते थे।

ये ही निष्कर्ष थे और इसी आधार पर कार्यवाही करने के लिये उन्हों ने सिफारिश की। और उन की सिफारिशें संक्षेप में निम्न हैं :—

> "हालांकि, इस समय, हम ने यह सिफारिश नहीं की है कि गैर-सरकारी नियोजक अनिवार्य रूप से काम दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा भर्ती करें, हम तो यही सिफारिश करते हैं कि वे अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों, बहुत थोड़े समय के लिये की जाने वाली भर्ती, और पदोन्नति के द्वारा पूर्ति किये जाने वाले स्थानों को छोड़ कर शेष सभी स्थानों की सूचना अनिवार्य रूप से काम दिलाऊ दफ्तरों में दें।"

मैं ने यह जानकारी इस विषय से सम्बन्धित समिति के प्रतिवेदन में से दी है और इस विधेयक के सादे उपबन्धों की वास्तविक विस्तृत व्याख्या है।

किन्तु मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि समिति के प्रतिवेदन के पश्चात् से स्थिति, अर्थात् काम दिलाऊ दफ्तरों की सेवाओं का उपयोग, और भी खराब हो गई है।

मेरे पास हाल के आंकड़े हैं। समिति ने अपना प्रतिवेदन १९५३ में दिया था, और गैर-सरकारी उद्योगों द्वारा रिक्त स्थानों की दी गई सूचना के आंकड़े निम्न थे :—

१९५३	८६,८१८
१९५४	६९,०००
१९५५	७०,०००
१९५६	७८,०००
१९५७	४७,०००
१९५८	४८,०००

[उपाध्यक्ष महोदय]

हालांकि रोज़गार देने की मात्रा बढ़ी है किन्तु-गैर सरकारी उद्योगों द्वारा रिक्त स्थानों को दी गई सूचना की संख्या में कमी हुई है। वास्तव में मैं यह जानना चाहता था कि गैर-सरकारी उद्योगों तथा सरकारी उद्योगों द्वारा काम दिलाऊ दफ्तरों के उपयोग करने में क्या सम्बन्ध है।

अन्तिम रूप में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि प्रतिमास औसतन १,८६,००० व्यक्तियों का पंजीयन होता है। और सूचना दिये गये स्थानों की संख्या सरकारी क्षेत्रों से २८,००० प्रतिमास तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में ४,००० है। अर्थात् यह अनुपात १४ प्रतिशत का है, जबकि पहले यह ५० प्रतिशत और बाद के आंकड़ों के अनुसार लगभग ४० प्रतिशत था। अतः इस दृष्टि से स्थिति खराब हो गई है।

जब हम इस दृष्टि से देखते हैं कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के रोजगार की कुल मात्रा की दृष्टि से इसकी संख्या क्या हो सकती है तो हमें पता चलता है कि गैर-सरकारी संस्थानों के द्वारा दी गई सूचना की संख्या ५ प्रतिशत के लगभग आती है। वास्तव में देखा जाये तो यही वे आंकड़े हैं जिनके आधार पर इस प्रकार के विधान की आवश्यकता के बारे में तै करना है। अगर इन संस्थानों में से ६० प्रतिशत संस्थान इन दफ्तरों की सेवाओं का उपयोग करते होते तो यह प्रश्न इस रूप में न उठता। किन्तु अब स्थिति तो यह है कि केवल ५ प्रतिशत सेवाओं के लिये ही इनका उपयोग किया जाता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि हमने काम दिलाऊ दफ्तरों की व्यवस्था की है वे बहुत वर्षों से कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पूर्ण सन्तोष न दे पाते हों किन्तु यह बात सभी मानते हैं कि ये इन दफ्तरों की आवश्यकता है, और देश के आर्थिक ढांचे और नियोजकों तथा कर्मचारियों के हित की दृष्टि से इनकी आवश्यकता है। इस बात को कोई अनंगीकार नहीं कर सकता।

इन दफ्तरों की सेवा की आवश्यकता सभी को मान्य है। हमने बहुत से काम दिलाऊ दफ्तरों की स्थापना की है। ३२० जिले हैं जिनमें से २१६ जिलों के मुख्यालयों में काम दिलाऊ दफ्तर हैं और काम दिलाऊ दफ्तरों की कुल संख्या २३१ है। हमारा विचार है कि आगामी दो या तीन वर्षों में इन दफ्तरों की संख्या बढ़ जायेगी और हम आशा करते हैं कि कुछ समय के दौरान में प्रत्येक जिले में एक एक काम दिलाऊ दफ्तर हो जायेगा। इसके अतिरिक्त हम सोच रहे हैं, सोच क्या, उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कि जनता को इस प्रकार के काम दिलाऊ दफ्तरों की आवश्यकता है, ऐसा प्रबन्ध करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन काम दिलाऊ दफ्तरों पर हम काफी रुपया व्यय कर रहे हैं। वहां सुव्यवस्था है। और वे आज जितना कार्य कर रहे हैं उसकी अपेक्षा बहुत अधिक कार्य कर सकते हैं।

मैं ने अनुमान लगाया है कि इन काम दिलाऊ दफ्तरों को आज जितने रिक्त स्थानों की सूचना दी जाती है यदि वह बढ़ कर इसका चार गुना हो जाती है, जैसा कि इस विधान के परिणामस्वरूप आशा है, तो भी इन दफ्तरों पर होने वाले हमारे व्यय में इसे ५ प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं होगी। अतः ३ से ५ प्रतिशत व्यय वृद्धि के परिणामस्वरूप इन दफ्तरों का उपयोग ४ गुना बढ़ जायेगा। यह भी एक कारण है जिसके कारण हम इस विधेयक को सभा के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

जैसा कि मैंने कहा था कि यदि माननीय सदस्य इस विधेयक को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि इसमें बहुत कम उपबन्ध हैं। विशेष बात यह है कि यह अनिवार्य किया जा रहा है कि इस विधेयक के लागू हो जाने के पश्चात्, उस तिथि से, सरकारी क्षेत्रों के प्रत्येक संस्थान के नियोजक, उस संस्थान

में किसी भी रिक्त स्थान की पूर्ति करने से पूर्व, इन निर्धारित काम दिलाऊ दफ्तरों को उन रिक्त स्थानों की सूचना देगा । और जहां तक कि गैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है सम्बन्धित सरकार यह अधिसूचना जारी कर सकती है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक संस्थान का नियोजक अथवा किसी भी श्रेणी का नियोजक अपने संस्थान में किसी भी रिक्त स्थान की पूर्ति करने से पूर्व उस रिक्त स्थान की सूचना निर्धारित काम दिलाऊ दफ्तर को देगा । इस उपबन्ध का यह मूलतत्व है । यही मुख्य उद्देश्य है अर्थात् अपने यहां होने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पूर्व उसकी सूचना अनिवार्य रूप से काम दिलाऊ दफ्तरों को दें ।

साथ ही साथ यह भी उपबन्ध है कि नियोजक निर्धारित समय पर यह बताने वाला रिटर्न भेजेंगे कि कितने रिक्त स्थान हुए ताकि प्रशासन इस बात की जांच कर सके कि अनिवार्य रूप से सूचना देने वाले नियम की अवहेलना तो नहीं हुई । रिक्त स्थानों की सूचना देने का कार्य महत्वपूर्ण परिणाम देने वाला है । सबसे पहले तो नियोजक को यह लाभ होगा कि कर्मचारियों के चयन के लिये उसे व्यापक क्षेत्र मिलेगा । आजकल तो यह होता है कारखानों पर नौकरी की खोज में आने वाले कर्मचारियों में से ही उन्हें छांटना पड़ता है । अब उन्हें चयन के लिये विस्तृत क्षेत्र मिल जाना सम्भव होगा । अब उन व्यक्तियों के नाम भी मिल सकेंगे जो कारखानों पर नौकरी की तलाश में नहीं आ पाते और उनमें से सबसे अच्छे व्यक्तियों का चयन किया जा सकता है । विस्तृत क्षेत्र मिल जाने के कारण चयन की गुणिता में भी सुधार हो जाना चाहिये । कर्मचारियों की दृष्टि से भी उन्हें रोजगार के समान विभाजित अवसर मिलेंगे । फिर यह आवश्यक नहीं होगा कि एक व्यक्ति को रोजगार के लिये सुबह से शाम तक जगह जगह भटकता रहना पड़े । अपना नाम अपनी योग्यता आदि पंजीयन करा देना ही काफी होना चाहिये और उसके बाद सुनिश्चित हो जाना चाहिये कि अन्य व्यक्तियों के साथ साथ उसका भी ध्यान रखा जायेगा । उद्योग और कर्मचारियों की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी ।

जहां तक कि दूसरी बातें हैं, रिटर्न देने से, इस बात की सुनिश्चितता हो जाने के अतिरिक्त कि विधान उपयुक्त रूप से क्रियान्वित हुआ है, अन्य महत्वपूर्ण बातें भी होंगी । यह जनशक्ति को सुयोजित करने और प्रशिक्षण व्यावसायिक आदि के सुप्रबन्ध करने में सहायता देगा । इन्हीं सब व्यावहारिक बातों को दृष्टि में रख कर हमने यह विधेयक प्रस्तुत किया है ।

कुछ लोगों ने इस के बारे में आपत्तियां की हैं, हमने उनकी जांच की है और इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि इसके तथा इस विधेयक के क्षेत्र के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं । अगर उनको इस विधेयक का उद्देश्य तथा इसके क्षेत्र की जानकारी होती तो उनको यह कठिनाई न होती । उनकी भ्रान्ति यह है कि मानों यह विधेयक सरकार को यह अधिकार देता है कि सरकार नियोजकों को इस बात के लिये बाध्य करेगी कि केवल उन्हीं व्यक्तियों की भर्ती की जाये जिनके नाम काम दिलाऊ दफ्तर ने भेजे हैं । यह बाध्यता तो काम दिलाऊ दफ्तरों को केवल रिक्तस्थानों की सूचना देने के लिये है । काम दिलाऊ दफ्तर से आने वाले नामों पर नियोजक विचार कर सकते हैं । किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि नियोजक काम दिलाऊ दफ्तर से आने वाले नामों तक ही सीमित रहेंगे । उन लोगों की आपत्ति है कि कहीं ऐसा न हो कि बात इससे भी आगे बढ़ जाये । हमारा विश्वास है कि इससे स्थिति में काफी सुधार होगा । समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह पग उठाने का सुझाव दिया है । इस समय उन्होंने यही कहा है कि नियोजक अनिवार्य रूप से सूचना दे उनको इस बात के लिये बाध्य नहीं किया जाता कि वे केवल काम दिलाऊ दफ्तर से भेजी गई सूची में से ही अनिवार्य रूप से चयन करें ।

मैं ने इस विधेयक की महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख कर दिया है और आशा करता हूं कि सभा इसे स्वीकार करेगी

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†श्री त्यागी (देहरादून) : मेरा निवेदन है कि इस विधेयक का उद्देश्य बहुत ही अच्छा है । काम दिलाऊ दफ्तरों का उद्देश्य सरकारी, तथा सार्वजनिक और गैर-सरकारी क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति करना था । अगर काम दिलाऊ दफ्तर उतने अच्छे बन जाते जितना कि उन्हें होना चाहिये तो यह अच्छा होता । किन्तु मुझे डर है कि यह विधेयक इस क्षेत्र में अधिक सहायता नहीं करेगा । मेरा विचार था कि माननीय मंत्री महोदय इस बात की जांच करते कि काम दिलाऊ दफ्तर नियोजकों को अपनी ओर क्यों नहीं आकर्षित कर सके, नियोजक इनका सदुपयोग क्यों नहीं कर पाये । इसका कुछ न कुछ कारण होगा । क्या इसकी उपयुक्त जांच की गई । मेरा विचार है कि इसकी जांच नहीं की गई अगर जांच की गई होती तो माननीय मंत्री महोदय लोगों को आकर्षित करने के लिये ठोस सुझाव रखते और इन दफ्तरों की वर्तमान कार्य प्रणाली में कुछ सुधार सुझाते । मेरा विचार है कि अनिवार्य रूप से सूचना देने का उपबन्ध करने की अपेक्षा इन दफ्तरों को आकर्षक बनाना चाहिये ताकि लोग स्वत: ही इनकी ओर आयें ।

हमें इस समय अपने देश में श्रमिकों की जो स्थिति है उसकी जांच करनी चाहिये । मेरा विचार है कि उनकी स्थिति बिगड़ गई है । हो सकता है कि माननीय मंत्री इस पर विश्वास न करें । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री को प्रशासन की बुराइयों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये बनिस्बत इसके कि वे इनका पक्ष लें । इन काम दिलाऊ दफ्तरों की क्रिया प्रणाली के बारे में आम लोगों को शिकायत है । आज इन दफ्तरों के द्वारा व्यक्तियों का अपना नाम आगे भिजवाने के लिये कुछ न कुछ पैसा देना पड़ता है । यही इन दफ्तरों की असफलता का कारण है । मेरा विचार है कि ये दफ्तर उस ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं जिस ढंग से कि पोस्ट आफिस करते हैं । अत: इन दफ्तरों को आकर्षक बनाना है । प्रत्येक व्यक्ति को यहां अपने लाभ के लिये आना चाहिये । नियोजक को यह अधिक लाभदायक होना चाहिये ताकि वे इनके द्वारा अच्छे व्यक्ति पा सके । इस विधेयक के द्वारा यह अनिवार्य किया जा रहा है कि प्रत्येक संस्थान जहां पच्चीस से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं वे रिक्त स्थानों की सूचना इन दफ्तरों को दें और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसे ५००) तक का जुर्माना देना होगा । यही अनिवार्यता है । उसे रिक्त स्थानों की अनिवार्य रूप से सूचना देनी होगी । उसे अनिवार्य रूप से, सरकार द्वारा बाद को बनाये जाने वाले नियमों और विनियमनों के अनुसार भर्ती करनी है । उसे इन नियमों का पालन करना है तथा जबरदस्ती काम दिलाऊ दफ्तरों तक जाना है । लेकिन ऐसा क्यों हो ? उसे छूट रहनी चाहिये । ऐसी स्थिति में, जबकि नियोजक के पास अपना आदमी है, काम दिलाऊ दफ्तरों से भेजी गई सूची से क्या लाभ । अत: इस प्रार का उपबन्ध नियोजक की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करता है । मेरा विचार है कि इस प्रकार की अनिवार्यता कठिनाई उत्पन्न करेगी और उससे कुछ अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे । अत: मेरा सुझाव है कि आप इस पर फिर से विचार करें और ऐसा उपाय करें ताकि नियोजक यह अनुभव करे कि वह इनके द्वारा अच्छे व्यक्ति पा सकता है ।

सूचना देने के अलावा नियोजक को अपने रजिस्टर आदि भी दिखाने पड़ते हैं । यह ठीक है । हालांकि वैयक्तिक स्वतंत्रता में यह थोड़ा सा हस्तक्षेप है किन्तु फिर भी श्रम मंत्रालय को देश के रोज़गार के सम्बन्ध में कुछ जानकारी होनी चाहिये । अगर आप का कार्यक्रम इस मुंहफैलाये बेरोजगारी को दूर करना है तो आप के पास कुछ आंकड़े आदि की जानकारी होनी चाहिये और वह इसी प्रकार संभव है । अत: उस के लिये विवरण आदि मांगना ठीक भी है लेकिन यह अनिवार्य करना कि वह रिक्त स्थान सम्बन्धी अपनी सभी आवश्यकतायें आप को बतायें समझ में नहीं आई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आप कह सकते हैं कि सरकार का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है और इसलिये आवश्यक है कि वह सब कुछ जाने और प्रत्येक नियोजक को इन दफ्तरों के द्वारा व्यक्ति लेने चाहियें, अतः वह इन को सूचना दे, लेकिन मुझे डर है कि आप इसे क्रियान्वित नहीं कर सकते। जैसा कि आजकल लोग सूचना नहीं देते, तो मेरा विचार है कि आप इतने वृहद् रूप में लोगों पर मुकद्दमे नहीं चला सकते। तो फिर आप यह दायित्व अपने ऊपर क्यों लेते हैं। अगर आप इतने शक्तिशाली हैं और समझते हैं कि वास्तव में आप उन के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं तो निश्चय ही सरकार में सुधार होगा और वह तरक्की भी करेगी। किन्तु आज देश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि आप कठोर कार्यवाही नहीं कर सकते। विधान बनाना तो आसान है लेकिन उसे क्रियान्वित करना बडा कठिन है। अतः इसे क्रियान्वित करने की कठिनाई आप के सामने आयेगी।

खंड ४(४) के अनुसार हम देखते हैं सरकारी कारपोरेशन भी इन दफ्तरों के द्वारा भेजे गये नामों को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं हैं। तो फिर इन दफ्तरों की क्या आवश्यकता है।

अतः मेरा निवेदन है कि आप सारी स्थिति पर फिर से विचार करें। मेरा विचार है कि नाम पंजीयन करना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आगे भेज देना और कुछ नहीं केवल पोस्ट आफिस जैसा कार्य है। अतः मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री संसद से कहें कि वह उन्हें अधिक धन दें ताकि वे दफ्तर में लोगों को नौकरी दिलाने में सहायक हो सकें। आप को अपनी बिसात से बाहर काम करना चाहिये : पदाधिकारी काम ढूंढे और लोगों को नौकरी दिलायें, सिफारिश करें और तभी वे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। मेरा यह सुझाव अव्यावहारिक है, इसीलिये शायद आप इसे अस्वीकार कर दें लेकिन प्रायः जनता इसे पसन्द करेगी।

मेरा निवेदन है कि सरकारी क्षेत्रों में, दफ्तरों द्वारा भेजे गये नामों को महत्व मिलना चाहिये। कम से कम सरकारी संस्थानों को तो इन नामों को अस्वीकार करने में इतनी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिये जितनी कि गैर सरकारी संस्थानों को है। मेरा निवेदन है कि आप इस पर विचार करें।

अतः मेरा निवेदन है कि गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा रिक्त स्थानों की केवल सूचना देने भर से तो समस्या हल नहीं होती। मेरा सुझाव है कि हमें सारी श्रम व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिये।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : १९५२ में सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी जिस का नाम प्रशिक्षण तथा रोजगार सेवा संगठन समिति रखा गया था। श्री शिव राव उसके अध्यक्ष थे। २८ अप्रैल, १९५४ को इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। परन्तु गत पांच वर्षों में इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। इतने समय के बाद अब सरकार इस बारे में कुछ करने जा रही है। यह एक अच्छा विधान है। परन्तु यह विधान जम्मू और काश्मीर पर लागू नहीं होगा, यह भेदभाव वाली बात मुझे पसन्द नहीं आई। यह मामला तो विवादस्पद नहीं है कि इसे वहां लागू करने में कोई रुकावट हो।

इस के अतिरिक्त प्रवीण और अप्रवीण श्रमिकों में भी भेद भाव किया गया है। अप्रवीण श्रमिकों में बेकारी का रोग बहुत अधिक भयानक अवस्था में है। इन के बहुत बड़े भाग को इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं लिया गया। समिति का जो प्रतिवेदन १९५४ में प्रकाशित हुआ, उस में सांख्यकीय सर्वेक्षण भी किया गया था और विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों से आंकड़े प्राप्त किये गये थे। उस के अनुसार अक्तूबर १९५२ से सितम्बर १९५३ तक काम दिलाऊ दफ्तरों में १४,५२,३६८ लोगों ने अपने नाम दर्ज करवाये, उस में से ८,२७,५०० अप्रवीण श्रमिक थे। इस प्रकार यह लोग

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० के० देव]

कुल संख्या के लगभग ५७ प्रतिशत फैलते हैं। परन्तु वास्तविक स्थिति इस वर्ग में इस से भी अधिक खराब है। ठीक ठीक स्थिति का पता न लग सकने के तीन कारण हैं। प्रथम यह कि काम दिलाऊ दफ्तरों की संख्या बहुत कम है। दूसरे अप्रवीण लोगों के लिये दूर दूर स्थित इन दफ्तरों में पहुंचना भी कठिन है। तीसरी बात यह है कि जनता में इन दफ्तरों के लिये कुछ विशेष विश्वास का भी निर्माण नहीं हो पाया। ऐसा भी हुआ है कि इन दफ्तरों में नाम दर्ज पड़े रहते हैं परन्तु लोगों की भर्ती सीधे ही हो जाती है। परिवार पोषण और पक्षपात काफी किया जाता है। यही कारण है कि काम दिलाऊ दफ्तर लोगों में कुछ लोकप्रिय हो नहीं पाये।

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् पीठासीन हुए]

वैसे ही रोजगार के अवसर बहुत ही कम हैं, हों भी तो काम दिलाऊ दफ्तरों से पूछे बिना भर्ती कर लेना ठीक नहीं होता। इस से लोगों में निराशा फैलती है। इस विधान द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया है कि प्रत्येक प्रकार की भर्ती काम दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा ही होनी चाहिये। यह बहुत अच्छी बात है. परंतु मेरा निवेदन यह है कि प्रवीण और अप्रवीण में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये।

विभिन्न दिशाओं से यह बात उठी थी कि काम दिलाऊ दफ्तरों को संतुलित रूप में सारे देश में स्थापित किया जाना चाहिये। और देश का कोई भी क्षेत्र रोजगार सम्बधी अवसरों से वंचित नहीं रहना चाहिये। बड़े बड़े उद्योगों का विकेंद्रीकरण भी पिछड़े हुए क्षेत्रों में अवश्य होना चाहिये। उड़ीसा में रोजगार की स्थिति बहुत खराब है ; योजना आयोग का कहना है कि वहां औद्योगीकरण को प्राथमिकता दी जाय। इसी कारण वहां इस्पात का कारखाना खोला गया है। १९५८ में मैं रूरकेला गया था। वहां के काम दिलाऊ दफ्तर में ३६,००० लोगों ने अपने नाम दर्ज करवाये। वहां उस समय १७,००० स्थायी कर्मचारी थे। परन्तु काम दिलाऊ दफ्तर से परामर्श करने की किसी ने कोई आवश्यकता नहीं समझी। इस से वहां के स्थानीय लोगों में काफी असन्तोष है। उन लोगों ने प्रदर्शन इत्यादि भी किये, राज विधान मंडल में भी मामला उठाया गया और अन्ततोगत्वा बिहार सरकार ने सारे मामले की जांच कर के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि स्थानीय लोगों के हितों की काफी उपेक्षा की गई है और जहां योग्य स्थानीय लोग उपलब्ध थे भी उन्हें नहीं लिया गया। काम दिलाऊ दफ्तरों से पूछने की उन्हों ने आवश्यकता ही नहीं समझी। विभिन्न साधनों से प्राप्त आंकड़ों से यही परिणाम निकलता है कि इस्पात कारखाने में स्थानीय लोग केवल ३७ प्रतिशत हैं। समिति ने कहा है कि प्रत्येक प्रकार की भर्ती का काम काम दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा ही होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उड़ीसा के २९,७३६ निवासियों ने काम दिलाऊ दफ्तरों में नाम दर्ज करवाये परन्तु नौकरी केवल १०२६ को ही मिल सकी। मेरा निवेदन है कि श्रम मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये और इस दिशा में जो कुछ सम्भव हो, सुधार करना चाहिये। वैसे मैं इस विधेयक को प्रगति की ओर एक पग समझता हुआ इस का स्वागत करता हूं।

†श्री प्र० चं० गुह (बारसाट) : माननीय मंत्री ने कहा है कि यह विधेयक एक समिति के प्रतिवेदन के फलस्वरूप लाया गया है, जिसे सरकार ने १९५२ में नियुक्त किया था। इसका प्रतिवेदन १९५४ में प्रस्तुत किया गया था। समिति का प्रतिवेदन दिये जाने के छठे वर्ष में सरकार इस विधेयक को प्रस्तुत कर रही है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि काम दिलाऊ दफ्तरों

---

†मूल अंग्रेजी में

का नियन्त्रण केन्द्र सरकार के हाथों से राज्य सरकार के हाथों में कैसे गया है । इन दफ्तरों का ६० प्रतिशत खर्चा तो केन्द्रीय सरकार को ही देना होता है । कई वर्षों से इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन भी सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है । जब इन दफ्तरों का ६० प्रतिशत खर्चा केन्द्रीय सरकार देती है तो इन के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन के समक्ष आने चाहियें । मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे ।

इन दफ्तरों की लोकप्रियता के अभाव का उल्लेख किया गया है । मैं यह नहीं कहता कि इनके मामले में जो भी शिकायतें सुनी गयी हैं वे सब ठीक हैं, फिर भी कुछ न कुछ कमी तो है ही । मन्त्री महोदय को इस बात का परीक्षण करना चाहिये कि ये दफ्तर ठीक ढंग से कार्य करे ताकि, मंत्री महोदय के कथन के अनुसार इन दफ्तरों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके । इस बात को भी देखा जाना चाहिये कि नौकरी के लिये नाम दर्ज कराने वाले लोगों को नौकरियां क्यों नहीं मिल सकीं । नाम दर्ज करवाने वाले केवल १० प्रतिशत लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ, जबकि कम से कम ५० प्रतिशत को उपलब्ध होना चाहिये था । ऐसा क्यों है ?

इस प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि कई सरकारी अथवा गैर सरकारी नियोजक बिना काम दिलाऊ दफ्तरों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त किये भर्ती कर लेते हैं । रेलवे वाले चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की सीधी भर्ती कर लेते हैं । कई नगरपालिकायें और स्थानीय संस्थायें भी ऐसा ही करती हैं । अतः इस दिशा में कुछ सक्रिय पग उठाया जाना चाहिये ताकि नियोजक इन दफ्तरों के द्वारा ही सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करे । प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि इन दफ्तरों को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी है । आखिर क्या कारण है कि इतने वर्ष समाप्त हो जाने पर भी इन दफ्तरों की उपयोगिता बढ़ नहीं सकी और बेरोजगारी ही बढ़ी है । प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि काम दिलाऊ दफ्तरों के संगठन को स्थायी रूप दे दिया जाय । परन्तु मेरा विचार है कि इस दिशा में कुछ किया नहीं जा रहा । इन दफ्तरों के कर्मचारियों में भी असन्तोष पाया जाता है । मन्त्री महोदय को इन समस्त बातों की ओर ध्यान देकर सभी कठिनाइयां हल करने का यत्न करना चाहिए ।

एक बात यह और है कि केवल रोजगार चाहने वालों की केवल २५ प्रतिशत संख्या ही काम दिलाऊ दफ्तरों में अपना नाम दर्ज करवाती है । इसका कारण केवल यह है कि लोगों को इनमें बहुत अधिक विश्वास नहीं है । अतः इनकी उपयोगिता में वृद्धि की जानी चाहिये । इसके अतिरिक्त समिति की इस सिफारिश को अवश्य कार्यान्वित किया जाना चाहिये कि प्रयेक राज्य में काम दिलाऊ दफ्तरों के लिये सलाहकार समितियां नियुक्त की जायं । ये समितियां अधिकारियों की न होकर सार्वजनिक व्यक्तियों की होनी चाहियें ताकि इन दफ्तरों का ठीक ढंग से नियन्त्रण किया जा सके ।

इसके अतिरिक्त विधेयक के खण्ड २ (छ) में गैर सरकारी संस्थापनों की परिभाषा में कर्मचारियों की कम से कम संख्या २५ रखी है वह ठीक नहीं है । यह संख्या कम से कम ५० होनी चाहिये । इसके बिना विधेयक को कार्यान्वित करते समय काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । विधेयक बहुत अधिक व्यापक नहीं बनाया जाना चाहिये । साथ ही मैं इससे भी सन्तुष्ट नहीं हूं कि अप्रवीण कर्मचारियों को विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत न लिया जाय । प्रवीण अथवा अप्रवीण दोनों प्रकार के कर्मचारी विधेयक के अन्तर्गत आने चाहियें । प्रवीण श्रमिकों को तो काम प्राप्त करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती । कठिनाई का सामना तो केवल अप्रवीण लोगों को ही करना पड़ता है ।

यह बात ठीक है कि गैर सरकारी संस्थापनों पर अनिवार्य रूप में उपबन्ध लागू नहीं किये जाने चाहियें, जैसा कि समिति की सिफारिश भी है, परन्तु फिर भी सरकार के पास ऐसे अधिकार होने चाहियें जिससे यदि किसी समय यह उचित समझे तो कुछ प्रकार के संस्थापनों पर यह दायित्व

[श्री अ० चं० गुह]

लागू कर दे कि वे अपने सभी प्रकार के कर्मचारियों की भर्ती काम दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा ही करें।

अन्त में मैं दो शब्द पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। वहां बेरोजगारी काफी अधिक है। युवकों को उचित अवसर उपलब्ध नहीं होते। अतः मेरा अनुरोध है कि बंगाली युवकों को काम के अवसर दिये जायें ताकि वे कुछ आगे बढ़ सकें। पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीय सरकार की जो औद्योगिक इकाइयां कार्य कर रही हैं उनमें बंगाली युवकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

श्री बाल कृष्ण वासनिक : (भंडारा रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, परन्तु मुझे यह सन्देह है कि यदि विधेयक इसी रूप में पास हुआ तो यह कुछ अधिक लाभ-दायक नहीं रहेगा और इससे वास्तविक लक्ष्य पूरा नहीं हो पायेगा। विधेयक में कुछ ऐसी कमियां हैं जिन्हें ठीक कर लिया जाना चाहिए। ऐसे संस्थापन जहां बिजली से काम होता है, वहां १० और जहां बिजली से काम नहीं होता वहां २० कर्मचारी इस विधेयक के अन्तर्गत आ जाने चाहियें।

खण्ड ३ के उप-खण्ड (ग) में दिया गया है कि यह अधिनियम उन रिक्त स्थानों पर लागू नहीं होगा, जो तीन महीने के लिये हों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से संस्थापनों में नियोजक तीन महीने से कम के लिये ही कर्मचारी नियुक्त करते हैं ताकि कारखाना अधिनियम या औद्योगिक विवाद अधिनियम के कई उपबंधों से बचा जा सके। अगर हम इस उपबन्ध को यहां रखेंगे, तो वे हमेशा लोगों को तीन महीने से कम के लिये ही रखेंगे। इस पर विचार किया जाना चाहिये।

आगे इसी खण्ड में ६० रुपये प्रति महीने से कम वेतन वाले रिक्त स्थानों का ज़िक्र है। ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जिनका वेतन ६० रुपये से कम है। मैं नहीं समझता कि इन लोगों को विधेयक के उपबन्धों से क्यों अलग रखा जा रहा है।

खण्ड ४ के उप-खन्ड (४) के बारे में श्री त्यागी बहुत कुछ कह चुके हैं। मेरी राय में यदि इस खण्ड को विधेयक में रहने दिया गया तो इससे अपेक्षित परिणाम नहीं निकल सकते। इस उप-खण्ड (४) को इसमें से हटा लेना चाहिये।

कार्य-मत्रंणा समिति

उन्तालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री राने** (बुल्डाना) : श्रीमान्, मैं कार्य मन्त्रणा समिति का उन्तालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार, ४ अगस्त, १९५९/१३ श्रावण, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, ३ अगस्त, १९५९

१२ श्रावण, १८८१ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१—२६
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१.	रेडियो सक्रियता मापक उपकरण	१—३
२.	कैनवरा हवाई जहाज की हानि के लिये क्षतिपूर्ति	३—६
३.	पाकिस्तान के लिये अमरीकी जेट बमवर्षक विमान	६—७
४५.	पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता	७—९
४.	लंका में भारतीय	९—११
५.	रोजगार	१२—१३
७.	मूलभूत भेषजों के निर्माण के लिये कारखाने	१४—१६
८.	आन्ध्र पेपर मिल, राजामुन्दरी	१६—१७
९.	सेलखड़ी खान में दुर्घटना	१७—१८
१०.	राज्य व्यापार निगम द्वारा कच्चे पटसन का क्रय	१८—१९
११.	पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय	२०
१२.	भारत-पाकिस्तान सीमांकन	२१
४३.	सीमांकन	२१—२३
१३.	औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋण	२३—२५
१४.	हेरोभांगा कालोनी	२५
१५.	कपड़ा मिलों का बन्द होना	२६
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	२६—७३
	तारांकित प्रश्न संख्या	
६.	दिल्ली में शरणार्थी बस्तियां	२६—२७
१६.	मंगला बांध	२७—२८
१७.	उत्तर प्रदेश में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	२८
१८.	यूनाइटेड प्रेस आफ इण्डिया के कर्मचारी	२८—२९
१९.	भुसलिया कोयला खान, रानीगंज	२९

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
२०.	सुडान को कपड़े का निर्यात	२९—३०
२१.	नीबू घास के बीजों और जड़ों का निर्यात	३०
२२.	बिहार में बुनकरों की सहकारी समितियां	३०
२३.	भारत—१९५८ प्रदर्शनी में अग्नि काण्ड	३०—३१
२४.	रूस, चेकोस्लोवाकिया और जापान के साथ व्यापार का विस्तार	३१
२५.	कोयला खान अपमोचन नियम	३२
२६.	आन्ध्र प्रदेश में सिगरेट फैक्टरी	३२
२७.	महात्मा गांधी सम्बन्धी फिल्म	३२—३३
२८.	इण्डियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का शिष्टमंडल	३३
२९.	पंजाब में कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग	३३
३०.	मैसूर में साइकिल का कारखाना	३३—३४
३१.	सरकारी क्षेत्र के लिये राजकीय पुरस्कार	३४
३२.	कागज़ बनाने की मशीनें	३४—३५
३३.	गोआ विवाद में ब्रिटेन की मध्यस्थता	३५—३६
३४.	दलाई लामा	३६
३५.	आणविक विकिरण	३६
३६.	भारी इंजीनियरिंग सामान का कारखाना	३७
३७.	सीमा घटनायें	३७—३८
३८.	नेहरू-नून समझौता	३८—३९
३९.	चिनाकुरी कोयला खदान की दुर्घटना	३९
४०.	तृतीय पंचवर्षीय योजना	३९—४०
४१.	काश्मीर को केन्द्रीय सहायता	४०
४२.	अणु शक्ति प्रतिष्ठान, ट्राम्बे में इराकी राष्ट्रजनों का प्रशिक्षण	४०
४४.	लैन्सों और प्रकाश स्तम्भ उपकरण का उत्पादन	४०—४१
४६.	संसद सदस्यों के लिये और फ्लैट बनाना	४१
४७.	खान मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी	४१—४२
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१.	पटसन उत्पादों का निर्यात	४२
२.	पंजाब का औद्योगिक विकास	४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३.	अस्पृश्यता सम्बन्धी चलचित्र	४२–४३
४.	लंका से भारतीयों का प्रव्रजन	४३
५.	बम्बई में हथकरघा उद्योग का विकास	४३
६.	रबड़ की वस्तुओं का निर्माण	४३
७.	आयात लाइसेन्स	४४
८.	सिंदरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्ज लिमिटेड	४४
९.	गोआ के विस्थापित व्यक्ति	४४–४५
१०.	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये संसाधन	४५
११.	विदेशी सार्थों का भारतीयकरण	४५–४६
१२.	कालीन उद्योग	४६
१३.	पाकिस्तान से भारत विरोधी प्रसारण	४६
१४.	घड़ी निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण	४७
१५.	स्वचालित करघे	४७
१६.	घड़ियों का निर्माण	४८
१७.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा खरादों का निर्माण	४८–४९
१८.	औद्योगिक सहकारी समितियों सम्बन्धी कार्यकारी दल	४९
१९.	आणविक ईंधन निर्माण सन्यन्त्र	४९
२०.	काम दिलाऊ दफ्तरों में रंजीबद्ध बेरोजगार स्नातक	४९
२१.	पाकिस्तान जाने वाले भारतीय	५०
२२.	आगरा में औद्योगिक बस्ती	५०
२३.	बटाला में औद्योगिक बस्ती	५०–५१
२४.	टंगस्टेन कार्बाइड	५१
२५.	पंजाब को केंन्द्रीय सहायता	५१
२६.	वस्त्र	५१
२७.	सीकर में यूरेनियम	५२
२८.	बम्बई राज्य में विद्युत् परियोजनायें	५२
२९.	बम्बई राज्य में केन्द्रीय योजनायें	५२
३०.	अमरीका से वस्तु विनिमय सम्बन्धी करार	५२–५३
३१.	टायरों और ट्यूबों का आयात	५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३२.	एडिनबरा फिल्म समारोह	५३
३३.	तृतीय आवास मन्त्री सम्मेलन	५३
३४.	१७वां भारतीय श्रम-सम्मेलन	५३–५४
३५.	मजदुरों को रोज़गार	५४
३६.	सरकारी विभागों में टाइपराइटर	५४
३७.	हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में प्रचार	५४–५५
३८.	फिल्मों के लिये राज्य पुरस्कार	५५–५६
३९.	नागा विद्रोही	५६–५७
४०.	उद्योगों का उत्पादन	५७
४१.	सिनेमा कर्मचारियों के वेतन-क्रम	५७
४२.	मनीपुर में कुटीर तथा लघु उद्योग	५७–५८
४३.	विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	५८
४४.	दैनिक समाचार पत्र तथा पत्रिकायें	५८
४५.	श्रीलंका में भारतीय उद्भव के व्यक्ति	५८–५९
४६.	मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र	५९
४७.	ल्हासा में भूमि और मकान का अधिग्रहण	५९
४९.	रेयर अर्थस लिमिटेड, अल्वाय	५९–६१
५०.	ब्रिटेन में भारतीय विद्यार्थी पर आक्रमण	६१–६२
५१.	हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक सर्वेक्षण	६२
५२.	हिमाचल प्रदेश में जानवरों को खाल उतारे बिना दबाना	६२–६३
५३.	धनबाद में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली लगाना	६३
५४.	घट्टी और पूर्णिमा की शरणार्थी बस्ती	६३
५५.	बाइसिकलें	६३–६४
५६.	मैंगनीज खानों में विषाक्तता	६४
५७.	हैदराबाद में प्रैस इन्फरमेशन ब्यूरो	६४–६५
५८.	उत्तर प्रदेश से मद्यसार (पावर अल्कोहल) का निर्माण	६५
५९.	नयी दिल्ली में निष्क्रान्त सम्पत्तियों का निपटारा	६५
६०.	दिल्ली में कारखाने	६६
६१.	पशमीना ऊन का निर्यात	६६–६७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर --(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

६२. पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय पुलिस अधिकारियों का अपहरण . ६७
६३. पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय . . . ६७—६८
६४. पाकिस्तानियों द्वारा ढोरों का ले जाया जाना . . . ६८
६५. हिन्दी चलचित्रों को पारितोषिक . . . ६८
६६. सरकारी विज्ञापन ६९
६७. दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये निवास स्थान . . ६९—७०
६८. दिल्ली में किसानों की गिरफ्तारी ७०
६९. आकाशवाणी, कलकत्ता द्वारा 'त्रिपुरी' में प्रसारण . ७०—७१
७०. औद्योगिक मशीनों का निर्माण ७१
७१. चाय बागान ७१
७२. अखिल भारतीय रेशम कीट पालन प्रशिक्षण संस्था, मैसूर . . ७१
७३. पंजाब के पहाड़ी प्रदेशों का विकास ७२
७४. बिजली के सामान का निर्माण . . . ७३
७५. दिल्ली विश्वविद्यालय के लिये भूमि . . ७३

निधन सम्बन्धी उल्लेख ७३

अध्यक्ष महोदय ने श्री पी० सी० बोस, जो लोक-सभा के वर्तमान सदस्य थे, श्री एम० डी० रामस्वामी जो पहली लोक-सभा के सदस्य थे और श्री जहांगीर के० मुन्शी के, जो भूतपूर्व केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया।

इसके पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में एक मिनट तक मौन खड़े रहे।

स्थगन प्रस्ताव . . . . . ७४—७७

अध्यक्ष ने निम्नलिखित दो स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना उनके सामने बताये गये सदस्यों ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :—

(१) केरल में राज्य सरकार के बर्खास्त कर दिये जाने के बाद विमोचन समर समिति द्वारा वहां उत्पन्न की गई कथित स्थिति को नियंत्रित करने में केन्द्रीय सरकार की कथित असफलता।	सूचना सर्वश्री अ० क० गोपालन नारायणन् कुट्टि मेनन, पुन्नूस, वासुदेवन नायर और ईश्वर अय्यर द्वारा दी गई।

विषय		पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—(क्रमश :)		
(२) देश में चीनी के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में सरकार की कथित असफलता।	सूचना सर्वश्री ब्रजराज सिंह, स० मो० बनर्जी, तंगामणि तथा मोहम्मद इलियास द्वारा दी गई।	
सभा पटल पर रखे गये पत्र		७७—८३

(१) राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३५६ के खण्ड (३) के अंतर्गत ३१ जुलाई, १९५९ को जारी की गई उद्घोषणा की एक प्रति, जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत केरल सरकार के सब कृत्य उन्होंने अपने हाथ में ले लिये हैं।

(२) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ११ जुलाई, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८११ की एक प्रति।

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत लोहा और इस्पात (नियन्त्रण) आदेश, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ९ मई, १९५९ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १०४१ की एक प्रति।

(४) संविधान के अनुच्छेद १२३(२) (क) के उपबन्धों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा २० जुलाई, १९५९ को प्रख्यापित सार्वजनिक वक्फ (अवधि का विस्तार) अध्यादेश, १९५९ (१९५९ की संख्या २) की एक प्रति।

(५) चलचित्र अधिनियम, १९५२ की धारा ८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत चलचित्र (विवाचन) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १६ मई, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ५८५ और ५८६।

(दो) दिनांक ३० मई, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ६३९।

(तीन) दिनांक २७ जून, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या७४६।

(६) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) सरसिल्क लिमिटेड द्वारा तैयार किये गये एसीटेट सूत के कारखाने से चलते समय के उचित मूल्य और उचित विक्रय मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन।

(दो) दिनांक १६ जून, १९५९ का सरकारी संकल्प संख्या २६ (१०५) टी० ई० एक्स० (डी)। (५७)।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(७) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सूती वस्त्र (हथकरघे द्वारा उत्पादन) नियन्त्रण आदेश १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २ मई, १९५९ का एस० ओ० संख्या ९५२ ।

(दो) वस्त्र (विद्युत् करघे द्वारा उत्पादन) नियन्त्रण आदेश, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक २३ मई, १९५९ का एस० ओ० संख्या ११५२ ।

(तीन) वस्त्र (विद्युत् करघे द्वारा उत्पादन) नियन्त्रण आदेश १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २० जून, १९५९ का एस० ओ० संख्या १३८६ ।

(८) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत रबड़ नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २३ मई, १९५९ की अधिसूचना संख्या ५९८ की एक प्रति ।

(९) डालमिया की फर्मों की जांच के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या २३०८ पर श्री तंगामणि के अनुपूरक प्रश्न पर ८ मई, १९५९ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाले वक्तव्य की एक प्रति ।

(१०) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदाली के कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण) विनियम १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २० जून १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ६९४ ।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २० जून १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ६९५ ।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (पदाली के कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण) विनियम १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २० जून, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ६९६ और ६९७ ।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (पदाली के कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण) विनियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ४ जुलाई, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ४५० ।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम १९५४, भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम १९५४, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदाली) नियम १९५४ भारतीय पुलिस सेवा (पदाली) नियम १९५४, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम १९५४, अखिल भार-

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमश :)

तीय सेवायें (अनुशासन और अपील) नियम १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १८ जुलाई, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ८१७ ।

(छ) दिनांक १८ जुलाई, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ८१८ जिसमें अखिल भारतीय सेवायें (जम्मू और काश्मीर में लागू करना) नियम, १९५९ हैं ।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदाली) नियम १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १८ जुलाई, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ८१९ ।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (पदाली) नियम १९५४ में कुछ में कुछ की जी० एस० आर० संख्या ८२० ।

(११) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ जून, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६८८ की एक प्रति ।

(१२) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली तीन अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १६ मई, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ५८३ और ५८४ ।

(दो) दिनांक २० जून की जी० एस० आर० संख्या ७११ ।

(१३) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन तथा निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ९ अप्रैल, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४३३ की एक प्रति ।

(१४) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा२८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचन नामावलियों का तैयार किया जाना) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २१ अप्रैल, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४६२ की एक प्रति ।

(१५) दूसरी लोक-सभा के सातवें सत्र के बारे में "संसदीय समितियां—कार्य सारांश" की एक प्रति ।

(१६) लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ७१(१) के अधीन सार्वजनिक वक्फ (अवधि का विस्तार) अध्यादेश, १९५९ द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

बिलों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८३

(एक) सचिव ने गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा ४ मई, १९५९ को लोक-सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखा :

(१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५९।

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९५९।

(३) बंगाल वित्त (बिक्री कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, १९५९।

(४) जनगणना (संशोधन) विधेयक, १९५९।

(५) लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक, १९५९।

(दो) सचिव ने संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा ४ मई, १९५९ को लोक-सभा में दी गई अंतिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों की प्रतियां भी, राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में, सभा पटल पर रखीं :—

(१) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९५९।

(२) अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक, १९५९।

(३) भारतीय प्रकाश-स्तम्भ (संशोधन) विधेयक, १९५९।

(४) कोयला श्रेणीकरण बोर्ड (निरसन) विधेयक, १९५९।

(५) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथी पुनर्वास) संशोधन विधेयक, १९५९।

संयुक्त समितियों के प्रतिवेदन उपस्थापित ८४

(१) श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् ने बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक, १९५९ सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया।

(२) श्री मोहम्मद इमाम ने भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक, १९५९ सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया।

(३) श्री मोहम्मद इमाम ने भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक, १९५९ सम्बधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया।

विधेयकों पर साक्ष्य सभा पटल पर रखे गये ८४

(१) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक, १९५९ सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई।

(२) भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक, १९५९ सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई।

विषय पृष्ठ

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य ८४—८८

(१) गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) ने आदिवासियों की ऋण-ग्रस्तता के बारे में २१ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १९४५ पर श्री संगण्णा द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

(२) सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद) ने भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया ।

समिति के लिये निर्वाचन

विधि उपमंत्री (श्री हाजरनवीस) ने लाभ पद सम्बन्धी संयुक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये लोक-सभा और राज्य सभा के सदस्यों के निर्वाचन के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदनों के उपस्थापन का समय बढ़ाया जाना ८८—८९

(१) समवाय (संशोधन) विधेयक, १९५९ सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय आगामी (नवें) सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाया गया ।

(२) शस्त्र विधेयक, १९५९ सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय १३ अगस्त, १९५९ तक बढ़ाया गया ।

विधेयक पुरस्थापित . . . . . ८९—९०

(१) राजस्थान तथा मध्य प्रदेश (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक ।

(२) वक्फ़ (संशोधन) विधेयक ।

(३) सार्वजनिक वक्फ़ (अवधि का विस्तार) विधेयक ।

विधेयक पारित . . . . . ९१—११८

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) ने प्रस्ताव किया कि सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित हुआ ।

विधेयक विचाराधीन . . . . . ११८—१२६

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) ने प्रस्ताव किया कि काम दिलाऊ दफ़्तर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) विधेयक पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . १२६

उन्तालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

मंगलवार, ४ अगस्त, १९५९/१३ श्रावण १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि

काम दिलाऊ दफ़्तर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा और उसका पारित किया जाना तथा भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार और उसका पारित किया जाना ।